Par. 18. V. 1. 53
285

अंक ५ – ६ सोमवार

संख्या १ १६ नवम्बर, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक १ में संख्या १ से संख्या २५ तक हैं)

Preservation Unit
13.3.97
Fumigated
On 7.11.83
Parliament Library

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १—४७]

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४७—६०]

पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट, नई दिल्ली

(मूल्य ४ आने)

499 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, श्री श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर)

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व)

अचलू, श्री सुंकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अचलू सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजित सिंहजी, श्री जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृत कौर, राजकुमारी (मन्डी-महासू)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

अहमद मुहीउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली—पश्चिम)

आज़ाद, श्री भगवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

आलवा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोनानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्युन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलयापेरुमल, श्री एल० (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मांडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

कण्डासामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचनगोड)

कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज़ हाईनैस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर-चूरु)

कासलीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा-झालावाड़)

काचिरोयर, श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फ़ैज़ाबाद—दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री विल्लि पुत्तूर)

काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री बासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, श्री जे० बी० (भागलपुर व पूर्निया)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कोसा, श्री मुचाकी (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री शाहनवाज़ (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)

खीमजी, श्री भवनजी ए० (कच्छ पश्चिम)

खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंगमन, श्रीमती वी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)

गांधी, श्री माणिक लाल मगन लाल (पंचमहल व बड़ौदा—पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहर विष्णु (पूना—मध्य)

गिडवानी, श्री चोयथराम परताबराय (थाना)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)

गिरिराज सरन सिंह, श्री (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी--पूर्व)

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

ग़ुलाम क़ादिर, खान (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्नानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर--दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गौडा, श्री टी० मादिया (बंगलौर--दक्षिण)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम्)

गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

गौडिलिंगन गौड, श्री (कुरनूल)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)

चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित--अनुसूचित जातियां)

चरक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री वी० वीआर० एन० एआर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित--अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री रणवीर सिंह (रोहतक)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित— अनुसूचित आदिम जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेनकनाल—पश्चिम कटक—रक्षित--अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्दलाल (इंन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि—दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरणाकुलम्)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम्)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तालिब, श्री प्यारे लाल कुरील (ज़िला बाँदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी (टिंडीबनम्)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन—दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, श्री बैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तूडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर झड़-ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

तुलसी दास, श्री किलाचन्द (मेहसाना—पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामाख्य प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरावल्लभ (ज़िला मुज़फ्फर-नगर—दक्षिण)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (ज़िला बनारस—पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता-दक्षिण—पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा—पश्चिम)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा—उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचेरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांव—उत्तर)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योंझर)

दास, श्री बेली राम (बारपेटा)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामधनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)

दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)

दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (मुज़फ़्फ़रपुर—उत्तर-पूर्व)

दुबे, श्री उदयशंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर—उत्तर)

देव, श्री चण्डीकेश्वर शरण सिंह जू (सुरगुजा-रायगढ़)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा—पूर्व)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)

देव, हिज़ हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी-बोलनगिर)

देवगम, श्री कान्हूराम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती—पश्चिम)

देशमुख, श्री चिंतामण द्वारकानाथ (कोलाबा)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती—पूर्व)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)

धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरभ्)

नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नानादास, श्री मंगलगिरी (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का-सिरसा)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजामुंड्री)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्करा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरायिंकिल)

नायर, श्रीमती शकुन्तला (ज़िला गोंडा--पश्चिम)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहांपुर--उत्तर व खेरी--पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़--दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी--पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद--पूर्व व ज़िला जौनपुर--पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ--मध्य)

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)

पटोरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर--उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा--दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा--उत्तर-पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद--उत्तर-पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा--पूर्व--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी---पश्चिम---रक्षित----अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा--दक्षिण-पश्चिम व ज़िला बरेली--उत्तर)

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर--दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमदनगर--उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांव--दक्षिण)

पाथिकर, डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

पारिख, डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)

पारिख, श्री शांति लाल गिरधारी लाल (मेहसाना--पूर्व)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं--पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर-झड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमण्ड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुन्द)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सुरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम, श्री एस० (मदुरई)
बाल्मीकि, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (टुमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम—उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
ब्रह्मो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशंकर (भड़ौच)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालौर)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा-डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोय, श्री गिरधारी (कालाहांडी-बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)
मथुरम, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनडा—उत्तर)
मल्लूडोरा, श्री गाम (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महताब, श्री हरे कृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महेन्द्रनाथ सिंह, श्री (सारन—मध्य)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)
माजीह, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री वैतन (मानभूम–दक्षिण व धालभूम ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना––दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा––पूर्व व ज़िला बस्ती––पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दातिया-टीकमगढ़ –– रक्षित –– अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनिमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर ––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग––रायपुर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर––उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया––उत्तर)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा––उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया––दक्षिण)

मिश्र, पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर––उत्तर-पूर्व)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व)

मुक्णे, श्री वाई० एम० (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मुतुकृष्णन, श्री एम० (वैल्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोणम्)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया––पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर––झुंझुनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इस्लामुद्दीन, श्री (पुर्निया––उत्तर-पूर्व)

मुहम्मद, श्री खुदाबख्श (मुर्शिदाबाद)

मूर्त्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडे)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम्)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोहम्मद सईद मसदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस––मध्य)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा––पूर्व)

रज़मी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर––रक्षित ––अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)

रामदास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम नगीना सिंह, श्री (ज़िला गाज़ीपुर—पूर्व व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग़—पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम शेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामसामी, श्री एम० डी० (अरुपुक्कोटाई)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रायजी, श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्ड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंड्र सुब्बा (एलूरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वारंगल)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनड़ा—दक्षिण)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मानाबाद)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशाग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दमयेल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर-लुधियाना)
लास्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लैसराम, श्री जोगेश्वर सिंह (अन्तरिक्ष मनीपुर)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वेंकटारमन्, श्री आर० (तंजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)

शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)

शर्मा, श्री खुशी राम (ज़िला मेरठ—पश्चिम)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर—दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)

शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शास्त्री, श्री हरिहरनाथ (ज़िला कानपुर—मध्य)

शाह, हर हाइनैस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर)

शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़-सोरठ)

शाह, श्री रायचन्द भाई एन० (छिंदवाड़ा)

शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवननजप्पा, श्री एम० के० (मंड्या)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ-फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यानाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेंद्र कुमार (करनाल रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)

सरमा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री रघुवीर (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायू—पूर्व)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर—मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा—पूर्व)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर—उत्तर-पश्चिम)

सिंह, डा० सत्य नारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फ़रपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुजफ्फ़रनगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडाला (विजियानगरम्)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूफ़ी, श्री मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषुमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा–सिरमौर)
सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर-पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्निया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हर प्रसाद सिंह, श्री (ज़िला ग़ाज़ीपुर—पश्चिम)
हरिमोहन, डा० (मानभूम—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हरिशंकर प्रसाद, श्री (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)
हिफ्ज्जुर्रहमान, श्री एम० (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटस्कर
सरदार हुक्म सिंह
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्रीमती बी० खोंगमन

सचिव

श्री एम० एन० कौल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सदन-कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री हरेकृष्ण महताब
श्री नरहर विष्णु गाडगिल
श्री देव कान्त बरूआ
श्री हरि विनायक पाटस्कर
कर्नल बी० एच० जैदी
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री सारंगधर दास
श्री चन्द्रिकेश्वर शरण सिंह जू देव
डा० लंका सुन्दरम्

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (सभापति)
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री० सी० पी० मैथ्यू
श्री पी० एन० राजभोज

विशेषाधिकार समिति

डा० कैलाश नाथ काटजू (सभापति)
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० के० गोपालन
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री सारंगधर दास
श्री बी० शिवा राव
श्री आर० वेंकटारमन्
डा० सैय्यद महमूद
श्री राधेलाल व्यास

प्राक्कलन समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् आय्यंगार (सभापति)
श्री सारंगधर दास
श्री राधेलाल व्यास
श्री देवेश्वर सरमा
श्री नित्यानन्द क़ानूनगो
पंडित बालकृष्ण शर्मा
श्री शिवाराम रांगो राने
श्री वी० बी० गांधी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री आर० वेंकटारमन्
श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता
डा० सैय्यद महमूद
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सी० पी० मैथ्यू
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री रायासम शेषगिरि राव
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्री गिरिराज सरन सिंह

डा० सुरेश चन्द्र
श्री मोहन लाल सक्सेना
डा० लंका सुन्दरम्
श्री काडयाला गोपाल राव
श्री मुनिस्वामी तिरुकुरलार
श्री पी० एन० राजभोज
सरदार लाल सिंह

गृह व्यवस्था समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्
कर्नल बी० एच० ज़ैदी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री के० ए० दामोदर मैनन
श्री सारंगधर दास
श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री वी० एन० तिवारी
श्री हृदयनाथ कुंजरू
श्री आर० डी० सिंह दिनकर
डा० श्रीमती सीता परमानन्द

लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (सभापति)
श्री रणबीर सिंह चौधरी
श्री हरि विनायक पाटस्कर
डा० मनमोहन दास

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री एम० एल० द्विवेदी
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल
श्री श्री नारायण दास
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमाचरण पटनायक
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री के० एम० वल्लाथरास
श्री वी० पी० नायर
श्री जी० डी० सोमानी

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिन्हा
चौधरी हैदर हुसैन
श्री ओ० वी० अलगेशन
पांडत अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री शिवराम रांगो राने
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री के० केलप्पन
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री राजेन्द्र नारायण सिंह देव
श्री जयपाल सिंह

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृतकौर

वित्त मंत्री—श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री—श्री गुलज़ारीलाल नन्दा

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिस्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं)

सांसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

रक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव एस० देशमुख

उपमंत्री

संचरण उपमंत्री—श्री राज बहादुर

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री—श्री के० डी० मालवीय

रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

गृह-कार्य उपमंत्री—श्री बलवन्त नागश दातार

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

वित्त उपमंत्री—श्री मगिलाल चतुरभाई शाह

पुनर्वास उपमंत्री—श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले

रेल तथा यातायात उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन

स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री एम० वी० कृष्णप्पा

सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री—श्री जय सुख लाल हाथी

रक्षा उपमंत्री—श्री सतीशचन्द्र

वित्त उपमंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुहा ।

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

भारत की प्रथम संसद् के पांचवें सत्र का पहिला दिन

लोक सभा

सोमवार, १६ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** (श्री जी० वी० मावलंकर) अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तरी रोडेशिया के भारतीय उत्प्रवासी

*१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** २ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रोडेशिया जाने वाले आप्रवासियों को पुर्तगाली अधिकारियों ने बेरा में उतरने की जो अनुमति नहीं दी थी, उस का उन्हों ने स्पष्टीकरण क्या दिया;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा अभ्यावेदन भेजने पर इन लोगों को बाद में उतरने दिया गया;

(ग) क्या यह अनुमति एक विशेष मामले के तौर पर दी गई अथवा नीति परिवर्तन के परिणामस्वरूप दी गई; तथा

(घ) उत्तरी रोडेशिया जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नई दिल्ली स्थित पुर्तगाली दूतावास ने भारत सरकार को सूचना दी है कि भारतीय उत्प्रवासियों को बेरा में उतरने की जो अनुमति नहीं दी गई थी वह उन अनुदेशों के बिल्कुल अनुसार था जो कि पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में लागू हैं तथा जिन के अनुसार दूसरी जगहों को जाने वाले विदेशियों को वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि यह बात निश्चित न हो कि जिस जगह वह जा रहे हैं वहां उन्हें प्रवेश करने दिया जायगा ?

(ख) से (घ). पुर्तगाली दूतावास ने अब भारत सरकार को सूचना दी है कि भविष्य में मध्य अफ्रीका जाने वाले भारतीय आप्रवासियों को मार्गस्थ दृष्टांक दिया जायगा बशर्ते कि वह उस दशा में वापस अपने देश को चले जाने की जिम्मेदारी लें, जब कि उन्हें उस देश में प्रवेश करने की अनुमति न मिले जहां कि वह जा रहे हों; तथा ऐसी जिम्मेदारी के विषय में वित्तीय तथा अन्य प्रत्याभूतियां हों, उत्तरी रोडेशिया जाने वाले भारतीय के सम्बन्ध में इस समय स्थिति यही कुछ है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन भारतीयों की संख्या जान सकता हूं जो कि उत्तरी रोडेशिया जा रहे थे तथा जिन्हें पारपत्र दिये गये थे तथा उन भारतीय उत्प्रवासियों की

संख्या क्या है जिन्हें कि मार्ग में बेरा के स्थान पर उतरने नहीं दिया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तो ठीक ठीक संख्या नहीं दे सकता हूं परन्तु मेरा विश्वास है कि ४४ भारतीय आप्रवासी थे जिन्हें कि पुर्तगालियों ने अपने इलाके में रोक लिया था। सम्भावतः इतने ही लोग वहां चले जाना चाहते थे ।

श्री एस० एन० दास : यह नया विनियम कब से लागू किया गया था तथा क्या भारत सरकार को इस की सूचना दी गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कौन सा विनियम ?

श्री एस० एन० दास : पहले ऐसा कोई वचन अथवा आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह मालूम नहीं कि क्या पुर्तगालियों ने कोई नया विनियम बनाया है, हो सकता है कि यह विनियम बिल्कुल पुराना हो तथा इसे लागू न किया गया हो। सारी बात यह है कि वह यह भार दूसरे पक्ष पर डालते हैं। वह कहते हैं कि "हम तुम्हें जाने देंगे, बशर्ते कि वह देश जहां कि तुम जा रहे हो तुम्हें स्वीकार करें; यदि वह तुम्हें स्वीकार न करें तो तुम हमारे पास देख भाल के लिये रह जाओगे तथा हम ऐसा करने की अनुमति देने के लिये तैयार नहीं ।"

श्री एस० एन० दास : क्या यह सत्य है कि यद्यपि इन आप्रवासियों ने उत्तरी रोडेशिया सरकार द्वारा कुछ प्रत्याभूतियां दिलाई थीं, किन्तु पुर्तगाली अधिकारियों ने वह प्रत्याभूतियां स्वीकार नहीं कीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तव में, उन्हों ने आखिर में उन्हें जाने दिया । मुझे मालूम नहीं कि वह बात, जिस का कि माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, किस अवस्था पर हुई है ।

मिल कपड़े पर उप-कर

*२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) १ अगस्त, १९५३ से इस समय तक हथकर्घा तथा खादी उद्योग के विकास के लिए मिल कपड़े पर कितना उप-कर लगाया गया है तथा वसूल किया गया है;

(ख) खादी विकास तथा हथकरघा उद्योग के लिये कितनी धन राशि अलग अलग रखी गई है ;

(ग) अखिल-भारत हथकर्घा बोर्ड ने वह कौन से सिद्धान्त निर्धारित किये हैं जिन के आधार पर कि राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं के लिये कर्जे अथवा अनुदान दिये जायेंगे; तथा

(घ) किन राज्यों की परियोजनायें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), (ख) तथा (घ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायगा। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) इन सिद्धान्तों की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २,]**

श्री एस० एन० दास : भाग (ख) के उत्तर से जैसे कि उत्पन्न होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि किस सिद्धान्तों के आधार पर हथकर्घा निधि तथा खादी निधि के लिये आवंटन दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक तदर्थ आवंटन है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : हथकर्घा कपड़ा के उत्पादन तथा विक्रय के विकास के लिये किस प्रकार की परियोजनायें हैं ? क्या एक परियोजना यह भी है कि इस के निर्यात में अर्थ सहायता दी जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य कृपया विवरण देख लें ।

कुमारी एनो० मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में हथकर्घा उद्योग को कोई धन राशि दी गई थी तथा क्या वह धनराशि किसी कारण से रोक ली गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे याद है कि उस राज्य के लिये धनराशि मंजूर की गई थी, परन्तु मेरे विचार में यह रोक नहीं ली गई है । शायद, इस का उपयोग ही नहीं किया गया । सरकार त्रावणकोर-कोचीन सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही है कि इस आवंटित धन का तुरन्त ही सदुपयोग किया जाय ।

श्री वी० पी० नायर : इस धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने जो कार्यवाही की है, क्या सरकार को उस के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, श्रीमान् ।

बाबू रामनारायण सिंह : जब से यह कार्यवाही की गई है, तब से खादी के उत्पादन तथा विक्रय में क्या विशेष सुधार हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : परिणामों का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

भाकड़ा बांध

*३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भाकड़ा बांध के निर्माण कार्यक्रम में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है ?

(ख) यदि किया गया है तो क्या इस से इस के मुक्म्मल होने पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ; यदि पड़ेगा तो कैसे ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). भाकड़ा बांध के निर्माण कार्यक्रम में हाल ही में जो परिवर्तन किया गया है वह केवल यह है कि नदी का विकर्षण अब १९५३-५४ की सर्दियों में न होके १९५४-५५ की सर्दियों में होगा । निर्माण अधिकारियों ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इस से परियोजना की पूर्ति में कोई विलम्ब नहीं होगा स्थिति का परीक्षण हो रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमें किन्हीं अतिरिक्त विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करनी पड़ेंगी जिस से कमी पूरी की जा सके तथा बांध नियत समय पर तैयार हो सके ?

श्री नन्दा : नहीं, श्रीमन् ।

सरदार हुक्म सिंह : किन विशेष कारणों से नियत कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं हो सका है ?

श्री नन्दा : मुझे जनरल मैनेजर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा उसी के आधार पर मैं माननीय सदस्य को सूचना दे सकता हूं । इस निलम्बन का कारण यह बताया जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण मशीनें तथा उपकरण समय पर नहीं पहुंच सके हैं । दूसरा कारण यह है कि गत वर्षा ऋतु कुछ अधिक लम्बी रही है । वर्षा बहुत पहले होने लगी तथा बड़े जोर की रही । परन्तु मुख्य कारण

तो यही है कि समय पर आवश्यक मशीनरी नहीं पहुंची ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या नये निश्चय के सम्बन्ध में कंट्रोल बोर्ड के सभापति की राय भिन्न थी ?

श्री नन्दा : मुझे समस्त कार्यक्रम को विभिन्न स्थानों पर स्पष्ट करना होगा । दिसम्बर १९५२ में कार्यक्रम में संशोधन किया गया । फिर कार्यक्रम यह था कि विकर्षण अक्तूबर १९५३ में होगा तथा जून १९५४ में पानी रोकने के लिये अस्थायी बांध तैयार होगा । खुदाई अप्रैल १९५५ में मुकम्मल होनी थी तथा कंकरीट बिछाने का काम अक्तूबर १९५५ में शुरू किया जाना था तथा अक्तूबर १९५९ तक मुकम्मल करना था । यही कुछ कार्यक्रम था । बाद में, मार्च १९५३ में उन्हों ने कुछ परिवर्तन किया । उन्हें पता चला कि वह अक्तूबर में विकर्षण का काम शुरू नहीं कर सकते हैं । उन्हों ने फिर विकर्षण बदलने तथा इसे कुछ महीनों से उपस्थगित करने का फैसला किया । परन्तु विचार तो यह था कि वह २०० फुट की ऊंचाई तक पानी रोकने का अस्थाई बांध तैयार करेंगे तथा फिर अगले मौसम में इसे २८० फुट की पूरी ऊंचाई तक ले जायेंगे । यह बात मार्च में हुई थी परन्तु बाद में उन का विचार बदल गया । इस पर तर्क वितर्क हुआ तथा अन्ततोगत्वा यह फैसला हुआ कि ऐसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि बाढ़ का पानी उस आधे बने बांध के ऊपर से चला जाता । तो, अम्मन में कंट्रोल बोर्ड के समक्ष जो नया कार्यक्रम रखा गया वह यह था कि विकर्षण का काम एक वर्ष से उपस्थगित किया जाये, इस का अर्थ यह है कि पानी रोकने का यह अस्थायी बांध नियत समय के बाद मुकम्मल होगा । जैसे कि मैं ने निवेदन किया, विकर्षण नहर के मकम्मल होने के बाद परियोजना के अन्तिम रूप से मुकम्मल हो जाने में कोई विलम्ब नहीं होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या इस का सरकार की इस प्रस्थापना पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि जिला हिसार को मई १९५४ में पानी दिया जायेगा ?

श्री नन्दा : इस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

तिब्बत

*४. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन की जनवादी सरकार से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की है कि भारत तथा तिब्बत के आपसी मामलों पर चर्चा होनी चाहिये; तथा

(ख) यदि की है, तो इस सम्बन्ध में चीन सरकार का क्या विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) चीन सरकार ने हमारे इस नियंत्रण को स्वीकार किया है कि अनिर्णीत मामलों पर इस वर्ष दिसम्बर में पेकिंग में बात चीत हो ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह दोनों सरकारों की नीति रही है कि ऐसे सभी अनिर्णीत मामले सामान्य राजनयिक प्रणाली द्वारा उसी तरह हल किये जाने चाहियें जैसे कि दो मित्र सरकारों के बीच मामले हल किये जाते हैं । अन्य अत्यावश्यक कार्यों में लगे रहने के कारण इन मामलों पर अभी तक चर्चा नहीं हो सकी है । मुझे प्रसन्नता है कि यह चर्चा अब निकट भविष्य में ही होगी । हम ने चीन स्थित अपने राजदूत को, सिक्किम स्थित अपने पोलिटिकल आफिसर को तथा तिब्बत स्थित अपने कुछ अधिकारियों को परामर्श के लिये दिल्ली बुलाया है । सदन मुझ से सहमत होगा कि पेकिंग में होने वाले इस सम्मेलन को दृष्टि में रखते हुए इन सभी प्रश्नों पर सविस्तार चर्चा

करना वांछनीय नहीं होगा। इन प्रश्नों पर दोनों सरकारें एक दूसरे की प्रभुता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मानता के आधार पर विचार करेगी। मुझे आशा है कि ऐसा कोई समझौता होगा जो कि दोनों पक्षों के लिये संतोषजनक होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत व्यापार तथा तीर्थ-यात्रियों से सम्बन्धित उन सुविधाओं को जारी रखने की बात पर आग्रह करेगा जो कि १९०६ के अभिसमय, जिस में कि चीन भी शामिल था, के अनुसार उसे हाल ही के समय तक प्राप्त थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसे कि मैं ने निवेदन किया, मेरे लिये इस करार के छोटे हिस्सों पर इस समय चर्चा करना वांछनीय नहीं है। स्पष्टतः हमारा व्यापार जारी रहेगा।

श्री टी० के० चौधरी : क्या विचार-विषय पर दोनों सरकारें सहमत हुई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, एक तरह से। इस बात का फैसला हुआ है —अर्थात् "अनिर्णीत मामले" जिन का कि कुछ महीने पहले हम ने अपने पत्र-व्यवहार में जिक्र किया है। वह कोई अन्तिम अथवा कड़ा विचार-विषय नहीं है। यदि उन से कोई मामला उत्पन्न होगा तो वह भी शामिल कर लिया जायगा।

अपहृत महिलाएं

*५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी सन् १९५३ से अक्तूबर सन् १९५३ तक पाकिस्तान से कितनी अपहृत महिलायें प्राप्त हुईं ; और

(ख) इन में से कितनी काश्मीर की थीं और कितनी अन्य प्रदेशों की ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). पहली जनवरी १९५३ से आखिर सितम्बर तक २८६ ऐसी महिलायें प्राप्त हुई हैं और उन के रिश्तेदारों को पहुंचाई जा रही हैं। उन में से १९५ काश्मीर से सम्बन्ध रखती हैं और ९१ अन्य प्रदेशों से।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात के कोई आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं कि जिन से यह पता लगे कि अभी कितनी महिलायें हम को पाकिस्तान से और वापस लेनी हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे पास फैहरिस्तें हैं, एक तरफ से जो हम ने बनाईं और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान ने बनाईं। पाकिस्तान ने इधर के लिये और हम ने उधर के लिये। वह फैहरिस्तें हैं, यानी तहकीक की हुई फैहरिस्तें नहीं, लेकिन जो खबरें आई उन से वह फैहरिस्तें बनाईं। फिर जांच करने में वह अक्सर सही निकलती हैं, अक्सर गलत निकलती हैं। चुनांचे ठीक तरह से कह देना कि कितनी महिलायें बाकी हैं, मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ लम्बी फैहरिस्तें हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या मैं जान सकता हूं कि अपहृत महिलाओं का विभाग आज भी श्रीमती मृदुला साराभाई के अधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है। यह नहीं उठता। यह विवरणों की बात है।

अलमोनियम का निर्यात

*६. **श्री नानादास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने अलमोनियम की चद्दरों और गोलों के खुले-आम निर्यात के लिये अनुज्ञा देने का निश्चय कि

(ख) यदि सच है, तो इस का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अक्तूबर, १९५३ के अन्त तक अलमोनियम की चद्दरों और गोलों के खुले आम-निर्यात की अनुज्ञा दी गई थी। आगे की निर्यात नीति विचाराधीन है।

(ख) देश की निर्माण-परिसामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।

श्री नानादास : क्या विदेश को अलमोनियम की चद्दरों और गोलों का निर्यात होने देने से पहले सरकार को सन्तोष था कि देश की भीतरी मांग पूरी की जा चुकी है ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान्। हमें सन्तोष था।

श्री नानादास : क्या सरकार को विदित है कि विदेश से आने वाली बेदाग-इस्पात की चद्दरें अलमोनियम की चद्दरों से भारी होड़ कर रही हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री मेघनाद साहा: देश में अलमोनियम का कुल उत्पादन कितना है ?

श्री करमरकर : चद्दरों और गोलों का कुल उत्पादन १९५२ में ४८५२ टन था और जनवरी से सितम्बर १९५२ तक ३८८० टन, जब कि अधिष्ठापित-परिसामर्थ्य ८००० टन है।

श्री मेघनाद साहा : उद्योग में अलमोनियम की चद्दरों और गोलों का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री करमरकर : उद्योग उन का उपयोग करने के लिये पग उठाता है। अधिष्ठापित परिसामर्थ्य को देखते हुए और अतिरिक्त मात्रा की दृष्टि में हम ने निर्यात-नीति अपनाना निश्चित किया।

श्री मेघनाद साहा : क्या देश में अलमोनियम के समग्र उत्पादन का उपयोग संभव नहीं है, जब कि यहां सं० रा० अमरीका का १/३० ही है।

श्री करमरकर : माननीय मंत्री जानते हैं कि उत्पादन मांग पर निर्भर रहता है।

दिल्ली में उत्प्रवास कार्यालय

*७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कनाडा, सं० रा० अमरीका और ब्रिटेन के उत्प्रवास-कार्यालय दिल्ली में काम कर रहे हैं ?

(ख) कनाडा का उत्प्रवास-कार्यालय दिल्ली में कब खुला था ?

(ग) क्या यह सच है कि कनाडा के उत्प्रवास-कार्यालय ने हाल में अपना काम बन्द कर दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह अनुमान करते हुए कि प्रश्न का सम्बन्ध उन आप्रवासन-कार्यालयों से है जो इन देशों में आप्रवासी बन कर जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों से व्यवहार करते हैं, उत्तर यह है :—

(क) तथा (ख). कनाडा का एक आप्रवासन-कार्यालय दिल्ली में अक्तूबर, १९५२ से चल रहा है। सं० रा० अमरीका और ब्रिटेन का ऐसा कोई कार्यालय नहीं है।

(ग) नहीं।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि यात्रा-अभिकरणों के रूप में काम करने वाली कुछ फर्में आप्रवासन का प्रबन्ध करने के नाम पर उत्प्रवासियों चार-चार पांच-पांच हजार रुपये तक ले रही हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किन से ? इच्छुक उत्प्रवासियों से ?

श्री वी० पी० नायर : हां, उत्प्रवासियों से ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे धन लेने वाले किसी यात्रा-अभिकरण का ज्ञान नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने भारत सरकार से पालम हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान को रोकने के लिये अनुरोध किया था, जिस में कनाडा को जाने वाले अवैध उत्प्रवासी यात्रा करते बताये गये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस का कुछ पता नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या विशेष पुलिस संस्थापन ने यात्रा-अभिकर्त्ता ों द्वारा अधिकारियों की सहायता से उत्प्रवास-सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के बारे में जांच की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । जानकारी की कहे कौन, मैं ने तो इन के बारे में कोई लोकप्रवाद तक नहीं सुना ।

कपास (निर्यात)

***१०. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष भारत से निर्यात हुए कपास की मात्रा कितनी है ?

(ख) किन किन देशों को भारतीय-कपास का निर्यात हुआ था ?

(ग) क्या निर्यात किया गया कपास हमारी आवश्यकता से अधिक था ?

(घ) प्रति वर्ष सामान्यत: किन प्रकारों के कितने कपास का आयात होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है : **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ग) हां, इस अर्थ में कि निर्यात होने वाले प्रकारों का देश में उपयोग नहीं हो सकता था ।

(घ) सामान्यत: १-१/१६" से अधिक रेश वाले कपास का आयात होता है । आयात की गई मात्राओं में प्रति वर्ष अन्तर रहता है । १९५२–५३ की कपास-फसल में हम ने लगभग ६८९ हजार गांठों का आयात किया था ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या किसी निर्यात होने वाले प्रकार का ही आयात भी होता है और यदि होता है, तो क्या सरकार को उस के आयात के लिये अपेक्षतया अधिक दाम देने पड़ते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रकट है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं समझा । हम १-१/१६" से कम के कपास रेशे का आयात नहीं करते ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बक्स्टन सम्मेलन में निर्यात का लक्ष्यबिन्दु कितना निश्चित किया गया था और भारत ने कितना निर्यात किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि बक्सटन सम्मेलन में कपास के निर्यात के लिये कुछ लक्ष्यबिंद् निश्चित किया गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मंझोले और छोटे रेशे वाले कपास की प्रकारों का भी निर्यात किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान् ।

सरदार लाल सिंह : विदेश से आयातित कपास के लिये क्या दाम चुकाये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्वसूचना ।

अपहृत-लड़कियां

*११. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षत्र में अपहृत लड़कियों की अनुमानित अद्यतन संख्या; तथा

(ख) उन्हें प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले प्रयत्न ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) अपहृत व्यक्तियों की निःशेषी संख्या बता सकना संभव नहीं है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से अपहृत व्यक्तियों की खोज कर रही है; पाकिस्तान सरकार ने जम्मू तथा काश्मीरराज्य की युद्ध विराम रेखा के उस ओर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से अपहृत व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिये भी पग उठाये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि तथाकथित आजाद-काश्मीर से अपहृत स्त्रियों को प्राप्त करने के लिये बना यह संघटन कब तक चलेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह संघटन एक विशालतर संगटन का अंग है । यह पृथक संघटन नहीं है । अनुमानतः यह यथावश्यक काल तक चलेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या कोई असरकारी एजेंसी सरकारी है । इस संघटन में अनेक गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता भी सरकार के अधि-नियंत्रण में रहते हुए काम करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उस भाग से भारत में प्रव्रजित हुए व्यक्तियों द्वारा पीछे रहे अपने संबंधियों की खोज के बारे में कुछ अभ्यावेदन किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सभी खोज-कार्य इस प्रकार प्राप्त हुई सूचना पर ही आधारित रहता है। जब सूचना प्राप्त होती है, तो तदनुसार आगे बढ़ कर जांच की जाती है और उस व्यक्ति का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है और पता लगने पर आगे कार्य होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री गिडवानी ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि यह संघटन .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं उन से अगला प्रश्न रखने के लिये कह रहा हूं ।

सीमा की घटनाएं

*१२. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान श्री आर० एन० बनर्जी मजिस्ट्रेट अलीपुर के उस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में पश्चिमी बंगाल की सुरक्षा और संस्थिति को खतरा पहुंचाने वाली विध्वंसात्मक कार्यवायियां करने के उद्देश्य से एक आपराधिक षड्यंत्र में भाग लेने के लिये कुछ पाकिस्तानी प्रजाजनों और साथ ही भारतीय प्रजाजनों को १८ सितंबर १९५३ को दंडित किया गया था ?

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या पूर्व-सावधानी की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) तथा (ख). अभियुक्तों को अपराधी ठहराया जा चुका है और उन्होंने सत्र-न्यायाधीश, २४ परगना, पश्चिमी बंगाल के पास मजिस्ट्रेट अलीपुर के दंड के विरुद्ध अपील की है और अभियोग न्यायाधीन है।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है, जैसा कि निर्णय में बताया गया है कि पाकिस्तानी प्रजाजन सीमा पार कर के २४ परगना के बसीरहाट जिले में घुस आए और कई घरों में जा कर उन्होंने उनके साथ योजना बनाई कि बसीरहाट को पाकिस्तान में मिला दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जब अभियोग न्यायाधीन है, तो कुछ भी प्रश्न न पूछना ही ठीक है। अगला प्रश्न।

सिन्दरी उर्वरक

***१३. श्री गिडवानी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाईम्स" नई दिल्ली, की २१ सितम्बर, १९५३ वाली सम्पादकीय टिप्पनी की ओर दिलाया गया है जो कि सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड द्वारा अन्य कम्पनियों के साथ किये गये समझौतों के बारे में सरकार द्वारा सूचना न देने के सम्बन्ध में है, जिसके विषय में सरकार का यह कहना है कि सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के विधान के अन्तर्गत सरकार को उसके दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर की गई किसी भी कम्पनी के सामान्य अंशधारियों को इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का अधिकार अंशधारियों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। अंशधारियों को जो कुछ बताया जाता है वह मामले के गुण दोष के अनुसार संचालकों के स्वविवेक पर निर्भर होता है जिसका प्रयोग कानून तथा समवायसंथा नियम के अन्तर्गत किया जाता है। इस में एक मुख्य विचार यह है कि जहां अंशधारियों को कम्पनियों के कार्यों की सूचना दी जाय, वहां उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई जानी चाहिये जिससे कि कम्पनी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि क्या सरकार इस सदन के सदस्यों को राज्य उपक्रमों की, जिनमें जनता का धन लगा है, नीति तथा प्रशासन की मुख्य बातों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं देगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार सदन को वह सूचना देने के लिये सदा ही तय्यार है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन समझौतों की प्रतियां सदन पटल पर रखने के लिये और इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये तय्यार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कौन सी प्रतियां ?

डा० लंका सुन्दरम् : सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी तथा अन्य कम्पनियों के बीच जो समझौते हुए हैं।

श्री के० सी० रेड्डी : हम विभिन्न उपक्रमों के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण समझौतों की प्रतियां सदन पटल पर रखते रहे हैं। किन्तु, यहां तो सिन्दरी उर्वरक कम्पनी द्वारा अन्य गैर सरकारी कम्पनियों के साथ की गई संविदाओं की प्रतियों को सदन पटल पर रखने का प्रश्न था। इस विषय में ऐसा समझा गया था कि इन संविदाओं की प्रतियों को सदन पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : इस प्रश्न में इस प्रकार के उपक्रमों पर इस सदन के वित्तीय

नियंत्रण की बातें निहित हैं । यह अत्यधिक आवश्यक सूचना है इसीलिये मैं यह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है । माननीय मंत्री ने एक पत्र भी लिखा है .....

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ऐसे मामले में सरकार आप से पथप्रदर्शन की आशा करती है । स्वायत्तशासी संगठन तथा सरकार और राज्य संगठन अपने दैनिक कार्य चलाने के लिये ठेके आदि करते हैं और सरकार सामान्य रूप से इन कामों में हस्तक्षेप नहीं करती । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, निस्सन्देह यह सदन किसी भी बात में हस्तक्षेप कर सकता है और किसी ने भी सदन के हस्तक्षेप करने के अधिकार के मामले में चुनौती नहीं दी है । किन्तु यहां तो प्रश्न यह है कि क्या संगठन के ऐसे छोटे छोटे मामलों, छोटे छोटे ठेकों की बातों और दैनिक कार्यों की बातों को सदन में रखना उचित और वांछनीय है ? इससे उस संगठन का स्वायत्त शासन खत्म हो जायगा और यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगा । किन्तु यदि किसी महत्वपूर्ण मामले के विषय में सदन यह चाहे कि उस पर चर्चा हो तो उस पर सदन में अवश्य चर्चा हो सकती है ।

श्री टी० एन० सिंह : जहां तक मैं जानता हूं यह प्रबन्ध व्यवस्था एक सहायक कार्य के लिये एक सहायक कम्पनी के साथ की गई थी । राज्य की वित्त व्यवस्था के अभिरक्षक के रूप में सदन को यह बात जानने का अधिकार है कि उस कम्पनी के काम किस प्रकार चलाये जा रहे हैं । यह धन संचित निधि में से लिया गया है । इसलिये, यह सूचना दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । इस समय मैं इस प्रश्न पर कोई विस्तृत विनिर्देश नहीं देना चाहता । किन्तु मेरा विचार यह है कि सदन को ऐसी सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो आवश्यक हो और जो इस बात को मालूम करने में ठीक और उचित हो कि इस विशेष निगम का, जो कि स्वायत्तशासी है, कार्य ठीक प्रकार से चलाया जा रहा है या नहीं ।

डा० लंका सुन्दरम् : यह एक महत्वपूर्ण बात है । आंक समिति ने दामोदर घाटी निगम के इस मामले पर विचार किया था । बाद में एक तदर्थ समिति ने इस मामले की जांच की और यह कहा कि इस सदन का वित्तीय नियंत्रण, जिसकी जांच समिति ने सिपारिश की थी, नहीं रहना चाहिये । इसी लिये मैंने इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि इस सदन के वित्तीय नियंत्रण से आपका अभिप्राय क्या है । उस नियंत्रण के मामले में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं करना चाहता । प्रश्न तो यह है कि निगम के कार्य संचालन के बारे में विस्तृत बातें मालूम करना कहां तक उचित है । यदि एक अलग प्रश्न किया जाय और ऐसी कोई बात स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दी जाय जिससे यह आवश्यकता प्रतीत हो कि वित्तीय मामलों की जांच करना ज़रूरी है, तो यह काम अध्यक्ष का है कि वह इस बात को देखे कि इस प्रश्न के लिये अनुमति दी जाय या नहीं । साधारणतया, नियम यह है कि स्वायत्तशासी निकायों के मामले में इनके प्रशासन और कार्य संचालन के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालयों के बारे में प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जाती है । साधारण नीति का प्रश्न तो एक दूसरा ही मामला है ।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि आप अनुमति देंगे तो बाद में मैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछूंगा । चूंकि ये निगम पूर्ण रूप से स्वायत्तशासी है इसलिये इनके बारे में कुछ भी जानने की अनुमति नहीं दी जाती । उनके सन्तुलन पत्र भी ठीक प्रकार से नहीं मिलते और न उन पर वाद विवाद ही करने दिया जाता है ।

श्री के० सी० रेड्डी : ये सन्तुलन पत्र दे दिये जाते हैं और लाभ और हानि के विवरण प्रकाशित करवा दिये जाते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन स्वायत्त-शासी निगमों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले सन्देहों और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस सदन को इन स्वायत्तशासी निगमों के कार्य संचालन के बारे में शीघ्र सूचना देने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अस्पष्ट है और बहुत विस्तृत है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि प्रश्न उठे हैं और महालेखा परीक्षक ने कुछ बातें कहीं हैं जिनको स्पष्ट किया जाना चाहिये, क्या सरकार का ऐसा विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरी बात है। मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में सरकार का क्या विचार है ।

श्री के० सी० रेड्डी : सन्तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण हमेशा सदन पटल पर रख दिये जाते हैं और इस पर कई प्रकार से वाद विवाद किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, जब उत्पादन मंत्रालय के लिये मांगें प्रस्तुत हों तो उस समय वाद विवाद किया जा सकता है । जब लाभ तथा हानि के विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं तो सदन से अनुमति लेकर इस पर वाद विवाद किया जा सकता है । ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे वाद विवाद किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

फोटोइलास्टिक प्रयोग शाला

*१४. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार भारत में एक फोटोइलास्टिक प्रयोगशाला खोलने वाली है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो प्रयोग शाला के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

(ग) इसके लिये कितने खर्च का अनु-मान लगाया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) फोटोइलास्टिक प्रयोग शाला खोलने का कोई विचार नहीं है । पूना के केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र के भौतिकी विभाग में प्रयोगात्मक खिंचाव विश्ले-षण के, जिनमें फोटोइलास्टिक की प्रणाली भी सम्मिलित है, भिन्न भिन्न तरीकों के विकास के लिये उपकरण और सामग्री हैं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

टैक्निकल अधकारियों की कमी

*१५. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनुभवी टैक्निकल अधिकारियों की, विशेषकर वरिष्ठ कर्म-चारी वर्ग में, वर्तमान अत्यधिक कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई योजना विचारा-धीन है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वह कौनसी योजना है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) जी हां ।

(ख) जो टैक्निकल कर्मचारी हैं उनसे काम लेने के लिये सरकार केन्द्र में अनुभवी इंजीनियरों का एक 'समूह' बनाने के लिये एक योजना पर विचार कर रही है। जिन बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में निर्माण हो रहा है उनमें इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये भी योजनायें बनाई जा रही हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सत्य है कि ऐसे बहुत से आवेदकों के, जो विदेशों में टैक्निकल प्रशिक्षण के लिये जाना चाहते हैं, आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : कुछ ऐसे आवेदन पत्र हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । किन्तु इस समय इन परियोजनाओं में जितने आदमियों की ज़रूरत थी वे ले लिये गये हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : मैं जान सकता हूं कि सरकार उनकी सहायता किस प्रकार करेगी ?

श्री नन्दा : इस मामले के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय में काम किया जा रहा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इंजीनियरों के एक समूह बना देने से टैक्निकल कर्मचारियों की कमी की समस्या हल हो जायेगी और क्या सरकार ने कोई अन्य कार्य किया है ?

श्री नन्दा : जी हां । अन्य कार्य भी किये गये हैं । पर्याप्त रूप से कार्यकुशल सेवा निवृत्ति इंजीनियर भी हैं, और हम उन से काम लेते रहे हैं ; और जब आवश्यकता होगी उन्हीं से फिर काम लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मलाया में प्रवेश करने के सम्बन्ध में पाबन्दियां

***१६. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलायन प्राधिकारियों के पास भेजे गये उस सन्देश के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें उनका ध्यान उन कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया था जो आप्रवासी अध्यादेश के अन्तर्गत जिसे १ अगस्त, १९५३ से लागू किया जाना था, नय आप्रवासियों द्वारा अनुभव किये जाने की संभावना थी ;

(ख) क्या इस मामले को और आगे बढ़ाया गया है और यदि हां, तो किस प्रकार से ; तथा

(ग) १ अगस्त, १९५३ से क्या किसी भारतीय ने मलाया या सिंगापुर के उपनिवेश में प्रवेश किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). इस वर्ष एक अगस्त से मलाया तथा सिंगापुर की संघ सरकारों द्वारा लागू किये गये आप्रवासी अध्यादेशों के अन्तर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश पत्र दिये जाते हैं जिनका विचार उस प्रायद्वीप में जाकर नौकरी करने का है तथा या तो उनके पास उच्च वृत्तिक अर्हतायें हैं या उन्हे इस बात का आश्वाशन प्राप्त हो गया है कि उन्हें कुल मिलाकर प्रति मास ५०० स्ट्रेट डालर (लगभग ७७५ रुपये) कम से कम दो वर्ष तक मिलते रहेंगे । मलाया स्थित हमारे प्रतिनिधि ने सिंगापुर तथा संघ दोनों ही सरकारों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था कि ५००/- स्ट्रेट डालर की सीमा कम कर दी जाये क्योंकि इसका प्रायद्वीप में

व्यापार करने वाली भारतीय वाणिज्यिक फर्मों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । यद्यपि वे अध्यादेशों में संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हैं, फिर भी, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि यदि वास्तविक कार्य संचालन में यह शर्तें कड़ी प्रमाणित हुई तो वे किसी भी ऐसे अभिवेदन पर पूरी तरह से विचार करेंगे जो वहां पर स्थित भारतीय फर्मों की ओर से दिया जायेगा ।

(ग) जी हां । अगस्त और सितम्बर, १९५३ की अवधि में १४२ भारतीय नागरिकों को सिंगापुर के उपनिवेश में तथा २७ को मलाया संघ में नये प्रवेश करने वालों के रूप में प्रवेशपत्र दिये गये थे । इसके अलावा २९१ व्यक्तियों को सिंगापुर तथा १,८३५ व्यक्तियों को मलाया संघ को "वापस लौटने वाले नागरिकों" के रूप में प्रवेशपत्र दिये गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई ऐसा भारतीय भी है जिसने प्रार्थना पत्र दिया हो और उसे प्रवेश करने की अनुमति न दी गई हो और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें इन अध्यादेशों के लागू कर दिये जाने के कारण प्रवेश नहीं करने दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पिछले तीन महीनों में हमारे पास केवल एक ही मामला ऐसा आया है जिसमें मलाया में प्रवेश नहीं करने दिया गया तथा दो मामले ऐसे आये हैं जिनमें मलाया में पुनः प्रवेश नहीं करने दिया गया, किन्तु पता लगा है कि सिंगापुर में प्रवेश न करने देने के तो लगभग १०० मामले हुए हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इन व्यक्तियों का क्या हुआ ? क्या वे भारत वापस लौट आये या उन्हें और कहीं जाने दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं बतला सकता कि उन्हें क्या हुआ । मेरे विचार में वे वापस ही लौट आये होंगे । या हो सकता है जाने से पहले उन्होंने अनुमति मांगी हो और उन्हें अनुमति न मिली हो और इस प्रकार वे गये ही न हों ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन्होंने भारत सरकार के पास ऐसा कोई अभिवेदन नहीं भेजा कि वह उन्हें और कहीं बसने में सहायता दें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि भारत सरकार इस मामले पर लगातार पिछले छः महीनों से बातचीत कर रही है तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले को ले रही है । हम मलाया या सिंगापुर के आप्रवासी प्राधिकारियों से यह नहीं कह सकते कि वे हर उस व्यक्ति का प्रवेश करना स्वीकार कर लें जो वहां जाना चाहता हो ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन व्यक्तियों ने, जिन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी, भारत सरकार के पास कोई अभिवेदन भेजा था कि वह उन्हें वापस लौटने में या और कहीं जाने में सहायता दे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार द्वारा उनकी सहायता करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हम उन्हें प्रवेश करने में सहायता देते हैं । हमारा वहां पर जो प्रतिनिधि है वह उनके मामलों को लेता है तथा कभी कभी जब मलाया सरकार या सिंगापुर सरकार उससे सहमत नहीं होती तो वे व्यक्ति अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं ।

सरकारी दफ्तरों में खादी का प्रयोग

***१८. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी दफ्तरों में खादी को

लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या अखिल-भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने उन सुझावों को बतलाया है जिनके अनुसार विभिन्न राज्यों में उपरोक्त तथा ऐसे ही कार्यों के लिये खद्दर विक्रय विधेयक में संशोधन किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो उसके सुझाव क्या हैं ;

(घ) क्या बोर्ड की अनुसंधान संस्था कमेटी ने मिल की बनी खादी तथा अन्य प्रकार के कपड़े के स्थान पर खादी की किस्म तथा उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार किया है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खादी को अधिक मात्रा में उपयोग करने से जो समस्यायें उत्पन्न होंगी उन पर विचार करने के लिये एक उप-कमटी बना दी गई है। हाल ही में भारत सरकार के समस्त दफ्तरों को ऐसे आदेश भेजे जायेंगे जिनमें यह कहा जायेगा कि परदों, झाड़नों तथा अन्य विविध कार्यों के लिये वे तुरन्त ही खादी का प्रयोग करना आरम्भ कर दें ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ) खादी बोर्ड से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या खादी की बिक्री के लिये कोई लाइसेन्स देने वाला प्राधिकार बना दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : अनुसंधान संस्था कमेटी ने सलाह तथा मार्ग-प्रदर्शन के लिये क्या कोई अवैतनिक सलाहकार रखे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान भाग (घ) तथा (ङ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं । सूचना मांगी गई है तथा मैं उसे तब ही रख सकता हूं जब प्राप्त हो जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : पुलिस तथा सेना को छोड़ कर सरकार के विभिन्न विभागों को इस हिदायत के भेजने में देर करने का क्या कारण है कि वे तुरन्त ही खादी खरीदना आरम्भ कर दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले का सम्बन्ध निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय से है तथा देखने से तो यही पता लगता है कि इस मामले में जल्दी की जा रही है ।

श्री दाभी : सरकारी विभागों द्वारा खादी खरीदने के सम्बन्ध में क्या अखिल-भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने सरकार से कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो उन्हें किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर वही है जो मैंने भाग (क) के सम्बन्ध में दिया है ।

सेठ गोविन्द दास : यह उप-कमेटी कब से कार्य कर रही है तथा यह भारत सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं बतला चुका हूं, आशा की जाती है कि सम्बन्धित मंत्रलाय शीघ्र ही हिदायतें जारी कर देगा ।

श्री मुनिस्वामी : सरकारी दफ्तरों में खादी का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सिफारिश करते हुए क्या मितव्ययता पर भी विचार किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, श्रीमान् । सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु कभी कभी मितव्ययता को अन्य कीमती बातों के लिये त्याग दिया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : पोन्डुर खादी के समान अन्य प्रकार की बढ़िया खादी तैयार करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना दें तो मैं खादी बोर्ड से यह सूचना ज्ञात कर सकता हूं ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

***१९. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनियम सल्फेट प्लांट को चलाने के लिये समस्त महत्वपूर्ण कर्मचारियों को मैसर्स केमिकल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, न्यूयार्क ने प्रशिक्षित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितने बाहर प्रशिक्षित किये गये थे तथा किन किन स्थानों पर ;

(ग) इस समय अब भी कितने गैर-भारतीय सिन्दरी कारखाने में काम कर रहे हैं तथा वे किन किन पदों पर नियुक्त हैं ; तथा

(घ) इस समय कारखाने में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा कितने व्यक्तियों को मासिक वेतन मिल रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कारखाना चलने से पहले भर्ती किये गये समस्त महत्वपूर्ण टेकनिकल व्यक्तियों को केमिकल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन की सहायता से तैयार की गई योजना के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था ।

(ख) २३ व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षित किया गया था—इंग्लैण्ड, कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ।

(ग) कारखाने में तीन गैर-भारतीय काम कर रहे हैं । इस के अलावा, तीन गैर-भारतीय और भी हैं जिन्हें कारखाने के प्रबन्ध में सलाह देने के लिये संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहायता प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है । गैर-भारतीय किस पद पर काम कर रहे हैं इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

(घ) कुल संख्या ५,५६९ है जिसमें से ३,४८७ को मासिक वेतन दिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में बतलाया गया है कि अब भी तीन गैर-भारतीय काम कर रहे हैं । उन का स्थान भारतीय कब तक ले सकेंगे तथा क्या कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर भेजा गया है जिससे वे उनका स्थान ले सकें ?

श्री के० सी० रेड्डी : इन तीनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को पांच वर्ष की अवधि के लिये नौकर रखा गया है । उन्होंने अपने काम का कुछ भाग पूरा कर लिया है तथा आशा की जाती है कि वे पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् निवृत्त हो जायेंगे ।

जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन्हें अन्त में उनके स्थान पर काम करना है, इन गैर-भारतीय विशेषज्ञों में से प्रत्येक के पीछे एक एक व्यक्ति लगा दिया गया है जिनको यह विशेषज्ञ प्रशिक्षित कर रहे हैं ।

किसी भी विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये किसी को भी बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : जो कर्मचारी इस समय दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं क्या उनको मासिक वेतन पर रखना सम्भव हो सकेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं निश्चित रूप से तो यह नहीं बतला सकता कि सिन्दरी उर्वरक कारखाना दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को मासिक वेतन पाने वालों में कब तक परिवर्तित कर सकेगा किन्तु प्रवृत्ति कुछ ऐसी मालूम पड़ती है कि मासिक दर पर नौकर रखने की बजाय अधिक से अधिक व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी पर रखा जाये।

ईमारती लकड़ी का निर्यात

*२१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी घाट के बन्दरगाहों से होने वाले चीरी हुई लकड़ी के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ?

(ग) यह प्रतिबन्ध क्यों लगाये गये हैं ?

(घ) भारत के इमारती लकड़ी के उद्योग पर सामान्य रूप से तथा मलाबार के उद्योग पर विशेष रूप से इन प्रतिबन्धों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) . माननीय सदस्य संभवतः उन प्रतिबन्धों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो, प्लाइउड उद्योग के लिये तथा रेलवे स्लीपरों के लिये चार फीट से अधिक परिधि वाली इमारती लकड़ी के संभरण का संरक्षण करने की दृष्टि से, कुछ समय पूर्व, कोचीन बन्दरगाह से निर्यात किये जाने वाले तख्तों तथा लकड़ी के बोटों पर लगाये गये थे। हाल ही में इस प्रश्न पर और भी विचार किया किया गया तथा ३ अक्तूबर १९५३ से तख्तों तथा बोटों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिबन्ध केवल कलकत्ता तथा कोचीन बन्दरगाहों में लगाये गये थे और बम्बई बन्दरगाह में नहीं लगाये गये थे।

श्री करमरकर : प्रतिबन्ध तो अनेक हैं परन्तु मैं उन सब को बताने में सदन का समय नहीं खराब करूंगा। कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं जो उस वक्त से हटा लिये गये हैं। उदाहरण के लिये जिस प्रकार की इमारती लकड़ी का जिक्र किया गया वह ऐसे सब स्थानों को निर्यात की जा सकती हैं जहां निर्यात करने की आज्ञा है परन्तु साल, शीशम, बिजासल, बेनटीक, टीक के रेलवे स्लीपर इस प्रकार से निर्यात नहीं किये जा सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ सामान्य प्रतिबन्ध हैं। जहां तक मलाबार की जंगली लकड़ी का सम्बन्ध है——इसलिये कि विशेष कर उस प्रकार की लकड़ी मलाबार की ओर से आती थी——हम बता चुके हैं कि मलाबार की जंगली लकड़ी की यह प्रसिद्ध किस्में जिन की परिधि चार फीट से कम है इन के निर्यात करने की पूरी स्वतंत्रता है। इसलिये हमारे आदेश सुसंगत थे।

प्रलेखीय चलचित्र

*२२. **श्री आर० एस० लाल** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार तथा

आन्ध्र में हाल में आने वाली बाढ़ के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय चलचित्र बनाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन स्थानों के ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) . आसाम, आन्ध्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की बाढ़ तथा बाढ़ सहायता कार्यों के सम्बन्ध में अभी तक छै समाचार चलचित्र बनाये गये हैं । आवश्यकता पड़ने पर और भी बनाये जाएंगे । एक पृथक प्रलेखीय चलचित्र के लिये इसे उचित विषय नहीं विचार किया गया है ।

प्लास्टिक उद्योग

***२३. ठा० लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने देश भारतीय प्लास्टिक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं तथा १९४८ से लेकर १९५३ के बीच में विदेशों को भेजी जाने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का परिमाण तथा मूल्य कितना है ?

(ख) प्लास्टिक उद्योग में अब कितने आदमी काम कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ख) १२,००० (लगभग)

सदन की सूचना के लिये मैं इतना और बता सकता हूं कि १९५३ में निर्यात का कुल मूल्य ११,८९,००० रुपया था ।

कोयला

***२४. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी से ३० सितम्बर १९५३ तक कोयले का कुल उत्पादन कितना हुआ ?

(ख) गत वर्ष के अनुक्रमिक काल के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन की स्थिति कैसी है ?

(ग) निर्दिष्ट काल में निर्यात किये जाने वाले कोयले की कुल मात्रा कितनी है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग) १९५३ तथा १९५२ (जनवरी से सितम्बर तक) के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

१९५३	उत्पादन (टनों में)
(जनवरी-सितम्बर)	२७,०७०,३०४
१९५२	
(जनवरी सितम्बर)	२७,१३७,८३५
१९५३	निर्यात (टनों में)
(जनवरी-सितम्बर)	१,६२३,५६९
१९५२	
(जनवरी-सितम्बर)	२,५९७,६९०

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान, बंगाल कोल कम्पनी के अध्यक्ष श्री सिम के इस कथन की ओर, दिलाया गया है कि निर्यात में होने वाली कमी, सेलेक्ट (ए) ग्रेड कोयले के निर्यात पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों, के कारण हुई है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं मुझे इस का पता नहीं है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष कोयला किन देशों को भेजा गया था ?

श्री आर० जी० दुबे : गत वर्ष कोयला, आस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग तथा अनेक अन्य देशों को भेजा गया था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं खोद कर निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा में १९५३ में होने वाली कमी का कारण जान सकता हूं ?

श्री आर० जी० दुबे : १९५३ में, उत्पादन

की कमी का कारण कोई कठिनाई नहीं थी वरन् इस का कारण यह था कि एक परामर्श-दायी बैठक में कोयला आयुक्त ने उत्पादकों को परामर्श दिया था कि यातायात की सुविधाओं में सामान्य कमी होने के कारण उन्हें अधिक उत्पादन नहीं करना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : इस से उत्पन्न होने वाली आनुक्रमिक बेकारी कितनी थी ?

श्री आर० जी० दुबे : इसके कारण कोई खास बेकारी नहीं हुई ।

भद्रावती आयरन एन्ड स्टील वर्क्स

*२५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई १९५३ को, तारांकित प्रश्न संख्या १८४८ के अनुपूरक प्रश्नों के दिये जाने वाले उत्तरों की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू वर्ष में, भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स मैसूर राज्य की सहायतार्थ किये जाने वाले एक करोड़ रुपये के उपबन्ध को कम्पनी ने प्राप्त कर लिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अभी तक ४५·४८ लाख रुपया कम्पनी द्वारा प्राप्त कियाजा चुका है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस धनराशि का उपयोग कास्ट आयरन प्लांट के संस्थापन के लिये किया जायगा या स्पन पाईपप्लांट के संस्थापन के लिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तक जो धनराशि प्राप्त की गई है उस का उपयोग अतिरिक्त बिजली की भटिटयां लगाने के लिये किया गया है—उन के पास दो अतिरिक्त बिजली की भटिटयां हैं—जो लगाई जा रही हैं । जहां तक स्पन पाईप प्लांट का प्रश्न है, हम कुछ ऐसी धनराशि निर्धारित कर रहे हैं जो इस वर्ष प्राप्त की जा सकेगी परन्तु वह धनराशि, ४५,४८,००० रुपये के अतिरिक्त होगी जो कि प्राप्त की जा चुकी है ।

स्थानीय कार्य प्रोग्राम

*२६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय योजना के स्थानीय कार्य प्रोग्राम के अन्तर्गत अब तक पूरी की जाने वाली स्कीमों की संख्या कितनी है तथा उन का स्वरूप कैसा है ?

(ख) इन कार्यों पर सरकार द्वारा अब तक व्यय किये जाने वाली कुल धनराशि कितनी है तथा जनता से प्राप्त होने वाली सहायता की कुल धनराशि कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिससे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम की वर्तमान उन्नति का विस्तार प्रकट होता है [**प्रतिलिपि पुस्तकालय में रख दी गई है, देखिये संख्या एस/५०/५३**]

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्थानीय कार्य प्रोग्रामों के लिये प्रयोग में लाये जाने वाली प्रक्रियाएं तथा स्थापित किये जाने वाले संगठन विभिन्न राज्यों में समान हैं या भिन्न भिन्न हैं ?

श्री हाथी : प्रक्रियाएं समान हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि बहुत से राज्यों में पेशगी में निधि प्रदान करने का कोई उप-बन्ध नहीं है, इस लिये कार्य की उन्नति अवरुद्ध हो गई है ?

श्री हाथी : भुगतान का एक भाग पेशगी देने का एक उपबन्ध है । परन्तु पूरा भुगतान तभी किया जाता है जब वास्तविक बिलों की जांच हो जाती है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि रुपया संमोदित करने के पूर्व इन स्थानीय कार्यों की जांच करने तथा इन्हें स्वीकृति

प्रदान करने के लिये कोई केन्द्रीय अधिकारी नियुक्त हैं ?

श्री हाथी : जहां तक राज्यों के प्रोग्रामों का सम्बन्ध है, यह सभी अनुदान राज्यों को दिये जाते हैं। योजना आयोग ने, प्रत्यक्ष सहायता देने के लिये पचास लाख रुपया रोक लिया है ; और जहां तक इस धनराशि का सम्बन्ध है, इन कार्यों की जांच यहां की जाती है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है, राज्य अधिकारी उन की जांच करते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विभिन्न राज्य सरकारों को किये जाने वाले निधि वितरण का आधार क्या है ?

श्री हाथी : जनसंख्या का आधार।

हलका संगीत

*२७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आल इण्डिया रेडियो से प्रसारित हलके संगीत के अनुपात को कम करने के कारण क्या हैं ?

(ख) क्या भविष्य में हलके संगीत की प्रतिशतता में बृद्धि करने का कोई विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आल इण्डिया रेडियो केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले हलके सगीत में कोई विशेष कटौती नहीं की गई है। अलग अलग स्टेशनों से प्रसारित किये जाने वाले हलके संगीत की प्रतिशतताएं भिन्न हैं क्योंकि इस के लिये हम उस क्षेत्र में उपलब्ध योग्य कलाकारों पर निर्भर करते हैं।

(ख) हलके संगीत के सुधार के प्रश्न पर बराबर विचार किया जा रहा है तथा संगीत कीं विभिन्न किस्मों में कोई निश्चित अनुपात नहीं निर्धारित किया गया है।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि आल इण्डिया रेडियो से प्रसारित हलके संगीत में कोई कटौती या इसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के पूर्व जनता से राय ली जाती है ?

डा० केसकर : जहां तक सम्भव है, कार्यक्रम में कोई बड़ा परिवर्तन करने के पूर्व श्रोताओं में होने वाली प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जाता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि, यदि श्रोतागण और अधिक हलके संगीत की मांग करें तो क्या वह केन्द्र उन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ?

डा० केसकर : मैं समझ नहीं पाया कि प्रश्न क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्रोतागण और अधिक हलके संगीत की मांग करें तो क्या वह उन की आवश्यकता की पूर्ति करेगा ?

डा० केसकर : यदि श्रोताओं की संख्या सीमित हो तो उनकी रुचि का पता लगाना सरल है। सामान्य रूप से श्रोताओं की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं तथा विभिन्न श्रोताओं की रुचियों पर विचार कर के हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि पक्के गानों की तुलना में हलका संगीत अधिक जन-प्रिय है ?

डा० केसकर : श्रीमान . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री को पता है कि आजकल प्रसारित किये जाने वाले संगीत में विद्यमान परिवर्तन के कारण ही, श्रोतागण बहुधा रेडियो लंका, रेडियो गोआ तथा अन्य विदेशी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुना करते हैं ?

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

*२८. **श्री तिम्मय्या** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) औद्योगिक मज़दूर गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत, मैसूर सरकार को १९५३ के लिये दी गई राशि ;

(ख) क्या यह योजना कोलार की सोने की खानों के मज़दूरों के लिये भी लागू होती है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा १५८८ छोटे-छोटे मकान बनाने के लिये २२;२४,४८० रु० की आर्थिक सहायता तथा इतनी ही राशि ऋण स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है ।

(ख) तथा (ग) . नहीं, श्रीमान् । अपवाद स्वरूप कारणों के अभाव में, यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लाभ के लिये है जो फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं वे अपवाद स्वरूप कारण जान सकता हूं जिनके कारण यह योजना कोलार की सोने की खानों में लागू नहीं होती ?

सरदार स्वर्ण सिंह : खानों में काम करने वाले मज़दूरों के संबंध में, उनमें से केवल वे ही मजदूर इस योजना से लाभ उठा सकेंगे जो इन खानों से सम्बद्ध निर्माण-शालाओं में काम करते होंगे ।

श्री तिम्मय्या : इस दृष्टि से कि कोलार सोने की खानों में गृह-व्यवस्था की स्थिति बड़ी शोचनीय है, क्या सरकार अपनी योजना के अनुसार जान टेलर कम्पनी से गृह निर्माण संबंधी सुविधायें देने के लिये कहेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न श्रम मंत्रालय को बताया जाना चाहिये, किन्तु हम कोलार की सोने की खानों को सहायता देना चाहते हैं । विषेश अवस्था में उस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जिनका मैं कुछ क्षण पूर्व वर्णन कर चुका हूं, कुछ सहायता करने पर हम पहले ही सहमत हो चुके हैं ।

श्री तिम्मय्या : बनने की आशा किये जाने वाले मकानों की कुल संख्या में से इस समय तक कितने मकान बन कर तैयार हो गए हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कहां ?

श्री तिम्मय्या : मैसूर में ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैसूर के लिये हम ने अभी योजनाओं की स्वीकृति दी है ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया धन विभिन्न राज्यों द्वारा व्यय किया जा रहा है तथा क्या सरकार नियमित रूप से इसकी जांच कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : राज्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस धन को व्यय नहीं कर रहा है । सरकार की गई उन्नति के सम्पर्क में रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मैसूर तक ही सीमित हैं ।

कोयला

*२९. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला आयुक्त से स्वीकृत कोयला भेजे जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार कोयले की खानों को आवंटित किये जाने वाले मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या का अन्तिम निर्णय कौन करता है ?

(ख) वह मानदण्ड क्या है जिसके आधार पर कोयला भेजने के कार्यक्रम वापस ले लिये गए हैं तथा कोयला आयुक्त द्वारा स्वीकृत हो गए हैं ?

(ग) कोयला आयुक्त के कार्यालय तथा रेल अधिकारियों के बीच मालगाड़ी के डिब्बों की वास्तविक उपलब्धता प्राप्त कर कोयला भेजने के कार्यक्रम में समन्वय के लिये संबंध स्थापित करने का सूक्ष्म उपाय क्या है ?

(घ) विभिन्न रेलों के मालगाड़ी के डिब्बों की माल ले जाने की शक्ति कितनी है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग) सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(घ) माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सभी बड़ी लाइनों पर जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर १९५३ में माल भरे डिब्बों की औसत संख्या तथा ले जाये गये डिब्बों की संख्या के विषय में सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

श्री टी० के० चौधरी : सदन पटल पर रखे गए विवरण से ज्ञात होता है कि कार्यक्रमों के बीच गड़बड़ी है। मैं संक्षेप में यह जानना चाहता था कि क्या कोयला आयुक्त द्वारा बनाया गया कोयला ले जाने का कार्यक्रम मालगाड़ी के डिब्बों की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता के कारण रेल पदाधिकारियों अथवा अन्य किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा अन्ततोगत्वा उसमें कुछ काटछांट कर दी जायगी।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) किसी हद तक ऐसा होता भी है।

श्री टी० के० चौधरी : (घ) के संबंध में मैं देखता हूं कि प्रतिदिन लादे गए डिब्बों की संख्या दे दी गई है। मैं रेलों के डिब्बे लादने की शक्ति जानना चाहता था। विभिन्न बड़ी लाइन की रेलों के डिब्बों में लादने की अनुमानित शक्ति क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सदन पर रखा गया विवरण वह सूचना देता है। 'लादे गए डिब्बों की संख्या (अर्थात् रेलवे के पास होने वाले डिब्बों की दैनिक औसत संख्या)' प्रत्येक रेल की।

श्री टी० के० चौधरी : यह मैं विवरण से ही जान सकता हूं। मैं यहां पर दी गई रेलों की लादने की अनुमानित शक्ति जानना चाहता हूं।

श्री के० सी० रेड्डी : इसी लिये उत्तर में कहा गया है कि मुझे यह नहीं पता है कि सदस्य वास्तव में चाहते क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः प्रश्न बाद को रेल मन्त्रालय को सम्बोधित कर दिया जायगा।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं वही सूचना दे रहा था जो रेल मंत्रालय से प्राप्त हुई है। यदि माननीय सदस्य लादे गए डिब्बों की औसत संख्या जानना चाहते हैं, तो वह भी दे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इसके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं है। मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

श्री वी० पी० नायर : उन्होंने प्रश्न को समझा नहीं है।

चीनी उद्योग के लिये विकास परिषद्

*३०. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी उद्योग के लिये विकास परिषद् स्थापित की जा चुकी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं तथा परिषद् के कार्य का प्रोग्राम क्या है ?

(ग) क्या कोई विशेषज्ञ सम्मति लेने के लिये नियुक्त किये गए हैं ?

(घ) यदि ऐसा है, तो कितने ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी नहीं । परिषद् की स्थापना करने के लिये कार्य-वाहियां की जा रही हैं ।

(ख) से (घ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : उस परिषद् की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कब से शुरू होगी, यह बता सकना मेरे लिये कठिन है, मैं समझता हूं कि हम लोग एक परिषद् की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस परिषद् को राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले गन्ना उप-कर में से व्यय स्वीकृत करने का अधिकार होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं ऐसा नहीं समझता, किन्तु इस विषय में मैं अपनी सम्मति प्रकट करने का साहस नहीं करूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछले अधिवेशन में उनसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर माननीय मंत्री ने ऐसा ही उत्तर नहीं दिया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि यह तथ्य नहीं है क्योंकि पिछले अधिवेशन में चीनी के लिये विकास परिषद् के निर्माण की बात तक मेरे मस्तिष्क में नहीं थी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : इस परिषद् में किन हितों का अभ्यावेदन किया जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जिन तत्वों का विकास परिषद् में अभ्यावेदन किया जायगा वे विकास परिषद् के निर्माण के लिये बने हुए नियमों में दिये हुए हैं । नियमों की एक प्रतिलिपि, मुझे विश्वास है, सदन के पुस्तकालय में है ।

उर्वरक-मिशन

*३१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ दल का, जो उर्वरक संयंत्रों को देखने के लिये जापान, अमरीका तथा यूरोप भेजा गया था, प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी के विस्तार की किन दिशाओं में तथा किन मूल्य पर सिफारिश की गई है ?

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो उस पर उनके निर्णय क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां । प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में रखी हुई है ।

(ख) प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि सिन्दरी में कोयले की भट्टियों से बेकार गैसों के कुछ अंश का उपयोग करते हुए प्रति दिन ३५ टन मिह (यूरिया) तथा १८० टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन किया जा सकता है । विकल्पतः

इसने ७० टन मिह (यूरिया) तथा ११० टन अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करने का सुझाव दिया है। मूल्य का कोई भी संक्षिप्त अनुमान मिशन ने नहीं दिया है।

(ग) हां।

(घ) सरकार ने सिन्दरी में मिह (यूरिया) तथा अमोनियम नाइट्रेट बनाने की निर्माणशाला स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। संबंधित संयंत्रों के आकारों के संबंध में सरकार मांगे गये टेण्डर प्राप्त होने के पश्चात् निश्चय करेगी।

श्री टी० एन० सिंह: क्या यह सत्य है कि सरकार अथवा सिन्दरी उर्वरक निर्माण-शाला अमोनियम सल्फेट बनाने के लिये सहायक उद्योगों को चलाने के लिये किसी प्रकार का समझौता करने का विचार कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी: नहीं, श्रीमान्।

श्री टी० एन० सिंह: क्या यह सत्य नहीं है कि अमोनियम सल्फेट के प्रयोजनों के लिये इस फर्म के उप-उत्पादों का निर्माण करने के विषय में टेण्डर मांगे गए हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: जिस कार्य के लिये टेण्डर मांगे गए हैं वह मैंने बता दिया है।

श्री मेघनाद साहा: क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माणशाला के पहले अधीक्षक, श्री मुकर्जी, जिन्होंने निर्माणशाला को बनवाया था, वे भी प्रविधिक मिशन पर निर्माणशाला के विस्तार की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये भेजे गए थे ?

श्री के० सी० रेड्डी: हां, श्रीमान्। वह मिशन जिसका उत्तर में निर्देश किया गया है, श्री मुकर्जी की अध्यक्षता में भेजा गया था, जो उस समय सिन्दरी उर्वरक निर्माणशाला के प्रबन्ध संचालक थे।

श्री मेघनाद साहा: क्या यह तथ्य है कि वापस आने पर वह वायु निगम लिमिटेड में हस्तांतरित कर दिये गए थे ?

श्री के० सी० रेड्डी: हां, श्रीमान्।

श्री मेघनाद साहा: खड़े हो गये—

अध्यक्ष महोदय: अब उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मेघनाद साहा: क्या इसका तात्पर्य यह है कि सरकार निश्चित किया गया विस्तार नहीं करना चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी: इसका अर्थ यह नहीं है।

श्री मेघनाद साहा: क्या इसका तात्पर्य यह है कि यह निजी सेक्टर पर छोड़ दिया गया है .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री एच० एन० मुकर्जी: श्रीमान् क्या मैं एक सरकारी अफसर को पहले उर्वरक समस्या का अध्ययन के लिये भेजा जाना तथा वापस आने पर उसको वायु निगम लिमिटेड का सभापति नियुक्त किये जाने के कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह सत्य है कि वह प्रविधिक मिशन के सभापति थे और मिशन के सभापति की हैसियत से उन्होंने सरकार को प्रतिवेदन भेजा था। इसका यह अर्थ नहीं कि अनिवार्य रूप से उनको उस मिशन की उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उसी स्थान पर रखा जाय, जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री फैंक एन्थनी: श्रीमान. क्या मैं एक निवेदन कर सकता ? मैं इसका स्पष्टीकरण तथा यदि सम्भव हो सके

तो अध्यक्ष से संरक्षण भी चाहता हूं। प्रश्न संख्या २४ का उत्तर देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने हमको जो सूचना दी है वह सही नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह उपमंत्री हैं अथवा सभा सचिव क्योंकि मेरे विचार से [पुनर्निवास तथा जीविका कार्यालय द्वारा] जारी किए गए विवरण के अनुसार कोयले की खानों में उत्पादन की कमी के परिणाम स्वरूप वहां अत्यधिक बेकारी है। सदन के सदस्यों को क्या संरक्षण मिल सकता है। जब कि सरकारी प्रवक्ता इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं जो .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा कि माननीय सदस्य पहले मंत्री से मिल लें और स्पष्टीकर्ण कर लें और तब भी यदि सन्तुष्ट न हों तो विस्तृत व्याख्या के लिये सदन में आयें। मुझे विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, गलत है, तो उन्हें सर्वप्रथम सदन में आना पड़ेगा और अपना वक्तव्य सुधारना होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विनय नगर में सरकायी आवास स्थान

*८. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हाल में विनय नगर में भारत सरकार के क्लर्कों के लिये ५०० आवास स्थान बनाये गये थे ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो ये आवास स्थान किन्हें दिये गये ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन आवास स्थानों को उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिये रखा गया है, और यदि ऐसी बात है, तो इस का क्या कारण है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). यह ठीक है कि ५०० आवास स्थान हाल में विनय नगर में बनाये गये हैं। वे इस प्रकार के हैं जो साधारणतया १५० रुपये प्रति मास से कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं। परन्तु १५० रुपये प्रति मास से अधिक और ५०० रुपये प्रति मास से कम वेतन वाले कर्मचारियों के आवास स्थानों के अत्यभाव के दृष्टिगोचर यह निर्णय किया गया था कि ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन वाले सब श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को आवास स्थान की सुविधा प्रदान करने के लिये इन का प्रयोग किया जाय।

मैं सदन पटल पर एक विवरण पत्र रखता हूं जिस से यह पता चलेगा कि वास्तव में इन आवास स्थानों का आबंटन किस ढंग से किया गया था। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

उत्तरपूर्वी सीमान्त अधिकरण का विकास

*९. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान** मंत्री ९ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के विकास के लिये निर्धारित की गई राशि; और विभिन्न मदें, जिनके अनुसार वह राशि बांटी गई थी; तथा

(ख) प्रत्येक मद के विषय में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विकास के लिये निर्धारित राशि और विभिन्न मदें जिन के अनुसार

यह राशि बांटी गई है, तथा अब तक की गई प्रगति के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९**]

पैट्रोल का मूल्य

*१७. **श्री अमजद अली** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम राज्य में पैट्रोल के विक्रय-मूल्य में कुछ कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिशलांग में प्रति गैलन चार आने, तथा शेष समस्त आसाम में दो आने प्रति गैलन।

तृतीय विश्व मजदूर कांग्रेस

*२०. **श्री बी० वाई० रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने अक्तूबर १९५३ में वियना में होने वाली तृतीय विश्व मजदूर कांग्रेस में भाग लेने के लिये पार पत्र मांगे हैं ; और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को पार पत्र देने से इन्कार कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) तथा (ख). भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पार पात्र दिये जाते हैं। क्योंकि दिये गये पारपत्रों के अभिलेख उनके प्रयोजनों के आधार पर नहीं रखे जाते, अतः यह बतलाना असंभव है कि कितने व्यक्तियों ने तृतीय विश्व मजदूर कांग्रेस में भाग लेने के लिये पारपत्र मांगे थे, और उन में से कितने निवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये थे।

आसाम तेल समवाय

३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम तेल समवाय कब प्रारम्भ किया गया था ?

(ख) उस समवाय की अधिकृत प्रार्थित तथा परिदत्त पूंजी कितनी है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) समवाय १८९९ में पंजीबद्ध किया गया था।

(ख) अधिकृत पूंजी ४५०,००० पौण्ड
निर्गमित पूंजी ४००,००० पौण्ड
परिदत्त पूंजी ४००,००० पौण्ड

आसाम तेल समवाय

४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) डिगबोई की आसाम तेल समवाय में लगाई गई पूंजी की राशि ;

(ख) उस समवाय में नियोजित कर्मकरों की संख्या ;

(ग) १९४७ से १९५३ तक कर्मकरों को दिया गया वार्षिक पारिश्रमिक; तथा

(घ) १९४७ से १९५३ तक वार्षिक लाभ ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) डिगबोई के आसाम तेल समवाय में ७,५००,००० पौण्ड की पूंजी लगी हुई है।

(ख) समवाय द्वारा १९५२ में प्रतिदिन औसतन ७७८९ कर्मकर नियोजित किये गये थे।

(ग) इस विषय की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) १९४८ से १९५१ तक लाभांश के रूप में बांटने के लिये सिफारिश किये गये लाभ के कुल आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	पौण्ड	शिलिंग	पैंस
१९४८	१,०१२,५११	१३	२
१९४९	१,१४५,६९३	१३	११
१९५०	४१८,८०४	११	४
१९५१	१,२३८,४८०	१६	७

१९४७, १९५२, और १९५३ के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

पटसन उद्योगों के लाभ

५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अगस्त १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ के भाग (घ) के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रचलित औद्योगिक सांख्यकी विधि के अधीन पटसन निर्माण उद्योगों के समस्त लाभों का निर्धारण करने के लिये यदि कुछ कार्यवाही की गई हैं, तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

पेनिसिलीन की शीशियां

६. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ५ मई १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर की ओर निर्देश करने और उस फर्म का नाम बतलाने की कृपा करेंगे, जिसने ऐसी पेनिसिलीन की शीशियां बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है जो स्वयंगतिक रूप से पैकिट बांधने में उपयुक्त हों ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि देश के लिये इन शीशियों की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इस फर्म की उत्पादन क्षमता पर्याप्त है ?

(ग) जनवरी से अक्तूबर १९५३ तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की ये शीशियां मंगवाने की अनुमति दी गई थी ?

(घ) इनके आयात की अनुमति देने से पूर्व क्या देशी निर्माण क्षमता की ओर भी ध्यान दिया गया था ?

(ङ) कलकत्ता के उस सार्थ का क्या नाम है, जिसने दूध की बोतलें बनाने का काम अपनाया है ?

(च) उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामचारी): (क) मैसर्स अलैम्बिक गलास इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड, बड़ौदा ।

(ख) कारखाने का दावा है कि वह प्रतिवर्ष २८ लाख दर्जन शीशियां बनाने की क्षमता रखता है, जो देश की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रयोगात्मक आधार पर केवल थोड़ी सी शीशियां इस कारखाने द्वारा बनाई जाती हैं ।

(ग) सीमा शुल्क विवरणों में पेनिसिलीन की शीशियों के आयात के आंकड़े पृथक नहीं लिखे जाते ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मैसर्ज हिन्दुस्तान नैशनल ग्लास मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, रिश्रा, कलकत्ता ।

(च) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ३०० टन प्रति मास ।

ऐंटीबयोटिक्स का आयात

७. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक ऐंटीबयोटिक्स का पृथक २ नाम और मूल्य बताते हुए, पिछले

पांच वर्षों में कितने मूल्य के कुल कितनी मात्रा में ऐंटीबयोटिक्स मंगवाने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) उक्त समय में प्रत्येक सार्थ द्वारा आयात किये गये प्रत्येक ऐंटीबयोटिक्स की मात्रा और मूल्य पृथक २ बताते हुए उन सार्थों के नाम, जिन्होंने ऐंटीबयोटिक्स मंगवाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

	मूल्य हजार रुपयों में १९५२–५३	१९५३–५४ (अप्रैल–सितम्बर)
(१) क्लोरोमाईसीन	—	३७,३१
(२) स्ट्रैप्टोमाईसीन तथा इसके उत्पाद—		३६,६९
(३) दूसरे ऐंटी बयोटिक उत्पाद—		२५,९९
कुल ऐंटीबयोटिक्स	२,४५,१७	९९९९

टिप्पण : (क) १-४-५२ से पूर्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १९५२-५३ के विभिन्न उप-मदों के अधीन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी औद्योगिक एम्पोरियम

८. **श्री वी० पी० नायर**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कनाट सरकस स्थित सरकारी औद्योगिक एम्पोरियम का प्रबन्ध भारतीय सहकारी संघ सीमित नाम की संस्था को सौंप दिया गया है ?

(ख) प्रबन्ध के हस्तान्तरण की तिथि को इस संघ को सौंपे गये कुल पदार्थों का क्या मूल्य है ?

(ग) १५ अक्टूबर १९५३ को कुल मूल्य क्या था ?

(घ) इस प्रबन्ध हस्तांतरण के क्या कारण हैं ?

(ङ) सरकार ने ऐम्पोरियम का प्रबन्ध किन शर्तों के अधीन नवीन संस्था को सौंपा है ?

(च) एम्पोरियम के प्रबन्ध हस्तांतरण के पश्चात् यदि सरकार को कुछ लाभ हुआ है तो कितना ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) ५८,५७८ रुपये चौदह आने और छः पाई ; तथा प्रेषित वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं का मूल्य १,५३,००० रुपये ।

(ग) प्रथम अक्टूबर १९५३ को कुल मूल्य २,९५,४६७ रुपये ३ आने ५ पाई था ।

(घ) सरकार का ऐसा विचार था कि इस हस्तांतरण से अधिक उत्तम परिणाम निकलेंगे ।

(ङ) १८ अप्रैल १९५३ को श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर में सरकार और इस संघ के बीच हुए क़रार की प्रति सदन पटल पर रखी गई थी ।

(च) क़रार तीन वर्षों के लिये है अर्थात् १ नवम्बर १९५२ से ३१अक्टूबर१९५५ तक । क़रार का यह अभिप्राय नहीं है कि इस से होने वाले लाभ सरकार को दिये जायेंगे ।

हीराकुड परियोजना में कर्मचारिवर्ग

९. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत छै महीनों में हीराकुड परियोजना में (१) उत्तरवर्ग लिपिकों तथा (२) अवर वर्ग लिपिकों के कितने स्थानों की रिक्तियां हुईं ; तथा

(ख) इन में से कितनी रिक्तियों को भर लिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) उत्तरवर्ग लिपिक ६६; अवर वर्ग लिपिक २४

(ख) उत्तरवर्ग लिपिक—४७

अवर वर्ग लिपिक—३८

अवर वर्ग लिपिकों की संख्या में १४ के आधिक्य को उत्तरवर्ग लिपिकों के १० स्थानों तथा स्टैनों-टाइपिस्टों के ४ स्थानों से समन्वयित कर लिया गया है ।

हीराकुड परियोजना में कर्मचारिवर्ग

१०. श्री आर० एन० एस० देव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री हीराकुड बांध परियोजना में सन् १९५१ में सेवायुक्त (१) अंजनिकों, (२) निरीक्षकों (सुपरवाइज़रों), (३) लिपिकों, तथा (४) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी आज की तत्संवादी संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)

	३०-६-५१ को	१०-११-५३ को
(१) अंजनिक	६९	११०
(२) निरीक्षक	२०७	३७९
(३) लिपिकवर्ग	२७४	५०८
(४) श्रेणी ४ के कर्मचारी	२९०	३७९

गौ के चमड़े आदि का निर्यात

११. सेठ गोविन्द दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में विदेशों को इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात हुआ—

(१) गौ का चमड़ा, आंतें, हड्डी आदि स्थल, जल तथा वायुमार्ग से ;

(२) गौ के अतिरिक्त अन्य पशुओं का चमड़ा, आँतें, हड्डी आदि स्थल, जल तथा वायुमार्ग से ;

(३) गौ मांस ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (१) तथा (२)

चमड़ा		परिमाण	मूल्य (रुपयों में)
गौ का	कच्चा	१३८० हंडरवेट	२३१,५००
	--कमाया हुआ	२५९,६८८ हंडरवेट	७५६,०९,६९७
गौ के अतिरिक्त अन्य पशुओं का	कच्चा	६० हंडरवेट	१३,३६४
कमाया हुआ		५३,०५६ हंडरवेट	१६५, ९८,७७१

स्थल मार्ग द्वारा भेजे गये चमड़े के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सरकारी परिसंख्यान में गौ के अतिरिक्त अन्य पशुओं की आंतों तथा हड्डियों के निर्यात आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे गये हैं ।

(३) गौ मांस के निर्यात आंकड़े सरकारी परिसंख्यान में प्रथक् रूप से अभिलिखित नहीं किये गये हैं ।

पाकिस्तान में हरिजन

१२. श्री वाल्मीकि : क्या **पुर्नवास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मेहतरों समेत उन हरिजनों की अनुमानित संख्या जो कि अब भी पश्चिमी पाकिस्तान में रह गये हैं ; तथा

(ख) सन् १९५० और १९५३ के बीच उन में से कितने अस्थायी अनुमति पत्रों पर भारत आये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी संभव होगा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अस्थायी अनुमति पत्रों पर पाकिस्तान से भारत आने वाले हरिजनों के कोई पृथक् आंकड़े नहीं रखे गये हैं । इस सूचना के इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा ।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

१३. ठाकुर लक्ष्मन सिंह चरक : क्या **योजना** मंत्री सितम्बर, १९५३ में हुये राष्ट्रीय विकास परिषद् के अधिवेशन की कार्यवाही की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

योजना, व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : राष्ट्रीय विकास परिषद् के ६ तथा ७ अक्टूबर, १९५३ के अधिवेशन में जो चर्चा हुई थी उसका संक्षिप्त वर्णन एक ज्ञापन में किया गया है जो सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०**]

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

१४. श्री अजित सिंह : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के उन पदाधिकारियों के नाम, उनकी अर्हता तथा अनुभव बताने की कृपा करेंगे जिनको कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मांगी हुई जानकारी एक विवरण में दी गई है जो संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय

१५. श्री झुनझुनवाला : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये कुल व्यय में से (१) विदेशों से मूल वस्तुएं खरीदने, (२) विदेशी शिल्पियों, (३) विदेशों से अन्य प्रकार की वस्तुएं खरीदने, (४) देशी पूंजी तथा अन्य वस्तुओं, और (५) भारतीय शिल्पियों की सेवा, पर क्रमशः कितनी कितनी राशि खर्च हुई ?

(ख) इस में से कितनी राशि प्रशासन-व्यय के रूप में खर्च हुई ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). अनुमान है कि योजना में सम्मिलित विकास कार्यक्रम पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के दो वर्षों में ५८५ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है । १९५३-५४ के लिये बजट में ४१३करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है । आंतरिक तथा बाह्य व्यय की अलग अलग मदों के अन्तर्गत कितना कितना व्यय हुआ है तथा प्रशासन-व्यय के रूप में कितना व्यय हुआ है, इन बातों की जानकारी प्राप्य नहीं ।

उद्योग

१६. डा० अमीन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रभावी होने के समय से अक्टूबर, १९५३, के अन्त तक निजी क्षेत्र द्वारा अनुसूचित उद्योगों में वास्तविक रूप में कुल कितनी धन राशि लगाई गई है ;

(ख) उक्त कालावधि में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने इन उद्योगों में

वास्तविक रूप में कुल कितनी धन राशि लगाई है ;

(ग) १९४५ से १९५० की कालावधि में इन उद्योगों में प्रति वर्ष (१) निजी क्षेत्र तथा (२) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप में कुल कितनी कितनी धन राशि लगाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्राप्य जानकारी एक विवरण में दी गई है जो सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) तथा (ग). अभी जानकारी का संकलन नहीं हुआ है।

Par, S: 18 IX. 1. 53
285

अंक ९

संख्या १

सोमवार,

१६ नवम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11-8-92
Parliament Library

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ९ में संख्या १ से संख्या १५ तक हैं।)

——:o:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सची

श्री एस० एन० बुरागोहिन, श्री जी० रामाचार, सरदार कर्तार सिंह तथा डा० टी० एस० एस० राजन की मृत्यु [पृष्ठ भाग १—२]

श्री सिन्हा के विरुद्ध मुकदमे की वापसी [पृष्ठ भाग २]

अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग २—३]

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट—प्रस्तुत की गई [पृष्ठ भाग ३]

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण [पृष्ठ भाग ३]

पेप्सू के लिये राष्ट्रपति के अधिनियम [पृष्ठ भाग ३—४]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश [पृष्ठ भाग. ४—५]

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग ५—६]

स्थगन प्रस्ताव [पृष्ठ भाग ६]

पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) विधेयक—
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त [पृष्ठ भाग ६—७४]

पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट, नई दिल्ली।

509 PSD

(मल्य ६ आने)

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, श्री श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर)

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व)

अचलू, श्री सुंकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजित सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृत कौर, राजकुमारी (मन्डी-महासू)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

अहमद मुहीउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली—पश्चिम)

आज़ाद, श्री भगवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

आलवा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्युन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलयापेरुमल, श्री एल० (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मांडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुरई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर — उत्तर — रक्षित— अनसूचित जातियां)

कथम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कण्डासामी, श्री एस० के० बी (तिरुचन-गोड)

कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज़ हाईनैस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर-चूरु)

कासलीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा-झालावाड़)

काचिरोयर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फ़ैज़ाबाद—दक्षिण-पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुत्तूर)

काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री बासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व —रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, श्री जे० बी० (भागलपुर व पूर्निया)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कोसा, श्री मुचाकी (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री शाहनवाज़ (ज़िला मेरठ—उत्तर-पूर्व)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)

खोमजी, श्री भवनजी ए० (कच्छ पश्चिम)

खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित—अनुसूचित आदिमजातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)

गांधी, श्री मानिक लाल मगन लाल (पंच-महल व बड़ौदा—पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहर विष्णु (पूना—मध्य)

गिडवानी, श्री चोयथराम परताबराय (थाना)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)

गिरिराज सरन सिंह, श्री (भरतपुर–सवाई माधोपुर)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
ग़ुलाम क़ादिर, खान (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्नानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर—दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गौडा, श्री टी० मादिया (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम्)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)
गौडिलिंगन गौड, श्री (कुरनूल)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चरक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चांडक, श्री बी० एल० (बतूल)
चावदा, श्री अकबर (बनसकंठा)
चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी आर० एन० एआर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री रणवीर सिंह (रोहतक)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित— अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित— अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेनकनाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठा लाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि—दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरणाकुलम्)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम्)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डामर, श्री अमर सिंह साहबजी (झबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तालिब, श्री प्यारे लाल कुरील (ज़िला बाँदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी (टिंडीबनम्)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन—दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़)

तिवारी, श्री बैंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर झड़-ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

तुलसी दास, श्री किलाचन्द (मेहसाना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरावल्लभ (ज़िला मुज़फ्फर-नगर—दक्षिण)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (ज़िला बनारस—पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बांरगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता-दक्षिण—पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा—पश्चिम)
दाभी, श्री फूलसिंह जी० वी० (कैरा—उत्तर)
दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचेरी)
दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामधनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी—पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (मुज़फ़्फ़रपुर—उत्तर-पूर्व)
दुबे, श्री उदयशंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री चण्डीकेश्वर शरण सिंह जी (सुरगुजा-रायगढ़)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा—पूर्व)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देव, हिज़ हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी-बोलनगिर)
चैदेवगम, श्री कान्हूराम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, श्री चिंतामण द्वारकानाथ (कोलाबा)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम्)
नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरी (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का-सिरसा)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजामुंड्री)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्करा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरायिंकिल)

नायर, श्रीमती शकुन्तला (ज़िला गोंडा--पश्चिम)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुर्ग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर--उत्तर व खेरी--- पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़द—क्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर--पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ --मध्य)

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर--उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत--रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा--दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा--उत्तर-पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद--उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचि आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर)

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर--दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमद-नगर--उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांव--दक्षिण)

पाथ्रिकर, डा० देवराज नामदेवराव (नान्देड़ --रक्षित--अनुसूचित जातियां)

पारिख, डा० जयंती लाल नरबरम् (झालावाड़)

पारिख, श्री शांति लाल गिरधारी लाल (मेह-साना—पूर्व)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (वाह्य दिल्ली—रक्षित--अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर-झड़-ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुन्द)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सुरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम, श्री एस० (मदुरई)
बाल्मीकि, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (दुमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम—उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)
ब्रजश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
ब्रह्मो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलत मल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशंकर (भड़ौच)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालौर)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा-डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोय, श्री गिरधारी (कालाहांडी-बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा—उत्तर)
मल्लूडोरा, श्री गाम (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महताब, श्री हरे कृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महेन्द्रनाथ सिंह, श्री (सारन—मध्य)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)
माजीह, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री चैतन (मानभूम–दक्षिण व धालभूम ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना––दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा–– पूर्व व ज़िला बस्ती––पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दातिया-टीकमगढ़ –– रक्षित –– अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनिमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर ––रक्षित––अनूसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर––उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विज्ञश्वर (गया––उत्तर)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा–– उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया–– दक्षिण)

मिश्र, पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर––उत्तर-पूर्व)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व)

मवणे, श्री वाई० एम० (थाना––रक्षित–– अनुसूचित आदिम जातियां)

मुत्तुकृष्णन, श्री एम० (वैल्लूर––रक्षित–– अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोणम्)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया––पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर––झुंझुनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया–– रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद इस्लामुद्दीन, श्री (पुर्निया––उत्तर-पूर्व)

मुहम्मद, श्री खुदाबख्श (मुर्शिदाबाद)

मूर्त्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडे)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम्)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा–– रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोहम्मद सईद मसूदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस––मध्य)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा––पूर्व)

रज़मी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि–– रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन–– रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर––रक्षित ––अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

राम चन्द्र, डा० डी० (बैल्लोर)

राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम नगीना सिंह, श्री (ज़िला गाज़ीपुर—पूर्व व ज़िला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग़—पश्चिम)
राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम
रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामसामी, श्री एम० डी० (अरुपुक्कोटाई)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रायजी, श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलूरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वारंगल)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनड़ा—दक्षिण)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मानाबाद)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री के०. जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दमयेल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर-लुधियाना)
लास्कर, श्री० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लैसराम, जोगेश्वर सिंह, श्री (अन्तरिक्ष मनीपुर)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वेंकटारमन्, श्री आर० (तंजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ--दक्षिण)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ--पश्चिम)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर--दक्षिण व ज़िला इटावा--पूर्व)

शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना-भिंड)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़--पूर्व व ज़िला बलिया--पश्चिम)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (ज़िला उन्नावव ज़िला रायबरेली--पश्चिम व ज़िला हरदोई--दक्षिण--पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

शास्त्री, श्री हरिहरनाथ (ज़िला कानपुर--मध्य)

शाह, हर हाइनैस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल--पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर--उत्तर)

शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़-सोरठ)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

शिवननजप्पा, श्री एम० के० (मंड्या)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़--फुलवनी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनउ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली--दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री रघुवीर (ज़िला एटा--उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं--पूर्व)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फ़रपुर--मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा--पूर्व)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर--उत्तर-पश्चिम)

सिंह, डा० सत्य नारायण (सारन--पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया--पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर--दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फ़रपुर--पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना--मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन--उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना--पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़--पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर--पूर्व)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर--पश्चिम व ज़िला मुजफ्फ़रनगर--उत्तर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूफी, श्री महम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड--रक्षित - अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया--मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषुमा (भागलपुर--दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)
सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन--पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौरपाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हर प्रसाद सिंह, श्री (ज़िला ग़ाज़ीपुर--पश्चिम)
हरिमोहन, डा० (मानभूम--उत्तर रक्षित--अनुसूचित जातियां)
हरिशंकर प्रसाद श्री (ज़िला गोरखपुर--उत्तर)
हिफ्ज़ुर्रहमान, श्री एम० (ज़िला मुरादाबाद--मध्य)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग़--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा--उत्तर)

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटस्कर
सरदार हुक्म सिंह
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्रीमती बी० खोंगमन

सचिव

श्री एम० एन० कौल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सदन-कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री हरेकृष्ण महताब
श्री नरहर विष्णु गाडगिल
श्री दवकान्त बरूआ
श्री हरि विनायक पाटस्कर
कर्नल बी० एच० जैदी
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री सारंगधर दास
श्री चन्द्रिकेश्वर शरण सिंह जू देव
डा० लंका सुन्दरम्

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (सभापति)
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्री असीम कृष्णा दत्त
श्री० सी० पी० मैथ्यू
श्री पी० एन० राजभोज

विशेषाधिकार समिति

डा० कैलाश नाथ काटजू (सभापति)
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० के० गोपालन
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री सारंगधर दास
श्री बी० शिवा राव
श्री आर० वेंकटारमन्
डा० सैय्यद महमूद
श्री राधेलाल व्यास

आंक समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री सारंगधर दास
श्री राधेलाल व्यास
श्री देवेश्वर सरमा
श्री नित्यानन्द क़ाननगो
पंडित बालकृष्ण शर्मा
श्री शिवाराम रांगो राने
श्री वी० बी० गांधी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री आर० वेंकटारमन्
श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता
डा० सैय्यद महमूद
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सी० पी० मैथ्यू
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री रायासम शेषगिरि राव
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्री गिरिराज सरन सिंह

डा० सुरेश चन्द्र
श्री मोहन लाल सक्सेना
डा० लंका सुन्दरम्
श्री काडयाला गोपाल राव
श्री मुनिस्वामी तिरुकुरलार
श्री पी० एन० राजभोज
सरदार लाल सिंह

गृह व्यवस्था समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्
कर्नल बी० एच० ज़ैदी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री के० ए० दामोदर मैनन
श्री सारंगधर दास
श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री वी० एन० तिवारी
श्री हृदयनाथ कुंजरू
श्री आर० डी० सिंह दिनकर
डा० श्रीमती सीता परमानन्द

लोक लेखा समिति

श्री बी० दास (सभापति)
श्री रणबीर सिंह चौधरी
श्री हरि विनायक पाटस्कर
डा० मनमोहन दास

श्री त्रिभुवन नरायण सिंह
श्री एम० एल० द्विवेदी
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल
श्री श्री नारायण दास
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमाचरण पटनायक
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री के० एम० वल्लाथरास
श्री वी० पी० नायर
श्री जी० डी० सौमानी

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिन्हा
चौधरी हैदर हुसैन
श्री ओ० वी० अलगेशन
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री शिवराम रांगो राने
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री के० केलप्पन
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री राजेन्द्र नारायण सिंह देव
श्री जयपाल सिंह

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

न मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री	श्री जवाहरलाल नहरू
शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
वित्त मंत्री	श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमु
योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री	डा० कैलाश नाथ काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णामाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

सांसद्-कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जन
रक्षा संगठन मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर
वाणिज्य मंत्री	श्री डी० पी० करमारकर
कृषि मंत्री	डा० पंजाब राव एस० देशमुख

—

उपमंत्री

संचरण उपमंत्री	श्री राज बहादुर
प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री	श्री के० डी० मालवीय
रक्षा उपमंत्री	सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
गृह-कार्य उपमंत्री	श्रा बलवन्त नागेश दातार
श्रम उपमंत्री	श्री आबिद अली
वित्त उपमंत्री	श्री मणिलाल चतुरभाई शाह

पुनर्वास उपमंत्री	श्री जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले
रेल तथा यातायात उपमंत्री	श्री ओ० वी० अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री	श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री	श्री एम० वी० कृष्णप्पा
सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री	श्री जय सुख लाल हाथी
रक्षा उपमंत्री	श्री सतीशचन्द्र
वित्त उपमंत्री	श्री अरुण चन्द्र गुहा

शासकीय वृत्तान्त

(भारत की प्रथम संसद के पांचवे सत्र का प्रथम दिवस)

लोक सभा

सोमवार १६ नवम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२.२९ म० प०

श्री एस० एन० बुरागोहिन, श्री जी० रामाचार, सरदार कर्तार सिंह तथा डा० टी एस० एस० राजन की मृत्यु

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने तरुण सहयोगी श्री एस० एन० बुरागोहिन की अकाल मृत्यु की सूचना देनी है । आप १९४३ में आसाम विधान सभा के सदस्य चुन लिए गए थे तथा १९४५-४६ में वहां स्थानीय स्वराज, आबकारी तथा श्रम के मंत्री थे । आप १९५० में अन्तर्कालीन संसद के सदस्य चुन लिए गए थे तथा उसी वर्ष निर्माण, खान तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री नियुक्त किए गए थे । १९५२ में आप फिर संसद के सदस्य निर्वाचित हुए तथा निर्माण, गह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री नियक्त किये गए ।

मुझे सदन को अन्तर्कालीन संसद के सदस्य श्री जी० रामाचार की मत्यु की भी सूचना देनी है । सरदार कर्तार सिह तथा डा० राजन, जोकि पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, भी परलोक सिधार गए हैं ।

हमें इन मित्रों की मृत्यु पर दुख है । सदन अपना शोक प्रकट करने के लिए एक मिनट के लिए खड़ा हो के मौन रहे ।

[इसके पश्चात् सदन ने एक मिनट के लिए खड़े होकर मौन धारण किया ।]

श्री सिन्हा के विरुद्ध मुकदमे की वापसी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मुझे मुंघर के मुनसिफ मेजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रणी ने एक पत्र भेजते हुए लिखा है कि बिहार सरकार ने श्री बनारसी प्रसाद सिन्हा संसद सदस्य के विरुद्ध वृक्ष काटने के सिलसिले में अपना मुकदमा वापस ले लिया है तथा उन्हों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४९४ के अन्तर्गत उसे मंजूरी दी है । श्री सिन्हा को अब बरी कर दिया गया है ।

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बी० शिवा राव का ज्यूरिच से एक पत्र मिला है जिस में

[अध्यक्ष महोदय]

कहा गया है कि निरन्तर बीमारी के कारण वह संसद के वतमान सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं तथा उसे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ।

सदन ने अनुपस्थिति की अनमति दे दी ।

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मैं विनियोग लेखा (रेलवे) तथा (डाक तथा तार) १९४९-५० से सम्बन्धित लोक लेखा समिति (१९५२-५३) की पांचवीं रिपोर्ट का अंक २--साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

सचिव : मैं सदन पटल पर उन विधयकों का विवरण रखता हूं जिन्हें कि संसद के सदनों न चतुर्थ सत्र, १९५३ में पास किया तथा जिन्हें राष्ट्रपति ने अनमति प्रदान की है ।

विवरण

१. आन्ध्र राज्य विधयक, १९५३
२. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधयक, १९५३
३. आंकड़ा संग्रह विधेयक, १९५३
४. विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५३
५. सम्पदा शुल्क विधेयक, १९५३

पेप्सू के लिये राष्ट्रपति के अधिनियम

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान मंडल (शक्ति-न्यास) अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उप-धारा ३ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :

(१) पटियाला तथ पूर्वी पंजाब राज्य संघ अफीम धूम्रपान अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का १९५३ का अधिनियम नम्बर ४) ;

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एस--१४०/५३]

(२) पटियाला तथा पूर्वी पंजाव राज्य संघ भूमि अर्जन अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का १९५३ का अधिनियम नम्बर ५)

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एस--१४१/५३]

(३) पटियाला तथा पूर्वी पंजाव राज्य संघ निष्क्रान्त हित (विच्छेद) अनुपूरक अधिनियम, १९५३ (राष्ट्रपति का १९५३ का अधिनियम नम्बर ६)

[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिए संख्या एस--१४२/५३]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों, जिन्हें कि राष्ट्रपति ने संसद के चतुर्थ सत्र, १९५३ की समाप्ति के बाद तथा पांचवां सत्र शुरू होने से पहले प्रख्यापित किया है, की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का नंबर १)

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४३/५३]

(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का नम्बर २)।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४४/४३]

(३) समुद्री सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का नम्बर ३)

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४५/५३]

(४) बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का नम्बर ४)

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४६/५३]

(५) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, १९५३ (१९५३ का नम्बर ५)

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस०—१४७/५३] तथा

(६) धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) अध्यादेश १९५३ (१९५३ का नम्बर ६)

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१४८/५३]

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव

श्री अजीत सिंह (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव सदन पटल पर रखा था जोकि....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को सूचना दी गई है कि मैं ने इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है।

हम अब अगली कार्यवाही पर जाते हैं।

पुनर्वासवित्तप्रशासन (संशोधन) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि* :—

"पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर कुछ कहने से पूर्व मैं समझता हूं कि मुझे इस प्रशासन के इतिहास तथा गत पांच वर्षों में इस के कार्य संचालन के विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहिये। यह प्रशासन जुलाई १९४८ में स्थापित किया गया था। उस समय शरणार्थी बड़ी संख्या में न केवल पश्चिमी पाकिस्तान से अपितु पूर्वी पाकिस्तान से भी आ रहे थे। उस समय इस सदन ने एक विधेयक पास किया था जिस के अन्तर्गत कि एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किया गया। इस संघटन का उद्देश्य शहरी शरणार्थियों को उद्योगों तथा कारबार में पुनः स्थापित करना था। इस संघटन का उद्देश्य सामान्य पुनर्वास कार्यवाहियों से

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

[श्री ए० सी० गुहा]

स्पष्टतया भिन्न था। वह कृषि संबधी अथवा ग्रामीण शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

तो सरकार ने इस संघटन को स्थापित करना आवश्यक समझा। इस संघटन द्वारा जो कज़ दिये जाने थे उन की न्यनतम सीमा ५००० रुपय निश्चित की गई। इस वर्ष ३१ अक्तूबर तक इन पांच वर्षों में ६५,६९७ प्रार्थनापत्र प्राप्त किए गए तथा ५७,६०० प्रार्थनापत्रों का निपटारा करना सम्भव हो सका है। स्वीकृत धनराशि मेरे विचार में १३ करोड़ रुपये थी जिस में से कि एक करोड़ रुपय से अधिक राशि प्रशासन ने इसलिए रद्द की कि जांच करने पर उन्हें पता चला कि उन मामलों में कज़ दिए गए हैं जिन में कि यह नहीं दिये जाने थे।

३१ अक्तूबर तक ७.२ करोड़ रुपया दिया जा चुका है तथा मैं समझता हूं कि शेष १५ दिनों में कुछ और लाख रुपये इस प्रशासन ने मंजूर किये होंगे। यह प्रशासन इस समय तक एक लाख से अधिक शरणार्थियों को पुन: बसा चका है। मैं कह सकता हूं कि इस से न केवल उन लोगों को सहायता मिल सकी है जिन्हें कि यह कर्ज़े दिये गये अपितु इन से कुछ दूसरे शरणार्थियों को भी इन औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं में काम मिल सका ह, इस तरह से दसरे शरणार्थियों के पुनर्वास में भी सहायता मिली है।

श्रीमान् अब मैं वर्तमान संशोधक विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इस समय तक इस संघटन को ७ करोड़ रुपया उपलब्ध था जोकि यह प्रशासन धारा १२ (ख) के अन्तर्गत सीधे दे सकता था; एक करोड़ रुपया कुछ बैंकों द्वारा दिना था तथा और २ करोड़ रुपया कुछ अनुसूचित बैंकों द्वारा देना था, यह सरकार द्वारा प्रत्याभूतित होना।

किसी भी बैंक के लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि वह इस ३ करोड़ रुपये की राशि का फायदा उठायें। इस तरह से प्रशासन के पास वितरण के लिए केवल ७ करोड़ रुपया था। हाल ही में जो अध्यादेश पास किया गया है, यदि यह न होता, तो इस प्रशासन का सारा काम बन्द हो जाता, क्योंकि प्रशासन ने जो कर्ज़े मंजूर किये थे वह सात करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ गये थे। प्रार्थनापत्र पहले सितम्बर १९४९ के बाद प्राप्त किये गये तथा फिर प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति बन्द की गई। बाद में, प्रार्थनापत्र पुन: जुलाई से सितम्बर १९५१ तक प्राप्त किये गए। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पूर्व की तरफ से शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। दूसरे इस से पश्चिमी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को भी अभ्यावेदन भेजने का मौका मिला जिन्हें कि पहले यह मौका नहीं मिला था। तो नये प्रार्थनापत्र मांगे गए तथा जुलाई से सितम्बर १९५१ तक ४१,००० प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। प्रशासन के लिए इन की जांच करना तथा इन का निपटारा करना कठिन था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग समस्त उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग इस संघटन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं। हैदराबाद तथा बम्बई भी इस में शामिल हैं। यह बात याद रखी जानी चाहिये कि कुछ शरणार्थी भारत आने पर अपने को नहीं बसा सके तथा वह कर्ज़ के लिये प्रार्थना नहीं कर सके। जुलाई १९५१ में प्रार्थनापत्रों को पुन: मांगने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है। श्रीमान्, कुछ मामलों में शरणार्थियों को कर्ज़ों के लिए तब तक प्रार्थना

करना सम्भव नहीं हो सका जब तक कि उन्हें किसी ज़मीन पर नहीं बसाया गया तथा उन्हें रहने को कोई मकान नहीं दिया गया । वास्तव में प्रार्थनापत्र प्राप्त करने की यह क्रिया कुछ थोड़े से समय को छोड़ कर सारे काल के लिए जारी रखनी पड़ी है । जब सितम्बर १९५१ में प्रार्थनापत्रों की संख्या ४०,००० से भी बढ़ गई तो प्रशासन ने और अधिक प्रार्थनापत्र लेना बन्द किया । इन प्रार्थनापत्रों की अब जांच की जा रही है । अब केवल लगभग ८,००० प्रार्थनापत्र ऐसे रह गए हैं जिन की कि जांच करनी बाकी है । प्रशासन कुछ समय से बड़ी तेज़ी तथा फुर्ती से काम कर रहा है । कुछ सदस्यों को याद होगा कि इस सदन में इस प्रशासन की सुस्ती के सम्बन्ध में शिकायतें की गईं । सदस्यों को अब यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गत एक अथवा डेढ़ साल में यह प्रशासन बड़ी तेज़ी तथा फुर्ती से काम करता रहा है तथा यही कारण है कि वह इस काल में इतने अधिक प्रार्थनापत्रों की जांच कर सका है । अब इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि निश्चित धनराशि ७ करोड़ रुपये से बढ़ा कर १२ १/२ करोड़ रुपये कर दी जाये तथा उस दो करोड़ रुपये की धनराशि को भी रखा जाये जिस का उपबन्ध अब धारा (ग) में रखा गया है धारा १२(ख) के अन्तर्गत १ करोड़ रुपये का जो उपबन्ध रखा गया है उसे रखने का कोई फायदा नहीं होगा । परन्तु धारा १२(ग) के अन्तर्गत १२ १/२ करोड़ रुपये का जो उपबन्ध रखा गया है उसे हम अपने पास रखते हैं तथा इसके लिए कुछ परिवर्तन करने पड़े हैं । जब तक कि उपबन्ध यह रखा गया था कि सरकार को केवल ५० प्रतिशत की गारंटी देनी चाहिये जब तक अधिकांश वाणिज्य-बैंक शेष ५० प्रतिशत् के लिए जोखिम उठाने के लिये तैयार नहीं थे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि शरणार्थियों को जो ऋण दिया जाता है उसे पूर्णतया वसूल करना बहुत ही कठिन होता है । तो यह विधेयक इस बात का उपबन्ध रखता है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर कर्ज़ों की शत प्रतिशत गारंटी दे सकेगी । विधेयक में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया है, परन्तु यह बात प्रशासन पर छोड़ दी गई है कि वह किसी भी राशि तक गारंटी दे । प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैंकों को यह सुविधा देने का क्या फायदा है जबकि सरकार उन्हें शतप्रतिशत गारंटी देने जा रही है । हम चाहते हैं कि शरणार्थी, पुनः बस जाने पर, कारबार कर सकें, और जब तक कि उन्हें वाणिज्य बैंकों के साथ सम्बन्ध न हो जब तक उन के लिए कारबार करना कठिन होगा । हम चाहते हैं कि वह सामान्य नागरिकों की तरह अपना कारबार चला सकें । यह नहीं कि वह सदैव ही शरणार्थी रहें । उन्हें देश के आर्थिक ढांचे में अपना स्थान प्राप्त होना चाहिये; परन्तु मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार अनुसूचित बैंकों को यह गारंटी देने में बड़ी सावधानी से काम करेगी । हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कोई बैंक इस सुविधा का अनुचित लाभ न उठाये ।

फिर, यहां एक और उपबन्ध है । विस्थापितों को दिए गए ऋण से प्राप्त होने वाले ब्याज को यह प्रशासन पुनः उन्हें ऋण रूप में देने में प्रयुक्त नहीं कर सकता । इस संशोधक विधेयक में हम यह उपबन्ध कर रहे ह कि उस ब्याज को विस्थापितों को ऋण देने में फिर प्रयुक्त किया जा सकता है । इससे प्रशासन की विनियोजन राशि में वृद्धि होगी ।

दूसरे, सरकार तथा प्रशासन के पास इस प्रकार की शिकायतें तथा प्रतिनिधान आए हैं कि ऋण वापसी की दस वर्ष की अवधि बहुत कम है तथा इससे विस्थापितों को बड़ी

[श्री ए० सी० गुहा]

कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इसलिये हम इस अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष से पन्द्रह वर्ष कर रहे हैं ।

बहुत हाल ही में सदन में यह बात उठाई गई थी कि इस प्रशासन के हिसाब की जांच नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती वरन् प्रशासन द्वारा नियुक्त किसी बाहर के लेखापाल द्वारा की जाती है । अब हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि हिसाब की जांच नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा की ही जाएगी ।

मूल विधेयक में कुछ कमी रह गई थी । उसकी भाषा में यह चीज़ स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस प्रशासन के प्रशासनात्मक व्यय को पूरा करने की प्रणाली क्या होगी । एक स्वशासी प्रशासन को अपने पदाधिकारियों का भुगतान करने तथा अन्य खर्चों को करने का अधिकार स्वयं होना चाहिये । अब हम यह उपबन्ध कर रहे हैं ।

कुछ समय हुए इस सदन में इस प्रशासन के कार्यकरण संबंधी कुछ शिकायतें की गई थीं । सरकार उन सदस्यों के प्रति आभारी है जिन्होंने कुछ तथ्य सरकार के सम्मुख पेश किये । हमने इन आरोपों की जांच करने की व्यवस्था की है तथा प्रशासन के कार्यकरण में जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं उस अध्यादेश के विषय में कुछ कहना चाहूंगा जो अभी हाल में जारी किया गया था । बिना इस अध्यादेश के जारी किए इस प्रशासन का सारा कार्य ही रुक जाता । प्रशासन के पास सात करोड़ रुपया देने को था । ३१ अक्टूबर तक सात करोड़ से अधिक रुपया दिया जा चुका था और मैं समझता हूं कि गत कुछ मासों में कुछ और लाख दिया जा चुका है । बिना अध्यादेश जारी किए प्रशासन की गति-अवरुद्ध हो जाती । सदन में शिकायत की जा रही थी कि रुपया देने में विलम्ब किया जा रहा है । सदस्यों तथा विस्थापित व्यक्तियों की इस शिकायत को दूर करने के लिये इस अध्यादेश का जारी किया जाना आवश्यक था । अध्यादेश के सहायतापूर्ण उपबन्धों तथा मामले की तात्कालिकता को दृष्टि में रखते हुए मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इस अध्यादेश से बहुत क्षुब्ध नहीं होंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से इस विधेयक की स्वीकृति का निवेदन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री गिडवानी द्वारा इस प्रस्ताव का एक संशोधन भेजा गया है कि इसे एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए । मैं श्री गिडवानी से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहूंगा ।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जिस में कि श्री सी० डी० देशमुख, पंडित ठाकुर दास भार्गव, लाला अचित राम, श्री बसन्त कुमार दास, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री एन० सी० चटर्जी, सरदार हुक्म सिंह तथा प्रस्तावक हों तथा उसे निदेश दिया जाए कि अपना प्रतिवेदन ३० नवम्बर, १९५३ तक प्रस्तुत करें" ।

इस प्रशासन की स्थापना जुलाई १९४८ में हुई थी जिससे कि पूर्वी तथा पच्छिमी पाकिस्तान से आए हुए व्यापारियों तथा बीच के और छोटे दर्जे के औद्योगिकों को अपनी व्यापारिक एवम् औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मध्यम तथा दीर्घ-

कालीन वित्त उपलब्ध कराया जा सके । तब से आज तक के काल के दौरान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा ६५,९६५ अर्जियां भेजी गईं तथा ३० सितम्बर, १९५३ तक स्वीकृत अर्जियों की संख्या १३,९१२ थी । इन १३,९१२ में से केवल ८,८९१ व्यक्तियों को ६,८३,००,००० रुपये की राशि दी गई है । ४४ हज़ार अर्जियां अस्वीकृत कर दी गई हैं ; ८००० विचाराधीन हैं । इस प्रकार लगभग ६६ हज़ार आवेदकों में से केवल ८,८९१ को इसका लाभ मिला है और सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन में से ४८ प्रतिशत लोगों ने अपनी देय किश्तें चुकाई नहीं हैं । इसलिए पुनर्वास प्रशासन का यह दावा तथ्ययुक्त प्रतीत नहीं होता कि एक लाख शरणार्थी पुनर्वासित किए जा चुके हैं ।

इस के अतिरिक्त इस प्रशासन पर एक करोड़ रुपया खर्च किया गया है । पदाधिकारियों को बड़े-बड़े वेतनों पर नियुक्त किया गया है । ये पदाधिकारी अन्य सरकारी विभागों से भिन्न आधार पर नियुक्त किए गए थे और उनकी ग्रेड अधिक थी क्योंकि यह केवल एक अस्थायी संगठन था । अब चूंकि ऋण-प्राप्ति अवधि बढ़ाकर १० वर्ष से १५ वर्ष की जा रही है और इस प्रकार यह लगभग स्थायी चीज़ होने जा रही है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए और एक विस्तृत विधान पास किया जाए । प्रशासन में नियुक्ति के समय अनेक पदाधिकारियों को उनके इस समय मिलने वाले वेतन का एक-तिहाई अथवा एक-चौथाई वेतन मिल रहा था । बड़े बड़े वेतनों से प्रशासन के खर्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यह तो ऐसा संगठन है जो विस्थापितों की सहायता के लिये है और जिसमें यथासंभव मितव्ययता होनी चाहिये ।

फिर, मैं समझता हूं कि प्रशासन अर्ज़ियों पर शीघ्रता के साथ विचार नहीं कर रहा । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से काम चल रहा है । मेरे माननीय मित्र, श्री त्यागी मंत्रणा परिषद के सदस्य रहे थे । उनसे कहा गया कि स्थान की कमी के कारण अर्ज़ियों के निर्णयन में विलम्ब हो रहा है । त्यागी जी बहुत नाराज़ हुए और कहा कि प्रशासक अयोग्य व्यक्ति हैं । उन्होंने कहा कि प्रशासन में मेरा रहना और ४० रु० रोज़ लेना बहुत बुरी बात है जब कि वह अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता और उन्होंने तत्काल त्यागपत्र दे दिया । हम उन लोगों की दशा का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं जिन्हें अपनी अर्ज़ियों पर निर्णय होने से पूर्व तीन या चार वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

जब त्यागी जी मंत्री हुए तो मैंने उन्हें पत्र दिए कि अब आप वित्त मंत्रालय में आ गए हैं और आप स्थिति में सुधार कीजिए । किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि लोग किस प्रकार बदल जाते हैं । सब बातें जैसी की तैसी रहीं । विस्थापित व्यक्तियों के व्यापारिक तथा औद्योगिक वर्गों को कभी पुनर्वासित नहीं किया जा सकता यदि उनकी अर्ज़ियां दो-दो तीन-तीन वर्ष तक पड़ी रहें । पहले, स्थान की शिकायता थी कि स्थान की कमी है । सरदार स्वर्णसिंह ने हमें एक प्लाट दिया और एक मास के अन्दर उस पर इमारत बन गई । किंतु फिर हम से कहा गया कि अब भी अर्ज़ियों के निर्णयन में कोई शीघ्रता नहीं आई क्योंकि अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी । परिणाम यह हुआ कि एक बहुत अच्छे प्रयोजन से प्रारम्भ किया सगठन अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका । परिणाम यह हुआ कि अनेकों ऋण लेने वाले शरणार्थियों की दशा

[श्री गिडवानी]

और भी खराब हो गई है। अनेकों राज्य सरकारों ने सहयोग नहीं दिया और बहुत सी शर्तें तथा प्रतिबन्ध लगा दिए जो अब भी चालू हैं। लगभग ४,००० आवेदक अपने ऋणों का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि राज्य सरकारों ने उन्हें बिजली की तथा अन्य सुविधायें नहीं दीं।

फिर कर्मचारियों के लिये कुछ नियम बनने चाहिएं और अच्छा हो कि सरकार इसे ग्रहण कर ले, और कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष मान लिया जाए। अभी बम्बई में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने एक कर्मचारी को पकड़ा, पर उस के सरकारी कर्मचारी न होने के कारण उसे छोड़ देना पड़ा। अतः जब तक नियम नहीं बनते, तब तक भ्रष्टाचार में निरत रहने वालों को समुचित दंड नहीं मिल सकता। अब जब ४-५ महीनों से ऋण स्वीकृत हो जाने पर भी ८००० मामले पड़े हुए हैं और १२ महीनों में भुगतान होने हैं और उन्हें १५-२० वर्षों की किश्तों में वसूल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी कोई पोल न रखनी चाहिए जिससे भ्रष्ट कर्मचारियों को दंड न मिल पाए। जब तक हम सीधा नियंत्रण न रखेंगे, यह संभव न हो सकेगा।

कुछ लोगों को सहायता देकर फिर बसाया गया है। पर बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध तथाकथित भू-राजस्व बकाया वसूली अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई है। ३१ अगस्त १९५२ को समाप्त होने वाली अवधि की पुनर्वास-वित्त-प्रशासन-समीक्षा में बताया गया है कि अगस्त १९५२ के अन्त तक ३५३ ऋण वापिस मांगे गए हैं, जिनमें २४५ के विषय में कलक्टरों से कहा गया है और ९१ मामलों में कलक्टरों से किस्त वसूल करने के लिए कहा गया है। इन सारे मामलों में ऋण के डूब जाने की आशंका हो रही है। अब भू-राजस्व बकाया बसूली अधिनियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है और घर के मिट्टी तक के बर्तनों की कुर्की कर ली जाती है। मैं चाहता था कि कम से कम घरेलू सामान तो न लिए जाएं, पर श्री राम गोपाल ने उत्तर दिया है कि वह तो कलक्टर को ही लिख देते हैं और कलक्टर स्वयं यथास्थिति वसूली करता है। हम से कोई संबंध नहीं रहता।

अतः संभव है ४-५ प्रति शत व्यक्ति नादिहन्द हों और हमें उन से कोई सहानुभूति नहीं पर ४८ प्रति शत से अधिक व्यक्ति मंदी के कारण नहीं चुका पा रहे हैं। अतः हमें पूरी स्थिति का पुनः अवलोकन करते हुए यह देखना चाहिए कि हमारा मूल लक्ष्य लोगों को वस्तुतः फिर से बसाना है।

इस संशोधन पर मुझे खुशी है। मैं ने इसे ३ वर्ष पहिले सुझाया था। ढील ढाल चलती रही और अन्त में एक अध्यादेश निकालना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए या एक प्रवर समिति नियुक्त की जाए, जो प्रत्येक पहलू पर विचार करे और सुझाव दे। अध्यादेश तो चल ही रहा है। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। आशा है, सरकार मेरा सुझाव मान लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यहां उपस्थित नहीं हैं। क्या माननीय सदस्य ने सभी सदस्यों से एतदर्थ सहमति प्राप्त कर ली है ?

डा० लंका सुन्दरम् : पिछली बार भी यह आपत्ति उठी थी ; मैं स्वयं दो बार बिना पूछे रख लिया गया हूं। सदन की समिति में काम करना तो सम्मान की ही बात है।

श्री गिडवानी : कल छुट्टी थी, अतः बात नहीं हो सकी।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी सही, सहमति आवश्यक है । अन्यथा पीछे से वे कह सकते हैं कि वे अन्यथा व्यस्त हैं आदि ।

अब मूल विधेयक और यह संशोधन दोनों सदन के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित हैं ।

डा० लंका सुन्दरम अध्यादेशों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मुझे इन अध्यादेशों के बारे में बड़े प्राविधिक और सांविधानिक महत्व की बात कहनी है । इस अन्तः सत्र काल में ६ अध्यादेश निकाले गए हैं । प्रस्तुत विधेयक का संबंध अध्यादेश संख्या २ से है । पर आप और सदन मुझे अन्य अध्यादेशों की तिथियों के बारे में कुछ कहने की अनुमति देंगे ।

अध्यादेश संख्या १—कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५३—१४ अक्टूबर को सदन के स्थगित होने के तीन सप्ताह बाद ही निकाला गया था । यह सितम्बर में इस सदन के स्थगन से पूर्व राज्य परिषद् में विधेयक के रूप में पुरःस्थापित हो चुका था । विचाराधीन विधेयक वाला अध्यादेश संख्या २ जिसके बारे में माननीय उपमन्त्री मान चुके हैं कि यह गत नवम्बर में सदन में प्रस्तुत किया गया था, २४ अक्टूबर, १९५३ को निकाला गया था । अध्यादेश संख्या ३—समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, १९५३—२४ अक्टूबर, १९५३ को निकाला गया था । शेष तीन अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित किए गए विधायी प्रस्ताव हैं । तो मुझे यह कहना है कि दो महीने के अन्तः सत्र काल में ६ अध्यादेश निकाले गए, जिनमें से तीन इस सदन या दूसरे सदन के समक्ष आ चुके हैं । और अन्तिम अध्यादेश की तिथि २६ अक्टूबर है, जब सदन के सत्रारंभ में २० दिन ही रह गए थे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने १६ सितम्बर को नारियल जटा विधेयक और पुनर्वास वित्त प्रशासन विधेयक के विषय में कहा था कि माननीय मंत्रीगण को निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन कौन से विधेयक अत्यावश्यक हैं और सत्र के अन्त में जल्दी नहीं करनी चाहिए । आपने कहा था कि इन विधेयकों के विषय में कुछ भारी आवश्यकता नहीं है और उनको अन्तिम दिन की ४ बजे बाद की कार्यसूची में नहीं रखा जा सकता । संविधान सभा में अनुच्छेद १२३ की चर्चा में जिसके अधीन ये अध्यादेश निकाले गए हैं और जिसकी संख्या उस समय १०२ थी, डा० अम्बेडकर ने (देखिये पृष्ठ २१४ संविधान सभा कार्यवाही-१६ मई से १६ जून, १९४९) कहा था कि ये उपबन्ध बृटिश विधि के समान हैं । पर आपने उस दिन कहा था कि इन विधेयकों की भारी आवश्यकता नहीं है और फिर इन अध्यादेशों के निकालने का उपबन्ध केवल आपात काल के ही लिए है । तो प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि पुनर्वास वित्त प्रशासन या समुद्र सीमा शुल्क आदि विधेयक किसी आपात काल से संबंधित हैं ? संभव है, ऐसा ही इस सत्र के बाद भी किया जाए, क्योंकि इस सत्र में भी २९ दिनों में अन्य कार्यों के साथ ५४ विधेयक पारित होने को हैं । अतः यह सांविधानिक और विधायी महत्व का प्रश्न है और सदन के अधिकारों की अवहेलना करता है ।

अतः इसका कुछ उपाय खोजा जाना चाहिए । राष्ट्रपति के अधिनियमों के लिए हम सदन की एक समिति बना चुके हैं, और ऐसा ग्रीस आदि देशों में होता है । हमें कार्यपालिका को यह शक्ति नहीं देनी चाहिए । इस सदन के विगत चार सत्रों में हमने देखा है कि विधान-कार्यक्रम का ढेर लग गया है ।

मुझे इस विषय पर और कुछ नहीं कहना है, न मैं इस विधेयक के विरोध में ही हूं ।

[डा० लंका सुन्दरम्]

अपने 'भारत के संविधान की व्याख्या' नामक ग्रंथ में श्री बसु अनुच्छेद १२३ के विषय में पृष्ठ ३९९ पर कहते हैं कि एक अध्यादेश उस भूतलक्षी तिथि से भी लागू किया जा सकता है, जिस दिन विधान मंडल का सत्र चल रहा था । उस दशा में सरकार सदैव अध्यादेश निकालती रहेगी । आपात काल में अध्यादेशों के निकाले जाने के विषय में सदन के किसी सदस्य को दलगत मतभेद होने पर भी आपत्ति न होगी । पर यह तो सदन की बैठक के लिये तीन हफ्ते बिना ठहरे एक १० महीने से लंबमान चले आते हुए सामान्य विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू करने की बात है । यह प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है ।

अतः यह बात मैं सदन के ऊपर छोड़ रहा हूं कि वह ऐसी कुछ प्रक्रिया बनाए जिससे सामान्य बातों में अध्यादेश निकालने की सरकारी शक्ति को नियंत्रित रखा जा सके और इस सदन की विधायनी प्रभुता सर्व-मान्य रहे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : संसद् सचिवालय ने कृपा पूर्वक हमें सूचित कर दिया था कि ये प्रश्न किसी न किसी रूप में उठने वाले हैं । मैं ने माननीय सदस्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद १२३ के अधीन राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सरकार के ऊपर लगाए गए आरोपों को बड़े मनोयोग से सुना है । ऐसी कोई बात वह नहीं कह सके हैं कि इन अध्यादेशों से संसद् की शक्तियों की कोई ऐसी हानि हुई है, जो सुधारी नहीं जा सकती या देश की जनता के ऊपर जो कुछ लाद दिया गया है, यह संसद् उसके विषय में कुछ नहीं कर सकती । जब यही बात सिद्ध नहीं की जा सकी है, तो यह प्रश्न वास्तविक न होकर वस्तुतः शास्त्रीय है ।

शास्त्रीय दृष्टि से भी देखें, तब भी मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य वही पुरानी बात दुहरा रहे हैं कि पारित हुए अध्यादेश ऐसे कामों में लाए जा रहे हैं, जो ज़रा भी भले नहीं हैं । परन्तु पारित होने वाले ये अध्यादेश बहुत-कुछ अहानिकारक हैं । वे सरकारी कार्य-संचालन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि अधिकांश से कम से कम तीन से संबंधित सरकारी नीति इस सदन को और जनता को बताई जा चुकी है । अन्य तीन के विषय में कुछ अन्तर है ।

मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि आपात काल सिद्ध नहीं हुआ है । पर वह यह मानेंगे कि हम निष्प्रयोजन कोई विधेयक पुरः-स्थापित नहीं करते । अब यह पुनर्वास वित्त प्रशासक संबंधी विधेयक है । उसमें त्रुटि है और यदि उसे दूर नहीं किया जाता, वह बढ़ जाएगी और उसका अन्त न होगा । चूंकि एक विधेयक ३-४ या ६ महीने सदन के समक्ष रह चुका है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह अनिश्चित काल तक पड़ा रहे । यदि मेरे माननीय मित्र यह कहें कि यह इस विधेयक को अग्रस्थान दिलाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, तो मैं यह बात भी मान लूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : आपने ऐसा सदन-कार्य सलाहकार कमेटी में भी किया था किन्तु आप असफल रहे थे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र ने ऐसा नहीं किया है । उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है । उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि अध्यादेश बुरी चीज़ है तथा सरकार द्वारा उनके प्रयोग किये जाने पर रोक होनी चाहिये । सदन को ऐसा कहने का पूरा अधिकार है तथा वह उन विधेयकों द्वारा जो इन अध्यादेशों को हमेशा के लिये विधि-पुस्तक पर रखना चाहते हैं ऐसा कर

सकते हैं और इस प्रकार की रोक थाम आवश्यक भी है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि हम ने उनका यह अधिकार छीन लिया है। इस अधिकार के रहते हुए केवल इतना होगा कि अध्यादेश लागू हो जायेंगे किन्तु वे उतने ही समय तक लागू रहेंगे जब तक कि सदन उन्हें स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर देता है। फिर भी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं यदि इन अध्यादेशों से जनता को कोई हानि पहुंचती है तो उसे साबित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसे अध्यादेशों को आपात विधान का नाम दे दिया गया है इससे यह आवश्यक नहीं हो जाता कि हम यह भी साबित करें कि आपात उसी प्रकार का है जिस प्रकार का माननीय सदस्य ने सोच रखा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में शान्ति और व्यवस्था खत्म हो गई है; किन्तु हो सकता है कि आर्थिक व्यवस्था संकट में हो। जहां तक उन दो अध्यादेशों का सम्बन्ध है जो अब सदन के सामने विधेयकों के रूप में आयेंगे तथा जिनसे मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि उस समय आपात था तथा यह कोई भी नहीं कह सकता कि आपात को साबित नहीं किया जा सकता है। उचित समय पर मैं आपात को साबित करने के लिये तैयार हूं।

यदि माननीय सदस्य प्रत्येक विधेयक के सम्बन्ध में तथ्य सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तथा वह केवल यही जानना चाहते हैं कि आपात क्या था और यह सब क्यों किया गया तथा छः, सात या आठ महीनों के बाद ही इसे विधेयक के रूप में क्यों नहीं रखा गया, तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह विद्या-सम्बन्धी विवाद भी नहीं है। यह तो केवल एक ऐसी बात है जिसको लेकर विरोधी दल अपने गुस्से का प्रदर्शन कर सकता है और कुछ भी नहीं।

विस्तार में जाये बिना ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो छः अध्यादेश जारी किये गये हैं उनसे सरकार ने जनता को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। जब ऐसी बात है तो फिर यह गड़बड़ी किस लिये ? यदि मेरे माननीय सदस्य इस बात को वाद विवाद का ही विषय बनाना चाहते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर बहस की जा सकती है। परन्तु जहां तक सार का सम्बन्ध है उनकी बात में कोई सार नहीं है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : यदि यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिये आपको अध्यादेश तक जारी करना पड़ा तो यह विधेयक पिछले सत्र में ही क्यों नहीं पास करा लिया गया ? उसे अन्तिम दिन तक के लिये क्यों उठा रखा गया ? वास्तव में, बात तो यह है कि सरकार ने उस समय तक उसे आवश्यक ही नहीं समझा। दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है "आपात" का उल्लेख। हम यह नहीं चाहते कि आप शरणार्थियों को ऋण न दें। मैं तो यह चाहता हूं कि आप उन्हें अधिक से अधिक ऋण दें। परन्तु जितना रुपया पहले ही से दे रखा गया है और जब उसी को अब तक नहीं निबटाया गया तो आगे और मांगने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ए० सी० गुहा : ऐसी बात नहीं है। प्रशासन को ७ करोड़ रुपये तक ऋण देने की मंजूरी दी गई थी किन्तु उसने ३१ अक्तूबर तक ७·२ करोड़ रुपये तक का ऋण दे दिया है। इस प्रकार मंजूर की गई राशि में से रुपया बच रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : पिछले सत्र म मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया था कि ६ करोड़ रुपये तक के ऋण दे दिये गये हैं। मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कुछ ही सप्ताहों के अन्दर एक करोड़ रुपये को और निबटा दिया जायेगा। फिर भी, यह तो मानना

[श्री वी० पी० नायर]

ही पड़ेगा कि सरकार इसको अन्तिम अवसर तक रोके रही। और बाद में उसने राष्ट्रपति को सलाह दी कि वह इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी कर दें। सदन को विश्वास में लिये बिना सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये था।

अब मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्यों को लेता हूं। पिछली बार जब मैंने यह बात कही थी कि प्रशासन में नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में पक्षपात किया जा रहा है तो श्री गुहा ने उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार का काम ऐसी बातों का पता लगाना नहीं है। परन्तु मेरे विचार में अब तो वह इस बात को स्वीकार करेंगे तथा प्रशासन में से इस बुराई को शीघ्र से शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

निस्सन्देह, प्रशासन ने बहुत से लोगों की सहायता की है किन्तु इसने बहुत से लोगों को तंग भी किया है। ऋण आसानी से नहीं मिलते। फिर ऋण पर ब्याज़ भी अधिक लिया जाता है। ऋण की शर्तें भी कड़ी होती हैं। साधारण स्थिति के व्यक्ति के लिये ऋण प्राप्त करना आसान नहीं है। मैं ऐसे अनेक दूकानदारों को जानता हूं जिन्हें रुपये की ज़रूरत है मगर उन्हें ऋण नहीं दिया जाता। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोगों को घूस देने पर भी ऋण प्राप्त नहीं हो सका है।

यदि बहुत सी कठिनाइयों के पश्चात् ऋण मंजूर भी किया गया तो उसे किश्तों पर दिया जाता है। यदि आपको २०,००० रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया है तो पहले आपको २,००० रुपये ही दिये जायेंगे। इसी तरह धीरे धीरे आपको किश्तों पर धन मिलेगा। परिणाम यह होता है कि ऋण लेने वाला सारे धन को खा बैठता है और उससे कोई लाभ नहीं उठा पाता। शरणार्थियों से कहा जाता है कि ज़मानत के रूप में वे अपने मकान, बीमा पत्र या बचत-प्रमाण पत्र आदि जमा करायें। सोचिये तो बेचारे शरणार्थी इन सब का प्रबन्ध कैसे कर सकते हैं।

एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है ऋणों को मंजर करके उन्हें बाद में नामंजूर कर देने की। यद्यपि मुझे ठीक पता नहीं है फिर भी ५०० मामले ऐसे हैं जिनमें पहले ऋण देना मंजूर कर लिया गया तथा बाद में नामंजूर कर दिया गया। ऐसा मालूम पड़ता है कि ऋण देना या न देना अधिकारियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मैं पूछता हूं कि जब आपने एक बार ऋण देना स्वीकार कर लिया तो उसे फिर न देने के क्या कारण हैं! इसीलिये मैंने उस दिन सुझाव रखा था कि इस सम्बन्ध में एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाये। ऐसे भी ५० या ६० मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति की ज़मानत पर ऋण दिया गया मगर बाद में उन व्यक्तियों को पता ही नहीं लगा। प्रत्याभूति देने वाले व्यक्ति काल्पनिक होते हैं।

पिछले रेकार्ड को देखने से पता लगता है कि १९४९ में होने वाली आय का २१७ प्रतिशत प्रशासन पर ही व्यय कर दिया गया था। हाल ही में मुझे पता लगा है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन को अब तक जितना रुपया प्राप्त हुआ है उसका ९ प्रतिशत या लगभग एक करोड़ रुपये तो उसने अपने ही ऊपर व्यय कर डाले हैं। कुछ समय पहले मैंने श्री गुहा से इस प्रशासन में नियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों की जांच करने के लिये कहा था और उन्होंने ऐसा करने का वचन भी दिया था। यदि वह चाहें तो मैं और भी नाम बतला सकता हूं।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में इस विषय पर लगभग दो महीने पूर्व चर्चा की गई

थी । बाद में माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी भेजा था और हम उस पर विचार कर रहे हैं । इस प्रशासन में काम करने वाले ६५० पदाधिकारियों में से उन्होंने १० या १२ पदाधिकारियों के मामलों का उल्लेख किया है । यदि यह बात मान भी ली जाये कि १०, १२ या १५ पदाधिकारी ऐसे हैं जो अन्य पदाधिकारियों के सम्बन्धी हैं तो भी मेरे विचार में आप सारे के सारे प्रशासन की इसके लिये निन्दा नहीं कर सकते । यदि १५ या २० पदाधिकारी अन्य पदाधिकारियों के सम्बन्धी हैं तो इसमें आपत्ति की क्या बात है । फिर भी, हम इन आरोपों की जांच कर रहे हैं । यदि नियुक्ति करने में कोई ग़लती की गई है या बाद में कोई गड़बड़ी हुई है तो हम ज़रूर कार्यवाही करेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : बात यह नहीं है । जब यह सवाल उठाया गया था तो उस समय वार्ता केवल आध घंटे की थी इसलिये मैंने केवल बहुत ही प्रमुख उदाहरण बताये थे अब मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं । पिछली बार माननीय मंत्री ने कहा था कि जिनके सम्बन्ध में मैंने उन्हें लिखा है उन सब का वे पारिवारिक इतिहास नहीं रख सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: जहां तक मुझे स्मरण है मैंने कहा यह था कि पुनर्वास वित्त प्रशासन एक स्वायत्त संस्था है यदि उसके कार्य में कोई त्रुटि हो अथवा उसका कोई कर्मचारी मंत्रालय के किसी अफ़सर का सम्बन्धी हो तो उसके लिये न मैं उत्तरदायी हूं और न मैं यही कह सकता हूं कि यह प्रशासन जो भी कर्मचारी नियुक्त करे सरकार उसके पारिवारिक इतिहास की जांच करे ।

श्री वी० पी० नायर : ऐसा जान पड़ता है कि श्री गुहा का यह विचार है कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा रहा हूं । मैं उनके व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं.....

श्री ए० सी० गुहा : मैं कहता हूं मेरा विचार है कि सरकार.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते हैं उनको कहने दीजिये । कुछ भी हो इस प्रशासन को सरकार ने नियुक्त किया है और उत्तरदायित्व भी सरकार का है । यदि अफ़सर परस्पर एक दूसरे के सम्बन्धी हैं तो यह स्पष्ट रूप से सम्बन्धियों का पक्षपात है और यदि वेतन, जितने पहले मिलते थे, उनसे बहुत अधिक हैं तो सदन को यह सब जानने का अधिकार है । जहां तक विवरण का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि वे इसके विवरण माननीय मंत्री को बता दें । यह तो केवल एक संशोधन विधेयक है,

कोई मूल विधेयक नहीं है तथा कुछ विशेष खण्डों का ही संशोधन करना है । सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में, सामान्य वार्ता का उद्देश्य केवल इतना है कि माननीय सदस्य सात करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ा कर साढ़े बारह करोड़ रुपये करने की वांछनीयता पर ध्यान दे सकें । इतने अधिक विवरण में जाना, जैसे कि हम इस संगठन के प्रशासन पर कोई प्रतिवेदन तय्यार कर रहे हों, उचित नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं उदाहरणों को बार बार दुहराना नहीं चाहता था परन्तु चूंकि श्री गुहा कहने लगे कि प्रशासन के ५०० व्यक्तियों में मैंने केवल पांच, छः उदाहरण बताये हैं इसलिये मैंने कहा कि यदि श्री गुहा अभी विश्वास दिलावें कि वे इस मामले की जांच करेंगे तथा तुरन्त उसका उचित उपाय करेंगे तो मैं कितने ही उदाहरण बता सकता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : अभी तक उन्होंने दस से अधिक उदाहरण नहीं बताये हैं । यदि इस प्रकार की अनियमितता के और उदाहरण मुझे बताये जायें तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, यदि आप कार्यवाही पढ़ें तो आप देखेंगे कि आलोचना करने वालों में केवल कम्युनिस्ट दल के ही सदस्य नहीं थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : वाक् युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है निश्चय ही माननीय मंत्री इस की जांच करेंगे । ५०० में पांच उदाहरणों से यह हो सकता है कि परिणाम निकाला जाय कि प्रशासन खराब नहीं है । यहां सदन में उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं है । इसीलिये मेरी सलाह है कि जो उदाहरण माननीय मंत्री को बताये गये हैं यदि उनके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण उदाहरण हों तो उसके एक दो नमूने यहां बताये जा सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: यह श्री गुहा तथा श्री नायर का कोई आपसी झगड़ा नहीं हैं । यह ऐसा मामला है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है । एक ओर श्री नायर का कहना है कि वे सौ से भी अधिक उदाहरण बता सकते हैं दूसरी ओर माननीय मंत्री का कहना है कि ऐसे उदाहरण मुश्किल से दस हैं । इसलिये हम कम से कम बीस उदाहरण जानना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए क्या यह आवश्यक है ? जहां तक नामों का सम्बन्ध है माननीय सदस्य उनके नामों की एक तालिका माननीय मंत्री को तथा उसकी एक प्रतिलिपि अन्य सदस्यों को दे सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं सदन को कुछ और नाम बताता परन्तु अब मैं आप ही के आदेश का पालन करूंगा ।

इस प्रशासन की एक और विशेषता है । पुनर्वास वित्त प्रशासन में सब मिला कर ५०० या ६०० आदमी होंगे जिसमें से केवल ११० या १२० चतुर्थ वर्ग के हैं तथा शेष सभी उच्च वर्ग के हैं ।

इस प्रशासन में एक श्री रामगोपाल की नियुक्ति की गई है जो रिटायर हो चुके हैं और जिनमें इतनी शक्ति शेष नहीं है कि वे कार्य कर सकें, यहां तक कि वे ठीक से हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : अब वे प्रशासन की सेवा में नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : इस प्रशासन के विधि अधिकारी ने मुख्य प्रशासक के एक पत्र का उत्तर देते हुए लिखा है कि वे क़ानून से इतना परिचित नहीं हैं कि कोई निश्चित राय दे सकें जैसा कि उस पत्र से प्रकट होता जो कि हमारे मित्र श्री गिडवानी ने पढ़ कर सुनाया था । मैंने सुना है कि यह विधि अधिकारी पहले उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त में कपड़े का व्यौपारी था और इसने कभी किसी न्यायालय में वकालत नहीं की थी । उसके पास वकालत की डिग्री अवश्य थी । जब तक श्री गुहा मेरी सूचना का खण्डन नहीं करते हैं मैं समझता हूं कि मेरी सूचना ठीक है । मैं बता सकता हूं कि उनकी नियुक्ति का कारण क्या है लेकिन मैं विवरण में जाना नहीं चाहता हूं । मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि प्रशासन को अधिक धन राशि न दी जाय । मैं तो यह कहता हूं कि जब तक प्रशासन में यह दोष रहेंगे जो भी धन राशि संसद् द्वारा दी जायगी उस को यह लोग खा जायेंगे तथा शरणार्थियों को इस धन राशि का अपना भाग नहीं मिलेगा ।

इस विधेयक में एक और प्रावधान यह है कि लेखा परीक्षण का कार्य महालेखेक्षक को सौंपा जाय । इस प्रशासन के लेखा का परीक्षण

महालेखेक्षक द्वारा कभी नहीं किया गया है। श्री गुहा द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार एक बार विभाग ही के अन्दर लेखा परीक्षण किया गया था तथा एक बार एक अधिकृत लेखा परीक्षक फ़र्म के द्वारा किया गया था। इस प्रशासन पर प्रबन्ध की गड़बड़ियों के इतने निश्चित अपराध लगाये जाते हैं कि महालेखेक्षक द्वारा इस प्रशासन का हिसाब उस दिन से देखा जाना चाहिये जबकि यह प्रशासन बना था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस खण्ड में कोई ऐसा अवरोध है कि जिन लेखाओं का परीक्षण किया जा चुका है महालेखेक्षक के द्वारा उनकी जांच न करवाई जाये ?

श्री वी० पी० नायर : हां, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : कहां ? अभी भी महालेखेक्षक से उन लेखाओं का परीक्षण करने को कहा जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर: अगर यही बात है तो जब यह प्रश्न उठाया गया था तो श्री गुहा भी यही बात कहते। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार महालेखेक्षक से कहे कि वे इस प्रशासन के हिसाब किताब का उस समय से परीक्षण करें जब से कि यह प्रशासन बना था।

मैं माननीय मंत्री से यह भी कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे व्यक्तियों की सूची बताई जाये जिनको ऋण दिये गये थे परन्तु एक वर्ष के अन्दर ही वापस ले लिये गये। मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक्टिंग अलाउंस वाले नियम दस की ओर भी दिलाना चाहता हूं। इस नियम में कार्यपालिका आदेशों के द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन किये गये ह कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति में पुनर्वास वित्त प्रशासन ने लाखों रुपये व्यय कर डाले हैं।

मेरा निवेदन है कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार सम्बन्धियों के प्रति पक्षपात तथा अनियमितताएं फैली हैं सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और मैं अपनी मांग फिर दुहराता हूं कि पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रबन्ध की जांच करने के लिये सरकार को एक संसदीय आयोग नियुक्त करना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह स्पीच जो अभी मेरे लायक़ दोस्त ने दी है और साथ ही श्री लंका सुन्दरम् का जो ला प्वायंट है, वह भी मैं ने बग़ौर सुना। जहां तक ला प्वायंट का ताल्लुक़ है, मैं श्री लंका सुन्दरम् का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हों ने हमारे सामने ला का एक थ्योरेटिकिल प्वायंट रक्खा और दरअस्ल वह बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम सब मेम्बरान पार्लियामेंट मय गवर्नमेंट के यह चाहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो वहां तक गवर्नमेंट उन अख्त्यारात का इस्तेमाल न करे, खसूसन जब कि पुरानी गवर्नमेंट आर्डिनेंसेज़ जारी करती थी तो हम सब इस बात के लिये मुत्तफिक़ थे कि वह आर्डिनेंस जारी न करे और ऐसा करने पर हम सारे के सारे उस को भला बुरा कहते थे, लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज हमारे दोस्त ने इस मामले में जो आबजेक्शन उठाया है और इस आर्डिनेंस के बारे में जो बात कही है, उस में उन्हों ने फ़ैक्ट्स फ़ेस करने और उन के कहने से गुरेज़ किया और जब दूसरे बिल्स यहां पर आयेंगे तब उन के बारे में हम देखेंगे कि आया आर्डिनेंसेज़ की ज़रूरत थी कि नहीं। अभी हमारे लायक़ दोस्त श्री कृष्णमाचारी ने फ़रमाया है कि जहां तक उन के बिल का ताल्लुक़ है जब वह वक्त आयेगा तब वह जस्टीफ़ाई करेंगे कि किस तरह से इस पावर का इस्तेमाल ज़रूरी था। लेकिन इस बिल के वास्ते मैं जानता हूं कि यह बहुत ज़रूरी था कि आर्डिनेंस जारी किया जाता, इस में कोई शक़ ही नहीं कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बिला आर्डिनेंस के काम चल ही नहीं सकता था । मैं शुरू से इस फ़ाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइज़री बाडी का मेम्बर हूं और हम ने अपनी ऐडवाइज़री बाडी में यह देखा कि पिछले सेशन में अगर यह बिल पास नहीं किया गया तो सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम एकदम रुक जायगा । वह उस लिमिट को पास कर चुका था जिस के अन्दर इजाज़त थी कि वह रुपया दे सकता था और नतीजा यह होता कि सारा काम बन्द हो जाता और गवर्नमेंट के पास उस वक्त सिर्फ़ एक चारा था कि वह इस के लिए एक आर्डिनेंस जारी करे और मेरी राय में गवर्नमेंट ने ठीक ही किया जो आर्डिनेंस जारी किया । मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आर्डिनेंस के बारे में लोगों की अभी भी वही रेड रैग टु दि बुल की मंटैलिटी बनी हुई है और अभी तक हम लोग हमेशा फ़ारेन गवर्नमेंट से इन आर्डिनेंसों के जारी करने पर लड़ते रहे हैं और उस को भला बुरा कहते रहे हैं, लेकिन मैं उन से अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अब हालात बिल्कुल बदल गये हैं और वह यह भूल गये कि हम ने आर्डिनेंसेज़ के बारे में जो ला बनाया है वह पिछले ला से बहुत मुख्तलिफ़ है । अब आर्डिनेंसेज़ के जो अल्फ़ाज़ हैं वह बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं । आर्टिकल १२३ बिल्कुल मुख्तलिफ़ है उन इमरजेंसी प्राविज़न से जिन का ज़िक्र मेरे लायक दोस्त श्री लंका सुन्दरम् ने किया है । इमरजेंसी प्राविज़न्स के तहत ३५२ में दर्ज है :

"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereofre is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance he may, by Proclamation, make a declaration to that effect."

["यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उस के राज्य क्षेत्र की किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा ।"]

मैं खुद मानता हूं कि न आसमान गिरने वाला था और न खुद यूनियन को कोई खतरा था और न इमर्जेन्सी थी, लेकिन मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि १२३ के अन्दर इमर्जेन्सी का सवाल ही पैदा नहीं होता । इस के अल्फ़ाज़ यह हैं :

"123 (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

["१२३(१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों ।"]

१०३ और ३५२ के अल्फ़ाज़ में रात दिन का फ़र्क़ है । अगर ऐसे हालात थे कि सिवा इस के कि गवर्नमेंट कोई आर्डिनेन्स पास करती और कोई तरीका नहीं था और उन्हें चाहिये था कि वह आर्डिनेन्स

पास करते, और पास करना बिल्कुल ज़रूरी था, तो आर्डिनेंस पास कर के गवर्नमेंट ने ठीक तौर पर अपने फ़रायज़ को अदा किया। अगर गवर्नमेंट ऐसा न करती तो सारा हाउस इस गवर्नमेंट को आज फिर कंडम करता कि उस ने ऐसा क्यों नहीं किया।

डा० लंका सुन्दरम् : अधिनियम १२३ के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले अध्यादेशों के भूतलक्षी गुण के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो क़ानून का प्रश्न है तथा कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन में राष्ट्रपति को संसद के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। परन्तु यहां तो प्रश्न संविधान का है। क्या हम इस सदन में कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिस से हम संविधान को बदल सकें। संविधान को बदलने के लिये संविधान में हम एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर चुके हैं तथा ऐसा करने का अधिकार सौंप चुके हैं। अब हम वह अधिकार वापिस नहीं ले सकते हैं।

मैं इन हालात में अदब से अर्ज़ करूंगा कि मैं यह मानता हूं कि जहां तक यह सवाल है कि इस अम्र की पावर्स क्या हैं; प्रेज़िडेंट यह डिटर्मिन, करेगा। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक मेरे दोस्त की यह तजवीज़ कि कोई ऐसी तजवीज़ की जाय कि गवर्नमेंट के या प्रेज़िडेंट के अख्त्यारात को कायम कर दिया जाय। यह मेरे ख्याल में मिसकन्सीव्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इसी विषय पर और अधिक वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुमान है कि उन का तात्पर्य केवल इतना है कि जहां कहीं इस शक्ति का प्रयोग किये बिना ही काम चल सकता हो वहां इस का प्रयोग न किया जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में किसी को कोई एतराज नहीं कि गवर्नमेंट को इन पावर्स को सिर्फ़ उन्हीं हालतों में यूज़ करना चाहिये जब कि उन का यूज़ करना बिल्कुल लाज़िमी हो जाय। वर्ना हर्गिज़ नहीं करना चाहिये, और मैं डा० लंका सुन्दरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि हमारे सामने हमेशा जो उसूल रहना चाहिये उस पर ज़ोर देते हैं, लेकिन ताहम मैं कहूंगा कि जहां तक आर्डिनेन्स को जारी करने का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट के पास सिवा इस के कोई चारा नहीं था और उस को चाहिये था कि वह आर्डिनेंस जारी करती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने मि० वी० पी० नायर की तक़रीर सुनी, उस से मैं और भी ज्यादा हैरान हूं। मैं जानता हूं कि यह बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट के बर्खिलाफ़ जो जिस तरह का चाहे क्रिटिसिज्म करे, और कोई भी आर्गूमेंट इस्तेमाल किया जाय, लेकिन हाउस के अन्दर ऐसे आर्गूमेंट कोई बहुत वज़न नहीं रखते हैं। जहां तक फ़ाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, मैं उस के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने एक खास काम यह किया कि उस के अन्दर नान-आफ़िशल मेम्बर्स को उन पेम्मर्स को मुकर्रर किया जिन के वास्ते सिर्फ़ आफ़िशल वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि खसूसन नान-आफ़िशल वर्ल्ड में बहुत इज़्जत है। उस में मेरी दोस्त सुचेता कृपलानी हमारे सरदार गुरमुख सिंह साहब, हमारे मैत्रा साहब ऐसे लोग थे। उन्हों ने इस कारपोरेशन में बड़ी मेहनत से, बड़ी जांफ़िशानी से और तनदिही से काम किया और हम जितना भी उन का शुक्रिया अदा करें थोड़ा है। जब गवर्नमेंट ने ऐसे आदमियों को मकर्रर किया तो क्या हम भूल जायें कि उस की नीयत साफ थीं। आज यह कहना कि पांच सौ मुस्लिम हैं और उनमें से दस के ऊपर नुकताचीनी करना कि वह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

खराब हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह नाजायज़ तरीका है ऐडमिनिस्ट्रेशन को कंडम करने का। आज हमारे सामने कहा जाता है कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इत्तफाक से जनाब वाला उस वक्त तशरीफ़ नहीं रखते थे मैं चेअर पर था, मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरह का ऐलिगेशन करना बड़ा आसान है। उस वक्त मि० नैयर ने कहा था कि चूंकि इस बाडी में एक शख्स गुप्ता है और दूसरा भी गुप्ता है इस लिये वह आपस में रिश्तेदार ही होंगे। मैं अदब से अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि एक मि० नैयर यहां बैठे हुए हैं और दूसरे मि० नैयर मद्रास में हैं, तो क्या वह आपस में रिश्तेदार हैं ? मैं भी चाहता हूं कि कोई गड़बड़ी हो तो उस को तश्त अज़ बाम लाया जाय। मैं एक मिनट के वास्ते भी नहीं चाहता कि किसी ऐसे कारपोरेशन में, गवर्नमेंट के महकमे में कोई आदमी भी खराब हो और हम उस को दूर न कर सकें ? लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि उस ऐडवाइज़री बाडी में कौन कौन से लोग हैं ? उस में गिडवानी साहब हैं। अगर उन के इल्म में हो कि फलां जगह कोई खराबी है तो वह बिना उस को सामने लाये नहीं मानते। कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां मि० गिडवानी का रेज़ोल्यूशन नहीं आता और हम सब उन के शुक्रगुज़ार हैं कि जो भी खराबी होती है वह उस को निहायत ज़ोर के साथ कहते हैं।

अब एक कमेटी बैठी है जो उन सब बातों की जो यहां कही गई हैं, तहकीकात कर रही है। अगर कोई भी खराबी पाई गई तो मैं पहला आदमी हूंगा जो उस को दुरुस्त करने के लिये कहूंगा। मैं एक मिनट के लिये भी नहीं चाहता कि कहीं इस तरह का नेपाटिज़्म हो। मैं चाहता हूं कि जो भी मर्ज़ हो उस को दूर किया जाय। लेकिन मैं तो अपने दोस्त की बात को सुन कर हैरान हो गया। इस तरह की तजवीज़ करना कि पार्लियामेन्टरी कमिशन बैठे कहां तक जायज़ है। आखिर वह पार्लियामटरी कमिशन को क्या समझते हैं। पार्लियामेंटरी कमिशन किस चीज़ के लिये बैठाया जाय ? वह इस तरह की मिसालें पांच से ज्यादा नहीं बतला सकते, और उन को भी इस लिये कंडम करना कि चूंकि फलाना भार्गव है और दूसरा भी भार्गव है, फलाना गुहा है और दूसरा भी गुहा है, इस लिये दोनों रिश्तेदार हैं, क्या माने रखता है। मैं चाहता हूं कि जो खराबियां हों उन को दूर किया जाय, लेकिन यह कहना कि सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है, मानो सौ आदमी खराब हैं यह दुरुस्त नहीं है। क्रिटिसिज्म करने का यह तरीका नहीं है।

श्री पी० आर० राव (वारंगल) : पांच छः नहीं, दसियों की तादाद बतलाने को कहा था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मगर दस की भी तादाद हो, तो भी मैं अर्ज़ करूंगा कि दूसरे फोरम मौजूद हैं, यहां हाउस के अन्दर पांच सात आदमियों का नाम लेना और कहना कि वह किसी के रिश्तेदार हैं दुरुस्त नहीं है क्योंकि वह आदमी मौजूद नहीं हैं जो यह कह सकें कि नहीं, वह किसी के रिश्तेदार नहीं हैं। अगर इस तरह के क्रिटिसिज़्म करने की इजाज़त इस हाउस में दी गई तो मैं नहीं जानता कि यह कहां तक मुनासिब होगा। जो खराबियां हैं मैं उन पर परदा पोशी नहीं करना चाहता, मैं उतना ही ऐक्शस हूं कि खराबी को दूर किया जाय लेकिन इस का यह तरीका नहीं है कि जो अफसरान यहां पर मौजूद नहीं हैं उन के खिलाफ जनरल ऐक्युजेशन किया जाय और उन को कंडम किया जाय। इस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इ तने

अर्से में बहुत कुछ फायदा लोगों का किया है। इस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने जहां तक हो सका, जितनी उस की ताकत में थी उतनी उन्हों ने रिफ्यूजीज़ को मदद करने की कोशिश की है, यह मैं जानता हूं। इस में कोई शक नहीं कि हर एक रिफ्यूजी को इस के अन्दर लोन नहीं मिला, लेकिन गिडवानी साहब की बहस को सुन कर मैं हैरान रह गया कि वह किस तरह की बहस करते हैं। यह ऐडमिनिस्ट्रेशन कोई ग्रांट देने की ऐसोसियेशन तो है नहीं, यह अजित प्रसाद साहब का महकमा भी नहीं कि जिसे चाहे रुपया दे दे, जिस की भी हालत खराब हो, जो भी ग़रीब हो उस को इमदाद दे दें। यह तो एक कर्जा देने को है। कर्ज़ा उस को दिया जाता है जो कर्ज़ को ठीक इस्तेमाल करे। जो उस को ठीक इस्तेमाल न करे उस के खिलाफ पार्लियामेंट ने ला पास किया कि कोअर्सिव इस्तेमाल किया जाय। जनाब के रूबरू यह अर्ज़ किया गया कि कुछ आदमियों के खिलाफ वारन्ट जारी किये गये, बड़ी बेरहमी का बर्ताव किया गया, यूटेन्सिल्स और हाउसहोल्ड चीजों की कुर्की की गई मैं कहना चाहता हूं कि जिन के यूटेन्सिल्स और हाउसहोल्ड चीज़ों की कुर्की की गई वह दुरुस्त था, लेकिन वह किस का कुसूर था ? उस कलेक्टर का कुसूर था। अगर उस के पास कुर्की करने का हुक्म भेज दिया गया और कलेक्टर साहब अपनी पावर्स का मिसयूज़ करें तो उन का कुसूर है न कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का। मामूली तरीके से तो यह सवाल उठाइये कि आया जिन के खिलाफ यह कोअर्सिव प्रोसेसेज़ लगाये ज़ा रहे है वह ठीक किया जा रहा है या ग़लत किया जा रहा है लेकिन अगर किसी को कर्ज़ दिया जाय तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो कि यह कहे कि कर्ज़ के वसूल करने के लिये कोअर्सिव प्रासेसेज़ न इस्तेमाल किये जायें।

जितने कोअर्सिव प्रोसेसेज़ लगे हैं उन को एगज़ामिन किया जाता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन इसी वास्ते तो बैठा है। जिन चन्द केसेज़ में कोअर्सिव प्रोसेसेज़ लगाये गये हैं उन में लगाये जाने चाहिये थे वरना जो एक्ट बनाया गया था वह क्यों बनाया जाता और उस में यह पावर ही क्यों दी जाती। यह पार्लियामेंट का ऐक्ट था और उसी के मुताबिक यह काम होता है और फिर ऐतराज़ किया जाता है कि यह क्यों किया गया। आखिर यह १५ करोड़ रुपया वापस लेना है या नहीं। अगर वापस न लेना हो तब तो १५ करोड़ ही क्या १५०० करोड़ भी रुपया हो तो भी कोई प्रिकाशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक यह लोन है तब तक इस ऐक्ट के मुताबिक सारी ताकतें इस्तेमाल की जायेंगी। इस में शक नहीं कि जिस वक्त यह ऐक्ट बना था और आज में बड़ा फर्क हो गया है। आज हर एक आदमी स्लम्प के मारे तंग है और हर एक आदमी की आमदनी कम हो गई है। आप इन से ६ पर सेंट सूद लेते हैं। अब देखना चाहिए कि वह कितना कमायेगा कि आप को ६ परसेंट सूद दे अपना गुज़ारा भी करे और आप का इन्स्टालमेंट भी वापस करता रहे। जब यह ऐक्ट पास हुआ था उसी वक्त मैं ने अर्ज़ किया था कि यह सूद का जहां तक सवाल है यह रिफ्यूजीज़ को पनपने नहीं देगा। तो न तो यह इस सूद को अदा कर सकते हैं, न कुछ बचा ही सकते हैं और न इन्स्टालमेंट ही अदा कर सकते हैं। अभी गिडवानी साहब ने हाउस को बतलाया है कि इन में ४८ परसेंट से ज़्यादा अपना इन्स्टालमेंट नहीं देते हैं। जब कभी भी मीटिंग होती है और हमारे सामने फिगर्स आते हैं तो हम देखते हैं कि ५० परसेंट से ज़्यादा इन्स्टालमेंट वसूल नहीं होता है। और इस की वजह यह है कि स्लम्प आया हुआ है जो कि हर एक आदमी को तंग कर रहा है और रिफ्यजीज़ भी उस से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मुबरा नहीं हैं। जैसा कि मेरे दोस्त मिस्टर नायर ने बताया, रिफ्यूजीज़ की हालत यह है कि जब उन को लोन दिया जाता है तो उन से सिक्यूरिटी ली जाती है। और सिक्यरिटी इसलिए ली जाती है क्योंकि कानून के मुताबिक है। लेकिन यह बहुत अच्छा उसूल नहीं है और ऐसे भी मौके होने चाहिएं कि सिक्यूरिटी माफ कर दी जाया करे।

जहां तक इस को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करन का सवाल है, मैं यह अर्ज़ करूंगा कि अगर इस के अन्दर यह इजाज़त दी जाय कि आप इंटरेस्ट को कम कर सकेंगे या आप रुपये को बढ़ा सकेंगे तब तो हम को इसे सिलेक्ट कमेटी में ले जाने से फ़ायदा हो सकता है और हम रिफ्यूजीज़ के फायदे की तजवीज़ ला सकते हैं और उन की मदद हो सकेगी। लेकिन जो इस बिल का स्कोप है उस को देखते हुए मैं कहता हूं कि हम को इसे सिलेक्ट कमेटी में ले जाने से कोई फायदा नही होगा। अगर आप हम को उन चीज़ों के करने की इजाज़त दें जैसा कि मैं ने ऊपर अर्ज़ किया है तब तो इस का सिलेक्ट कमेटी में ले जाना मुनासिब है। आप इस की दफ़ा २ का मुलाहिज़ा फरमायें। हम चन्द भाई अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक डेपुटेशन ले कर हाज़िर हुए थे। और हम ने अर्ज़ किया था कि वह इस रकम को दस करोड़ से बढ़ा दें। उन्हों ने बड़ी मेहरबानी कर के उस को साढ़े चौदह करोड़ कर दिया और जो दो करोड़ की रकम है इस साढ़े चौदह करोड़ में, वह भी रिफ्यूजीज़ के लोन लेने के काम में आवेगी। अगर इस रकम को और भी बढ़ा दिया जाय तो वह सब आदमी जो कि रिफ्यूजीज़ में इंटरेस्टेड हैं वह निहायत ही खुश होंगे। अगर इस को १५ करोड़ कर दिया जाय तो निहायत मुनासिब होगा या अगर गवर्नमेंट और भी ज्यादा बढ़ा सके तो और भी अच्छा होगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि हम बढ़ा सकेंगे या नहीं। एक है सेक्शन जिस के अन्दर यह है कि जो रुपया इन्स्टालमेंट का वसूल हो उस को भी कर्ज़ में दिया जा सकेगा। इस को हम मंजूर करते हैं। इस के अलावा १० साल से १५ साल करने का सवाल है। इस को भी हम ने मंजूर कर लिया है। जहां तक इस का सवाल है यह अच्छा है। यह सारा किस्सा पांच सेक्शन का है। अगर हम को इन के अलावा और दूसरे सवालों में जाने की इजाज़त हो तब तो इस को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए ताकि हम इस में सूद को कम कर सकें और कुछ दूसरी फायदे की चीज़ें कर सकें। वरना अगर इस बात की इजाज़त नहीं है तो जितनी जल्दी यह पास हो जाय उतना ही अच्छा है। पिछले सेशन में हमारी एडवाइज़री बाडी ने मुझ से कहा था और मैं पार्लियामेंटरी एफयर्स के मिनिस्टर साहब से और दूसरे साहिबान से मिला कि इस को उसी सेशन में पास कर दिया जाय लेकिन उस सेशन में यह नहीं हो सका। इसी वजह से यह आर्डिनेंस पास करना पड़ा। अगर उस वक्त यह पेश हो जाता तो आध घंटे में पास हो जाता। हम चाहते हैं कि जो भी ला हमें पास करना है उसे हम जल्द से जल्द पास करें। मेरी गज़ारिश है यह कि अगर जनाब वाला की यह राय हो कि इस के अन्दर हम किसी न किसी तरह से अमेंडमेंट कर सकते हैं सूद के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि हाउस इस को सिलेक्ट कमेटी में भेज दे लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने से कोई फायदा नहीं है।

एक लफ्ज़ में उन एलीगेशन्स के बारे में कहना चाहता हूं जो कि इस आरगेनाइज़ेशन

के सरवेंट्स के बारे में किये गये हैं । उन के खिलाफ बड़े वाइड ऐलीगेशन्स किये गये हैं । पहले रिछपाल साहब आये और बाद को राम गोपाल साहब आये । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं उन से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूं लेकिन मैं अपनी ड्यूटी में फेल होऊंगा अगर मैं इस हाउस की खिदमत में यह अर्ज न करूं कि उन्हों ने बड़ी अच्छी खिदमत की । और बड़ी ईमानदारी से काम किया । मैं जानता हूं कि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने पूरा एकामोडशन नहीं दिया जिस की वजह से एप्लीकेशन्स जल्दी तै नहीं हो सकीं क्योंकि जब तक आफिस न हो काम होना मुशिकल है । वह तकलीफ बड़ी देर में दूर हुई । गवनमट मकान नहीं दे सकती थी, चार कमरे हम को दिये गये थे । लेकिन उस हिस्ट्री में जाने से कोई फायदा नहीं है । गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा रुपया और जगह दे, लेकिन इस तरह का कंडमनेशन किसी ईमानदार आदमी को काम नहीं करने देगा और न ऐसा करने से किसी आदमी में ईमानदारी से काम करने की अर्ज़ होगी ।

श्री पी० आर० राव : मैं एक सवाल का और जवाब चाहता हूं । वहां पर जो ६०० मुलाजिमीन हैं उस में क्लेरिकल स्टाफ १२० से ज्यादा नहीं । अगर दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपाटमेंटस से इस का मुकाबला किया जाय तो वहां पर आफिसर्स बहुत ज्यादा हैं । क्या इस के बारे म आप के पास कुछ जवाब है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला बेहतर तो यह होता कि यह सवाल मिस्टर गुहा से किया जाता लेकिन चूंकि सवाल कर दिया गया है इसलिए जवाब देता हूं । हर एक आरगनाइजेशन में यह देखना होता है कि जो काम उस के सुपुर्द है वह किस नोइयत का है । अगर वह ऐसा काम है जिस में ज्यादा अफसर होने चाहिए तो ज्यादा अफसर होंगे और अगर ऐसा काम है कि जिस में ज्यादा क्लर्क चाहियें तो ज्यादा क्लर्क होंगे । इस के अन्दर तहकीकात करने वाले आदमियों की ज्यादा ज़रूरत है । अब जब एक दरखास्त आती है तो उस की तहकीकात करने के लिए इन्सपक्टर या सबइन्सपेक्टर जाता है । उस के बाद फिर वह दरखास्त आती है । हम ने बड़ी कोशिश की कि एक दरखास्त तीन महीने के अन्दर फैसल हो जाय लेकिन बेहद अर्सा लगा और हम अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके । वजह यह थी कि हमारे पास अफसरान काफ़ी नहीं थे । बावजूद लोगों के यह बात कहने के अफसरान ज्यादा हैं, उनका यह कहना था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते आदमी नहीं हैं । सिर्फ चार मेम्बर हैं जिन में श्रीमती सुचेता कृपलानी भी हैं । ये लोग रात दिन काम करने पर भी उस को पूरा नहीं कर पाते हैं । इसी तरह से अफसरान भी काम करते हैं । अगर यह कहा जाता कि फलां अफसर को सिर्फ़ जवाब देने के लिए रखा गया है तो उस का जवाब दिया जा सकता था, वरना इस आरगेनाइज़ेशन की तो नोइयत ही ऐसी है कि इस के अन्दर ज्यादा अफसरान रखे जायें । लेकिन किसी को महज़ जवाब देने के लिये नहीं रखा गया है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि यह अत्यन्त लघु विधेयक है तथा इसमें शरणार्थियों को और अधिक सुविधायें देने के और साथ ही साथ प्रशासन के संचालन का सुधार करने के उपाय किये गये हैं । इस लिये मैं इस विधेयक के गुण दोषों के सम्बन्ध में न कह कर केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूं ।

दो मास पूर्व भी जब आध घंटे की चर्चा हुई थी तो श्री वी० पी० नायर द्वारा कुछ बातें

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

उठाई गई थीं । कुछ बातें, जो कही गई थीं, ऐसी विचित्र थीं तथा उन की भाषा ऐसी विचित्र थी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि यह सब बातें कहीं काहे के बारे में जा रही हैं। मेरा अनुमान है कि उनकी अधिकतर गलतफ़हमियों का कारण जानकारी का अभाव है । अतः मैं संक्षेप में बताती हूं कि इस प्रशासन का संचालन किस प्रकार होता है ।

किसी और माननीय सदस्य की अपेक्षा हमें इस बात की चिन्ता कम नहीं रहती है कि इस संगठन का कार्य ईमानदारी से तथा अच्छी तरह से होता रहे । यद्यपि मैं ने इस संगठन में बहुत समय बाद भाग लेना आरम्भ किया फिर भी मुझे ज्ञात है कि सदस्यों ने ऐसे नियम बनाने का प्रयत्न किया जिस से जहां तक हो सके भ्रष्टाचार को रोका जा सके । सारे देश में हज़ारों शरणार्थी रह रहे हैं । जो हमारे लिये बिल्कुल अजनबी है । हज़ारों ने ऋण प्राप्त किये हैं । यह हज़ारों व्यक्ति कैसे हमें प्रभावित कर सके या इनको रिश्वत देने का कब अवसर मिला, मेरी समझ ही में नहीं आता है । मैं अपने लिये नहीं कहती हूं मैं तो प्रशासन के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कह रही हूं ।

यह एक बहुत बड़ी संस्था है । शरणार्थी पाकिस्तान से आये हैं । यहां उनके पास कोई संसाधान नहीं हैं, उनके पास वे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं जिनसे वे अपना कथन प्रमाणित कर सकें और हमें अधिकतर तो उनके कहने ही पर विश्वास करना पड़ता है ।

हमारे अफ़सरों को उस स्थान विशेष में जाकर जांच करनी पड़ती है । पहली जांच तो हमारे असिस्टेंट इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है । वह शरणार्थी के निवास स्थान पर जा कर जांच करता है । इसके पश्चात् उसकी भी जांच असिस्टेंट सुपरिन्टेण्डेन्ट ऑफ़ ऐडवांस की जाती हैं । ८,००० रुपये तक के आवेदन पत्रों की वह जांच करता है, यदि ८,००० रुपये से अधिक का आवेदन पत्र हो तो उसकी जांच ब्रांच के मैनेजर द्वारा की जाती है । फिर यह आवेदन पत्र ब्रांच से मुख्यालय भेज दिया जाता है । मुख्यालय में ८,००० तक के आवेदन पत्रों पर असिस्टेंट चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, ८,००० से १२,००० रुपये तक के आवेदन पत्रों पर डिप्टी चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तथा १२,००० रुपये से अधिक के आवेदनपत्रों पर स्वयं चीफ़ ऐडमिनिस्ट्रेटर द्वारा विचार किया जाता है । इसके अतिरिक्त असिस्टेंट चीफ़ ऐडमिनिस्ट्रेटर तथा डिप्टी चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा विचार किये गये आवेदन पत्रों में से दस प्रतिशत आवेदन पत्रों पर उनसे एक दर्जा ऊंचे अफ़सरों द्वारा भी विचार किया जाता है । इसके बाद आवेदन पत्रों पर सिफ़ारिश होती है और यह सारे मण्डल के सामने रख दिये जाते हैं । इस मण्डल में बहुत ही ऊंचे अफ़सर तथा संसद् के सदस्य होते हैं । इस मण्डल को हर मामले के सारे विवरण बताये जाते हैं और जब मण्डल की बैठक होती है तो हमें पूरा अधिकार होता है कि हम जो उचित समझें करें, ऋण देना स्वीकार करें या अस्वीकार करें । मेरी समझ में नहीं आता है कि इंस्पेक्टर से लेकर मण्डल तक सारे ही लोगों पर कैसे प्रभाव डाला जा सकता है तथा कैसे उन्हें रिश्वतें दी जा सकती हैं । हो सकता है कि सबसे नीचे के अफ़सरों ने रिश्वतें ली हों परन्तु ऐसे अवसर भी न आने पावें और यह अफ़सर भी रिश्वत न लेने पावें इसके लिये हम ने ऐसे तमाम उपाय किये है जो कि सम्भव हो सकते थे ।

मेरे पास ऐसे कर्मचारियों की एक तालिका है जो किसी न किसी कारण से निकाल दिये गये हैं चाहे अकर्मण्यता के कारण हो या चाहे

भ्रष्टाचार के कारण । हम स्वयं भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सदा ही सावधान तथा इच्छुक रहते हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इस सदन के सदस्य हमें ऐसे अफ़सरों के नाम देंगे या भ्रष्टाचार के उदाहरण बतावेंगे तो निश्चय ही हम तुरन्त ही उनकी खोज करेंगे और उनका उचित उपाय करेंगे ।

दूसरी बात उन्होंने प्रत्याभू के विषय में कही है कि पचास साठ मामलों में प्रत्याभू के बिना ही ऋण दिये गये हैं । यह बात सत्य है, क्योंकि मुख्य प्रशासक को अत्यन्त दीन अवस्था वाले मामलों में ऐसा करने का अधिकार है। प्रशासन के सदस्यों के सामने एक समस्या है कि आसाम और बंगाल में शरणार्थी लोग प्रत्याभू नहीं ढूंढ सकते, तो उनके लिये क्या किया जाय । बिना प्रत्याभू के ऋण देने के लिये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, परन्तु जरा सहानुभूति से इस पर विचार कीजिये, तो आप भी ऐसा ही सोचेंगे, जैसा हम सोचते हैं । मैं मंत्री जी को इस बात पर जोर दे रही हूं कि वे इस शर्त को ढीली कर दें ।

हो सकता है कि प्रत्याभू भाग जाएं, जैसे आसाम में, तथा प्रत्याभू न मिलने के कारण व्यावसायिक प्रत्याभू उत्पन्न हो गये हैं, अर्थात् स्थानीय वकील तथा अन्य लोग । वे प्रत्याभू बन कर ऋण में से कुछ भाग स्वयं ले लेते हैं । अतः मैं सरकार से यह चाहती हूं कि वह इन निर्धन शरणार्थियों के लिये इस प्रत्याभू की शर्त से छुटकारा पाने के लिये कुछ सुविधा प्रदान करे ।

ऋण वापिस लेने के सम्बन्ध में मैं चाहती हूं कि या तो सरकार पंडित ठाकुरदास भार्गव के सुझावों के अनुसार विधेयक में संशोधन लायें, अथवा यदि विधेयक इस सिफ़ारिश के साथ प्रवर समिति में आता है, तो मैं इसका स्वागत करूंगी । कई बार तो ऋण वापिस लेने में बड़ी क्रूरता का व्यवहार करना पड़ता है । अतः हम ने एक बीच का रास्ता अपना लिया है ।

श्री नायर ने कहा कि एक दिन में प्राधिकारी ऋण वापिस ले लेते हैं । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ क्योंकि पूर्ण मण्डल की बैठक में ऋण वापिस लिया जाता है । साधारणतया ऋण लेने वाले को रकम लौटाने का अवकाश दिया जाता है; यदि वह तब भी न दे, तो प्राधिकारी के टिप्पण के साथ मामला मण्डल में आता है, और यदि हम देखते हैं कि और कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा, तब ऋण वापिस लेते हैं । मैं माननीय मंत्री से यह उपबन्ध करने के लिये जोर दूंगी कि पांच व दस प्रतिशत मामलों में प्रत्याभू के बिना ऋण दिया जाय और हमें वहां रुपया वापिस भी नहीं लेना चाहिये, तो यह बहुत अच्छा होगा । परन्तु हमें ऐसा करने की स्वतन्त्रता नहीं है । यह ऋण देने का विभाग है और हमें ऋण की रक़म वापिस भी लेनी पड़ती है और कई बार ऐसा करते हुए शरणार्थियों पर सख्ती भी करनी पड़ती है ।

दूसरी आपत्ति इसके कर्मचारी वृन्द पर की जाती है । बहुत सी नियुक्तियां मेरे यहां आने से पूर्व हुई । परन्तु तो भी मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगी । प्रारम्भ में श्री रछपाल प्रशासक के रूप में आये । मैं उन्हें ईमानदार समझती हूं और उनका आदर करती हूं । उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को यहां बुलाया, जिनकी ईमानदारी से वे परिचित थे । यह स्वतन्त्र स्वायत्त निगम था, इसलिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कर्मचारी भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अतः उन्हें बैंकों से उनके परिचित ईमानदारी व्यक्तियों की सीधी भर्ती करने का अधिकार दिया गया था ।

आकस्मिकता में कई नियमों का उल्लंघन भी हो जाता है । कई व्यवहारिक बातों को

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

दूर रखा गया । यदि कुछ सम्बन्धी लोग भर्ती भी किये गये हों और इस कारण उनकी निन्दा की जाय, तो मैं कहूंगी कि प्रधान मंत्री के कई सम्बन्धी सचिवालय में काम करते हैं । क्या यह पक्षपात का विषय है, इसका निश्चय आप को करना होगा । पक्षपात वहां होता है कि जब किसी अयोग्य व्यक्ति को केवल पक्ष के कारण नियुक्त किया जाता है । श्री नायर ने १० या १५ मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । हमें इस विषय में यह देखना होगा कि क्या इन लोगों के पास पद के लिये पर्याप्त योग्यता है, दूसरे नियुक्ति के समय क्या उनको योग्यता के आधार पर लगाया गया था, और दबाव के कारण नहीं इस बात की जांच की जानी चाहिये । मैं चाहती हूं कि श्री ए० सी० गुहा अथवा कोई और व्यक्ति इस की जांच करे । हम भी इसकी जांच करेंगे । १९४८ से पहले सब नियुक्तियां सरकार की अनुमति से की गई थीं । १९४९ में प्रशासक को कुछ नियुक्तियों का अधिकार दिया गया था । बड़ी नियुक्तियां अब भी सरकार द्वारा की जाती हैं । १९५० में नियुक्तियों का परीक्षण करने के लिये एक समिति बनाई गई थी । कर्मचारीवृन्द की वरिष्ठता निश्चित करने में बड़ी कठिनाई थी इसलिये दिसम्बर १९५२ में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये वरिष्ठ आई० सी० एस० प्राधिकारियों की एक समिति निर्माण की गई ।

दूसरी बात उन्होंने कही कि ऋण थोड़ी मात्रा में दिये जाते हैं, जिससे शरणार्थियों को अधिक लाभ नहीं होता । यह बात सत्य है । यह इस लिये किया गया क्योंकि सरकार का ऐसा आदेश था कि यदि पहली किश्त का योग्य उपयोग किया जाता है, तब दूसरी किश्त दी जानी चाहिये । इस नीति का अच्छा परिणाम नहीं निकला, और बहुत से शरणार्थी अपने आप को बसाने में समर्थ नहीं हो सके । इसलिये हमने इस मामले की जांच की और इसे वांछित समझा कि छः महीने की अवधि के अन्दर अन्दर समस्त ऋण दे देना चाहिये ताकि वे काम कर सकें । ये ही मुख्यतः आपत्तियां उठाई गई थीं ।

एक और आपत्ति यह उठाई गई थी कि विधि प्राधिकारी कपड़े के व्यापारी थे । किसी कपड़े की दुकान में उनका सहायक हित हो सकता है, परन्तु वह वकालत करने वाला वकील था । इस बात ने मुझे मेरे मित्र एक प्रसिद्ध डाक्टर की याद दिला दी, जब मैं लाहौर में थी ।

श्री वी० पी० नायर : किन्तु नियम के अनुसार कोई वकील किसी प्रकार की सहायक आय नहीं प्राप्त कर सकता ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैंने कहा कि अनारकली में मेरे एक मित्र का रेस्टोरन्ट था, और वह साथ ही एक प्रसिद्ध डाक्टर भी था । हो सकता है कि इस विधि प्राधिकारी की भी कोई दुकान हो । परन्तु मैं जानती हूं कि वह वकील थे । मैंने श्री नायर की सब बातों का न्यूनाधिक उत्तर दे दिया है । इस प्रशासन में कर्मचारियों की अधिक संख्या पर पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने आलोचना की है । यदि पांच सात व्यक्ति अधिक भी हैं, तो क्या यह कोई अपराध है ?

बाबू रामनारायण सिंह : क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : ६५० कर्मचारियों के संघटन में यह कहना कठिन है कि आया इसमें पांच सात अधिक कर्मचारी हैं । परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं और यदि अधिक व्यक्ति होंगे, तो उन्हें हटा दिया जायेगा परन्तु ऐसा करते हुए एक कठिनाई खड़ी हो जाती है कि संसद् के सदस्य ही तब कहने लग जाते हैं 'कि यह शरणार्थी हैं, इसे मत हटाओ'

एक ओर तो हमारे ऊपर अधिक खर्च करने का दोष लगाया जाता है, और दूसरी ओर शीघ्र काम करने को भी कहा जाता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सम्भव हो सकती हैं ?

पिछले वर्षों में खर्चा लगातार बढ़ रहा है, परन्तु हम इसे कम करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। १९५०–५१ में हमने ऋण फिर खोले, हमारे पास और ४६००० निवेदन पत्र आये, इस कारण एक दम खर्च बढ़ गया। आधे वर्ष की रिपोर्ट से पता चलता है कि १९५३ में हमने १० लाख रुपये खर्च किये। आशय यह कि १९५२ की अपेक्षा १९५३ में ३१ लाख के स्थान पर २० लाख खर्च हुआ, क्योंकि हमने अधिकतर निवेदन पत्रों का निपटारा कर दिया है और धीरे धीरे कर्मचारी भी कम कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों काम घटता जायगा, खर्च भी अपने आप गिरता जाएगा। मैं नहीं समझ सकी कि श्री नायर की ९ प्रतिशत की बात कहां तक ठीक है।

श्री वी० पी० नायर : मुझे यह बात आज प्रातः ही मुख्य प्रशासक ने बतलाई है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : ९ प्रतिशत साधारण खर्चा है। यदि वे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन की ओर निर्देश करें, तो वहां वे १० प्रतिशत साधारण खर्च का स्तर पाएंगे।

वे कर्मचारी बिना छुट्टी पाए काम करते रहे और १२ या १४ घंटे प्रति दिन काम करते रहे हैं। क्योंकि सदस्यों के पास समय नहीं, इसलिये मामले रखे पड़े रहते हैं। मैं ने कई समितियों में काम किया है, परन्तु इतना कठिन काम कहीं नहीं था। प्रति मास ५०० मामले, कम काम नहीं हैं, जो मुझे अन्य कार्यों के साथ करने पड़ते हैं। तो भी हम खर्चा कम करने और काम की गति को बढ़ाने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी संघटन में कुछ दुर्गुण हैं। यदि कुछ आवश्यक मामले इस प्रकार के होंगे, तो उनकी पूरी जांच की जायगी, और इसका उत्तम प्रबन्ध किया जायगा। हम इस प्रशासन द्वारा किये गये कार्य पर गर्व करते हैं। इस प्रशासन का कार्य वास्तव में ही सराहनीय है।

श्री आर० के० चौधरी : प्रारम्भ में यह प्रशासन मानव दयावादी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था कि विस्थापित व्यक्तियों को यथाशीघ्र बसाया जाय। इसके लिये अनुभवी एवं ईमानदार तथा आत्म-त्याग वाले कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जिन्हें स्थायी सेवा छोड़ कर इस अस्थायी सेवा में आने के लिये उचित प्रोत्साहन देना आवश्यक था। इस सेवा में जोखिम भी था, इसलिये कई प्रकार के वेतन-स्तर निश्चित किये गये थे। स्थायी सेवा के लाभों को सब जानते हैं; कई व्यक्ति जो ४७-४८ में पुलिस के थानेदार थे, वे अब सुपरिण्टेंडेंट बन गये तथा कई अन्य कर्मचारी तहसीलदार से वरिष्ठ डिप्टी कमिश्नर बन गये। ये पदोन्नत्तियां स्थायी सेवा के कारण प्राप्त हुई, और ये लोग भी यदि अपने मूल पदों पर रहते, तो अब की अपेक्षा अधिक अच्छे पदों पर लगे होते। अब भी उन के सर पर छंटनी अथवा नौकरी छट जाने का भय सदा रहता है, तो उनके लिये पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों की ईमानदारी और कार्यकुशलता का सम्बन्ध है, हम इन में कोई दोष नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति किसी से सम्बन्धित है, तो यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। पर हां, यदि कोई अपराध करता है, तो चाहे वह प्रधान मंत्री का सम्बन्धी भी क्यों न हो, उसे दण्ड मिलना ही चाहिये।

हम समझते हैं कि यह संस्था वास्तव में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करती है। परन्तु होता इसके विपरीत है; ऋण पर ६ प्रतिशत सूद लिया जाता है, जबकि सरकारी

[श्री आर० के० चौधरी]

कर्मचारियों से कार खरीदने के लिये दिये गये ऋण पर केवल तीन या चार प्रतिशत सूद लिया जाता है, तथा मकान बनाने के लिये दिये गये ऋण पर चार प्रतिशत सूद लिया जाता है । परन्तु जब विस्थापित व्यक्तियों को ऋण देना होता है, तो सरकार इससे लाभ उठाने की सोचती है, और ऊंचे सूद पर उधार देकर इस संघठन का समस्त खर्च पूरा करना चाहती है । यह सूद निश्चय ही अन्यायपूर्ण है । इसके अतिरिक्त यदि कोई ऋण वापिस न दे सके, तो उसे गिरफ्तार करने या जेल भेजने का भी उपबन्ध किया गया है, जो विस्थापितों के प्रति बड़ा ज़ुल्म है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तकावी ऋण किस तरह वापिस लिया जाता है ?

श्री आर० के० चौधरी: बकाया राजस्व प्राप्त करने का उपबन्ध है, परन्तु उसके अनुसार किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैंने परामर्शदात्री समिति में यह प्रश्न पूछा था और मुझे बताया गया था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है; यह प्रशासन के लिये एक कलंक है । दीवानी व्यवहार विधि के अनुसार किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, अर्थात् मनुष्य के पहनने के कपड़े, स्त्रियों के गहने, बर्तन, हल और बैल इत्यादि की कुर्की नहीं की जाती । जब सरकार इसे विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये चलाना चाहती है, तो इसे इतना क्रूर और शाइलौक की तरह निर्दयी नहीं होना चाहिये । यदि सरकार साहूकार की तरह लाभ उठाने की दृष्टि से तथा एक एक पैसा वापिस लेने का विचार रखती है, तो मैं कहूंगा कि इस प्रशासन को एक दम समाप्त कर देना ही ठीक होगा । इस प्रशासन के प्रारम्भ करते समय पुनर्वास मंत्री का आशय लोगों की वास्तविक सहायता करने का था । माननीय मंत्री जी को पता होना चाहिये कि पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को अभी हाल में ऋण दिया गया है, जबकि वे १९५० में आए थे । अभी भी कई व्यक्ति अपने निवेदन पत्र नहीं दे सके, अतः निवेदन पत्रों के लिये अन्तिम तिथि बढ़ा दी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त एक और बात का पता चला है कि ऋण लेने से पहले २५ प्रतिशत रुपया व्यापार में लगाया गया है, इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है । ज़रा सोचिये जो व्यक्ति भय के कारण वहां से भाग कर आए, वे अपने साथ रुपया कैसे ला सकते थे, और यदि उनके पास २५ प्रतिशत लगाने को होता तो वे कठिनता से ही शरणार्थी कहे जाते । यह एक अन्यायपूर्ण बात है, और इस आधार पर निवेदन पत्र अस्वीकार करना उचित नहीं है ।

कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही जाती है; मैं इसका समर्थन नहीं करता, अपितु बढ़ाने के पक्ष में हूं । कारण एक निवेदन पत्र के निपटारे में पर्याप्त समय लग जाता है । कर्मचारी कम होने के कारण कई बार ऋण देने में देरी हो जाती है और तब तक वह व्यक्ति कहीं और चला जाता है । इन निवेदन पत्रों का शीघ्र निपटारा करने की दृष्टि से अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें । साधारण मनोवृत्ति यह है कि कर्मचारी लगाने के मामले में मितव्ययता की जानी चाहिये, परन्तु जहां तक इस मानवोपयोगी संस्था का सम्बन्ध है, यह नियम इस पर लागू नहीं होना चाहिये । एक और बात है, मांगे गये ऋण में से पूरा ऋण स्वीकार नहीं किया जाता, जो कि व्यापार प्रारम्भ करने के लिये मांगा जाता है । यह भी चिन्ताजनक बात है, जिसका निधान होना चाहिये ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए ।]

परन्तु जब पर्याप्त प्रत्याभूति दी गई है, तब मांगे गये ऋण के लिये अस्वीकार कर देना सरकार की अनोखी बात है ।

स्वीकृति के पश्चात् भी छः महीनों में रक़म मिलती है, और वह भी पूरी नहीं मिलती, अपितु किश्तों में मिलती है । जिस व्यक्ति ने व्यापार के लिये बीस हजार रुपये का ऋण मांगा हो, और उसे दस हजार की स्वीकृति मिले तथा उसमें से भी पांच हजार रुपये मिलें, तो वह उस रक़म से व्यापार कैसे चला सकता है । इतनी रक़म तो उसकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जायेगी और व्यापार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा अतः इस बात को रोकना चाहिए ।

मेरा निवेदन यह है कि ऋण यथा शीघ्र दिये जाने चाहियें, और उपयुक्त प्रत्याभूति मिल जाने पर पूरा ऋण दिया जाना चाहिये और पूरी रकम दे दी जाय, ताकि व्यक्ति अपना व्यापार प्रारम्भ कर सके । सरकार शरणार्थियों का पुनर्वास चाहती है, परन्तु पद्धति के ठीक न होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता । व्यक्ति उधार लेकर काम करता रहता है, और फिर जब सरकार उसे ऋण देती है, तो उसमें से पिछला ऋण उतार कर उसके पास बहुत कम बचता है । इसलिये इन सब आपत्तियों को दूर करने के लिये व्यापक विधेयक रखा जाय तथा शासन पद्धति की बुराइयों को भी दूर किया जाय ।

इस विधेयक के लिये प्रवर समिति की बैठक की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । श्री नायर के विरोधपूर्ण भाषण में भी इस विधेयक के विरुद्ध कोई बात नहीं थी । परन्तु श्री गिडवानी और दूसरे सदस्यों ने जो आपत्तियां प्रस्तुत की हैं उन सब का निदान करने के लिये सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरा इस विवाद में भाग लेने का विचार नहीं था, परन्तु श्रीमती सुचेता कृपलानी के भाषण के पश्चात् मेरी भी यह इच्छा हुई कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं । अभागे शरणार्थियों के पुनर्वास के विषय में जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कोई भी शक्ति सरकार की आलोचना किसी स्वार्थ के वश हो कर नहीं करता, अपितु क्रियात्मक रुप में सब इस कार्य को चाहते हैं । हम जन हित के अध्यादेश का विरोध नहीं करते । हम समझते हैं कि सरकार का इस प्रकार का अध्यादेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, अन्यथा पुनर्वास वित्त का सारा नियंत्रण नष्ट हो जाता । परन्तु मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि यदि अध्यादेश के बिना भी कार्य सम्भव हो सकता है, तो हम अध्यादेश जारी करने के पक्ष में नहीं हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मैं डेढ़ वर्ष संसद् कार्यों के मंत्री के वास्तविक कर्तव्यों का स्वरूप नहीं समझ सका । परन्तु इस से विधान निर्माण के लिये कार्यक्रम निर्धारित करने में सरकार की अयोग्यता प्रतीत होती है, क्योंकि यह विधेयक बहुत देर पहले प्रस्तुत हो जाना चाहिये था । हम शरणार्थियों के हित में इस अध्यादेश का विरोध नहीं करते, परन्तु जिस ढंग से सरकार काम करती है, हम उसे भी नहीं चाहते । मैं नहीं समझता कि सांसद्-कार्य मंत्री को वैधानिक प्राथमिकता निश्चित करने का अधिकार है । जब हम आपस में मिलते हैं तो सब कहते हैं कि सरकार ठीक समय पर निर्णय नहीं कर पाती । विधान का कार्यक्रम और आवश्यक अध्यादेश को ठीक समय

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पर उपस्थित न करने में सरकार की अकुशलता प्रकट होती है ।

दूसरी बात यह है कि शरणार्थियों के लिये वित्तीय सहायता की व्यापक योजना बनाई जानी चाहिये । श्रीमती कृपलानी ने कहा है कि विशेषकर आसाम और पूर्व बंगाल के लिये प्रत्या प्राप्त करने की कठिनाई है । इसे हम सब जानते हैं, इसीलिये तो वास्तविक सहायता के निमित्त बहुत सोच विचार के साथ योजना बनाई जानी चाहिये । मैं श्रीमती कृपलानी से निवेदन करूंगा कि वे परामर्शदात्री मण्डल के सदस्य होने के नाते कोई क्रियात्मक सुझाव रखें, ताकि हम शरणार्थियों को अधिकतम वित्तीय सहायता दे सकें । मैं सरकार से भी कहूंगा कि वह शरणार्थी पुनर्वास के निमित्त निर्धारित की जाने वाली निधि का उत्तम प्रबन्ध करने का कोई उपाय सोचें । इस के अतिरिक्त सहायता की शर्तें भी कुछ ढीली होनी चाहिये ।

१८ सितम्बर के ईस्टर्न इकानामिस्ट पत्रिका में लिखा है कि इस प्रशासन द्वारा स्वीकृत ऋणों में से ४० और ४५ प्रतिशत ऋण व्यक्तियों ने नहीं लिये, क्यों कि ऋण की शर्तें कड़ी थीं ।

पहली क़िश्त पर ६ प्रतिशत सूद देना पड़ता है, जो ग़रीब शरणार्थियों के लिये बहुत भारी सूद है । इसी कारण शरणार्थी लोग ऋण नहीं ले सके । मैं कहूंगा कि यदि सरकार वास्तव में इसी देश के वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाना तथा आर्थिक क्षेत्र में शरणार्थियों की सहायता करना चाहती, तो सरकार सरलता से समस्त ऋण उन में नोट देती और प्रारम्भ में बिल्कुल सूद न लेती, पीछे ३ प्रतिशत अथवा न्यूनाधिक सूद लेगी । परन्तु सरकार तो छः प्रतिशत सूद लेती है, और यदि निश्चित तिथि को अथवा उस से पहले रक़म दी जाय, तो १ प्रतिशत का रिबेट । मैं सरकार से कहूंगा कि वह शरणार्थियों को आराम देने की दृष्टि से ऋण की शर्तें ढीली करें ।

प्रशासन पर भी बहुत अधिक खर्च किया जाता है । इस प्रशासन में पहली जुलाई, १९५३ तक ६३५ कर्मचारी थे, जिनमें १५१ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे । पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने इसका समर्थन किया कि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा अधिक उत्तम काम हो सकता है । मैं उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का विरोध नहीं करता । परन्तु साधारणतया आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अधिक रखते हैं, परन्तु इस विभाग में उनकी संख्या ६३५ में केवल १५१ ही है ।

श्री नायर के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इन प्राधिकारियों का आचरण अच्छा है । मुझे यह सुन कर प्रसन्नता होती है । परन्तु १० अगस्त को इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था वह सन्तोषजनक नहीं था । असिस्टेंट चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर को १०५० रुपये का वेतन दिया गया, जब कि यहां आने से पहले उन्हें केवल ७०० रुपये मिलते थे । एक दूसरे व्यक्ति को पहले ३५० रुपये मिलते थे, परन्तु यहां लाकर १००० रुपये वेतन दिया गया । एक अन्य व्यक्ति को ३८० रुपये की तुलना में ८०० रुपये दिये गये । इन समस्त आकड़ों में बहुत अधिक अन्तर है । मैं इन व्यक्तियों को नहीं जानता परन्तु इन आंकड़ों का अन्तर विचारणीय है । माननीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय प्रारूप परिमाप में क्षेत्र-कर्मकरों के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि उन को तदर्थ आधार पर वेतन दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले

लाभ नहीं दिये जाते । मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन महत्व का काम करने वाले कर्मकरों को कितनी बुरी शर्तों पर नौकर रखा जाता है और दूसरी ओर इस प्रशासन के व्यक्तियों के लिये दोनों हाथ सरकार का रुपया लुटाया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, परन्तु इन प्राधिकारियों और कर्मकरों के बीच इतना अन्तर क्यों रहना चाहिये। पिछले सत्र में इस पर विवाद हुआ था जिस पर सब समाचारपत्रों ने संपादकीय टिप्पणियां लिखीं थीं। श्री गुहा ने आज जो आश्वासन दिलाया है कि उन सब बातों की जांच की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच करने का आश्वासन दिया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । सरकार को एक आयोग नियुक्त करना चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे। एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं किया जाना चाहिये ।

श्रीमती कृपलानी ने अपने भाषण में कहा कि घूस खोरी कम वेतन वाले कर्मचारियों में फैलती है । हो सकता है, कम वेतन के कारण वे घूस लेने को ललायित हो जायें, परन्तु उन लोगों में उत्साह और चरित्र हैं, संसार उन्हीं के सहारे चलता है । मैं तो कहूंगा कि अधिक वेतन पाने वाले लोगों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी कम नहीं है । आप आधिक वेतन वालों की रक्षा भले ही करें, परत्तु उच्च और निम्न इस प्रकार का अन्तर, स्थापित करना उचित नहीं है ।

दूसरी बात इस विधेयक में प्रशासन के लेखा-परीक्षण की है । सरकार ने अपने अनुभव से देख लिया है और यह सुझाव रखा है कि इस प्रशासन का लेखा परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंप देना चाहिये । यह बहुत उत्तम सुझाव है । इसके सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि इस प्रशासन के पिछले कई वर्षों के लेखा का परीक्षण भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाना चाहिये । इस से कोई हानि नहीं होगी, अपितु पीछे जो गड़बड़ हुई है, उस की जांच हो जायेगी । सरकार को यह आश्वासन दिलाना चाहिये कि शरणार्थियों को ठीक प्रकार से वित्तीय सहायता दी जायगी, उन को ऋण देने की शर्तें ढीली की जायेंगी, तथा भ्रष्टाचार और घूसखोरी आदि के दोषारोपण की जांच की जायगी । सरकार को यह आश्वासन भी दिलाना चाहिये कि इस प्रशासन के लेखा का पश्चातगामी प्रभाव से परीक्षण किया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : वित्त उप मंत्री ।

श्री ए० सी० गुहा : इस विधेयक पर किये गये वाद विवाद के लिये मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं । श्री मुखर्जी ने आश्वासन मांगा है कि भ्रष्टाचार अथवा शक्ति के दुरुपयोग के मामलों की जांच की जानी चाहिए । 'मैं ने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है, अब फिर मैं आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार को जो भी जानकारी दी जायगी, उस प्रत्येक मामले की जांच की जाएगी तथा तत्सम्बन्धी उचित कार्यवाई की जायगी । मैं यहां लगाये गये आरोपों का उत्तर देना चाहता हूं, सब से पहले विधि प्राधिकारी के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उपमंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया । मैं ने समझा था कि वे वाद विवाद के बीच कुछ कहना चाहते थे ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझा, मुझे वाद विवाद का उत्तर देने के लिये बुलाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो मैं सदस्यों को बोलने का अवकाश दूंगा, जो बोलना चाहते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : अभी तक दो मत प्रकट किये गये हैं । एक इस की निन्दा में, दूसरा इस की प्रशंसा में । मैं न इस के निन्दकों में सम्मिलित होना चाहता हूं और न ही प्रशंसकों की श्रेणी में । मैं मानता हूं कि इस प्रशासन ने कुछ अच्छा काम किया है । ऐसा कहा गया है कि प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी और कुशलता से कार्य किया है । मैं ईमानदारी के विषय में कुछ नहीं कह सकता, आया यह चोटी से, अथवा बीच से अथवा नीचे से शुरू होती है । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता । मैं समझता हूं कि मण्डल और प्रशासन के सदस्य अपना कार्य ईमानदारी के साथ करते रहे हैं । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपना कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक करते रहे हैं ? तो इस के उत्तर में न स्पष्ट 'नां' और न स्पष्ट 'हां' । इस प्रशासन में प्रभावी व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है । ऐसे व्यक्तियों को ऋण क्यों दिया जाता है, जिन की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । यदि इस प्रकार के प्रमादियों की संख्या बढ़ती रही, तो यह प्रशासन भी दिवाला निकाल देगा ।

मैं परामर्शदात्री मण्डल के सदस्य के दृष्टिकोण से नहीं बोलता अपितु उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, जिस ने ऋण के लिये मांग की है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब मैं लोगों से, शरणार्थियों से मिलता हूं, तो वे ऋण के बारे में इतनी दुःखभरी और करुणात्मक कथा सुनाते हैं, कि जिस के लिये मैं सदन का सदस्य होने के नाते गर्व नहीं कर सकता । परन्तु मैं यह कहते हुए लज्जित भी नहीं होता कि यह अत्यन्त दुःखद और शोकजनक स्थिति है ।

यह संगठन ऐसा है जो शरणार्थियों की सहायता के लिये बना है किन्तु पंजाब के लोगों की भी बुरी दशा है । वे सहायता के लिये आवेदन पत्र हाथ में लिये इधर उधर व्यर्थ ही भटका करते हैं किन्तु न उन्हें सहानुभूति मिलती है और न सहायता ही; न दिये जाने वाले ऋणों की संख्या इतनी अधिक क्यों है । इस का कारण यह है कि ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्र तथा उस के स्वीकृत होने में इतना अधिक समय लग जाता है कि उतने समय में वह व्यक्ति निराश होकर किसी अन्य स्थान को चला जाता है और तब भी उस का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होता । यह 'कुशलता' का दूसरा चिह्न है ।

मैं पूछता हूं कि इतने शरणार्थियों में से अब तक इस प्रशासन ने कितनों को लाभ पहुंचाया है ? मानलीजिये कि शहर के पचीस हजार शरणार्थियों को भी बसाने में सहायता की गई है तो भी न जाने कितनी संख्या में अभी शरणार्थी लोग भटक रहे हैं । अतः जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही कम है । मुझे इस प्रशासन के लोगों की ईमानदारी पर किंचितमात्र भी शंका नहीं है । मैं समझता हूं कि वे सभी ईमानदार हैं । किन्तु मुझे केवल कहना यह है कि इस का कार्य बड़े और गलत ढंग से चल रहा है तथा उन लोगों के लिये हानिकारक है जो इस के अनुसार ऋण लेने के लिये आते हैं ।

इस प्रशासन को ऐसा होना चाहिये कि उस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा लोगों के लिये सहायता पहुंचाने वाली हो । किन्तु मैं जब इस के कार्यों पर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे कुछ और ही पता लगता है । प्रशासन-व्यय शरणार्थियों को ऋण से होने वाले लाभ के अनुपात से कहीं अधिक है । प्रतिशत की दृष्टि से प्रशासन-व्यय बिल्कुल सही हो सकता है किन्तु इस से लोगों को लाभ बहुत ही कम पहुंचा है । प्रशासन-व्यय तथा

स्वीकृत किये लाभ में कुछ अनुपात तो होना ही चाहिये जो नहीं है। इस में सन्तुलन नहीं है ।

मुझे हर्ष है कि उन्हों ने पूंजी बढ़ा दी है तथा कुछ नवीन उपबन्ध कर दिये गये हैं । यह शासन व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये कि उस का दृष्टिकोण मानवीयतापूर्ण हो किन्तु मुझे इस के कार्यों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह शरणार्थियों के मामलों को कल्पनातीत ढंग से निबटाती है। प्रशासन उन की भावनाओं को समझने का किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं करता । मैं अपने मित्र श्री गुहा से कहना चाहूंगा कि वह कुछ ऐसा करें कि जिस से शासन कार्य शीघ्रता से हो सके । ऋण के लिये भी ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जो भी उस के लिये आवेदन पत्र प्रेषित करे उसे समय के अन्दर ही ऋण प्राप्त भी हो सके तथा वित्तीय पुनर्वास की समस्या हल की जा सके ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जब इस पुनर्वास वित्त प्रशासन को देखता हूं तो पता लगता है कि यह कुछ नौकरियां देने के लिये बना है, शरणार्थियों को वास्तविक सहायता देने के लिए नहीं । जब उन्हें कुछ ऋण दिया गया तो उन से ६ प्रतिशत ब्याज मांगा गया । वे बेचारे ब्याज कहां से दें ? इस प्रशासन के द्वारा ही, चाहे कुछ भी हो किन्तु उन्हें तो अपना अंश चाहिये, ऐसी व्यवस्था की गई है । बम्बई राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तो आवश्यक शुल्क न देने पर कई बार जेल तक जाना पड़ सकता है ।

सरकार ने १,००० रु०, १,५०० रु० अथवा २,००० रु० की लागत के मकान शरणार्थियों के लिये बनवाये हैं और जिन के लिये वह उन से ७ रु०, ७ रु० १२ आने तथा ८ रु० १५ आने तक वसूल कर लेती है । सरकार यह नहीं सोचती कि जिन शहरों में ये मकान बने हैं वहां कठिनता से अधिक से अधिक १ रु० किराया होता है और जब इस के लिये पुनर्वास मंत्री से कहा जाता है तो वह उत्तर देते हैं कि बम्बई अहमदाबाद तथा दिल्ली आदि में हमें इतना इतना व्यय करना पड़ा है, अतः यह राशि हमें लोगों से वसूल करनी ही चाहिये । हम ने यह स्वतन्त्रता इन के बदले में प्राप्त की है । सरकार तो यह सोचती है कि हम ने उन पर इतना व्यय किया है और इतना हम उनसे वसूल करने जा रहे हैं । यह लज्जाजनक है । हमें उन से किसी भी प्रकार ब्याज नहीं लेना चाहिये और सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह पुनर्वास राशि उन सब पापों की पूर्ति के लिये है जो हम ने उन्हें वहां से हटा कर किये हैं । इस राशि को उन से वसूल करने में कठोरता से काम नहीं लेना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ ऋण दे दिये गये थे जिन के वापिस मिलने की आशा नहीं है । हमें इस के उत्तर में यह कहना है कि हो सकता है कि उस राशि से उन्हें कोई लाभ न हुआ हो । अतः वसूल करते समय इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिये ।

इस विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि इस में अत्यधिक पदाधिकारी हैं । इतने पदाधिकारियों की क्या आवश्यकता है ? हम यहां एक विशेष उपबन्ध बना सकते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित २ करोड़ रुपये तक की राशि ऋण में दी जा सकती है । दूसरा उपबन्ध १२.५ करोड़ रुपये के लिये है जिसे आप देना चाहते थे, तथा २ करोड़ के लिये आप कहते ह कि ठीक है अनुसूचित बैंक यह राशि ऋण में दें, हम उस की गारन्टी देंगे । आप ऐसा क्यों करते हैं ? आप सारा धन अनुसूचित बैंकों को क्यों नहीं दे देते जिस से वे एक ढंग से वितरण कर सकें ? आप व्यर्थ की परेशानी अपने सर क्यों मोल लेते हैं ? वे लोग जो बैंकों का कार्य करते हैं इस कार्य को आप की अपेक्षा

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप पर अनुचित पक्षपात तथा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये जाते हैं वे न लगाये जाते यदि आप ऐसा न करते। विपरीततः १२.५ करोड़ में से लगभग २ करोड़ रुपये इन पदाधिकारियों के वेतन में व्यर्थ व्यय कर दिये जायेंगे। यह पूर्णतः निरर्थक व्यय होगा। मैं सदन से यह आग्रह करता हूं कि वह इन सब बातों पर इस मामले के प्रवर समिति में जाने से पूर्व ही विचार कर ले।

श्री ए० सी० गुहा : मैं उन सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने विवाद में भाग लिया है। कुछ ने प्रशासन की आलोचना तथा दूसरों ने उस का समर्थन किया है। हम दोनों पक्षों को सुनना चाहते हैं। हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उस की हम जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

सरकारी नौकरों के बारे में कहा गया था हमारे पास निम्नलिखित अधिकारी हैं--

६०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारी	२०
२०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	१३५
लिपिक वर्ग ४ के अधिकारी	३१६ १५०

ये सब कुल ६२१ हैं। इन में से ९८ प्रतिशत शरणार्थी हैं। कुछ लोगों ने उस वेतन का अन्तर बताया है जो उन्हें मिलता था और जो उन्हें अब मिलता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये यदि अपने पहले पदों पर रहते तो इन्हें चार पांच वर्षों में कुछ वृद्धि भी मिलती।

ये पदाधिकारी शरणार्थी भी हैं। यह नहीं माना जा सकता कि भारत आने से पहले इन्हें कितना वेतन मिलता था तथा इन की योग्यता कितनी है। संभव है वे अच्छे पदों पर रहे हों। एक वकील जिस की चर्चा की गई, यहां आकर कपड़े की दुकान भले कर ले परन्तु वह लाहौर में वकीली ही करता था तथा वहां प्रसिद्ध वकील था। उस की योग्यता के अनुसार अब कानून अफसर बनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि वहां के प्रोफेसरों, वकीलों आदि को यहां किसी भी प्रकार का काम करना पड़ा है। यदि ऐसे लोगों को उचित नौकरी देने का अवसर आये तो उन्हें अवश्य नौकरी दी जानी चाहिए। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस प्रशासन में पूरी खराबी थी। मैं यह नहीं कहता कि इस में दोष ही नहीं हैं। मैं मानता हूं कि कुछ सुधार किये जा सकते हैं। मैं इस विषय में उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री शर्मा ने उन बहुत से लोगों की चर्चा की जिन्हों ने पैसे नहीं चुकाए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि पैसे वसूल करने में सख्ती की गई है। यह प्रशासन न तो बैंक है न दान संस्था ही। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है तथा इस का प्रयोजन यह है कि लोग उधार दिया गया पैसा ब्याज सहित वापिस कर दें। जब यह प्रशासन बनाया गया था तब सरकार को मालूम था कि इस में हानि भय बहुत है। न बैंक और न दान संस्था होने के कारण इस प्रशासन को मध्यम वर्ग का अनुसरण करना पड़ा है। अतएव दोनों वर्ग के लोगों द्वारा इसकी आलोचना किया जाना स्वाभाविक ही है।

श्री मुखर्जी ने लेखापरीक्षा के बारे में कहा। सरकार ने पिछले वर्ष स्वयं चाहा था कि लेखा परीक्षा, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा हो। पर इस का यह अर्थ नहीं कि इस संगठन के लेखे में कोई बड़ी खराबी थी।

सरकार की तो यह सामान्य नीति ही है कि स्वायत्त निकायों के लेखे नियंत्रक महालेखा परीक्षकों द्वारा जांचे जायें।

प्रशासन के व्यय के बारे में भी कहा गया है। यह बैंक नहीं है। प्रत्येक शरणार्थी इस से उधार लेने का प्रयत्न करता है। इन के प्रार्थना पत्रों की जांच करनी पड़ती है अतएव व्यय बढ़ गया है। यह काम ही इस प्रकार का है। लोगों ने पहले भी शिकायत की है कि इस के काम में देरी होती है। अतएव जब १९५१ में हमारे पास ४२,००० प्रार्थना पत्र आए तब हमें अधिक कर्मचारी नियुक्त करने पड़े। इस से व्यय और भी बढ़ गया।

पिछले पांच वर्षों में प्रशासन का व्यय केवल ७० लाख हुआ है, एक करोड़ नहीं। यह राशि अधिक नहीं है। पिछले वर्ष व्यय ९४ लाख बताया गया था। इस में २१ लाख वह राशि मिली हुई थी जो अपलेखन के लिये निश्चित की थी। इस के अतिरिक्त इस में स्टेशनरी, टिकिट और तार के खर्चे भी मिले थे। यह राशि लगभग २८ लाख रुपये है। अतएव प्रशासन का व्यय अधिक नहीं कहा जा सकता।

अधिनियम के अनुसार ब्याज ६ रुपये प्रति सैकंड़े से अधिक नहीं हो सकता था सरकार ४ रुपये पर उधार लेती है। अतएव सरकार कोई मुनाफा नहीं ले रही है। हमें मालूम है कि प्रशासन को घाटा रहेगा।

श्री गिडवानी : क्या कुछ संस्थाओं को सरकार ने बिना ब्याज पर रुपया उधार दिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे ठीक प्रकार नहीं मालूम।

श्री बी० पी० नायर : माननीय वित्त मंत्री बता सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री भी० डी० दशमुख) : मुझे नहीं मालूम कि कभी किसी को बिना ब्याज पर उधार दिया गया है। कभी ऐसा होता है कि अवधि के कुछ भाग का जैसे प्रथम पांच वर्षों का ब्याज नहीं लिया जाता। कभी कभी जैसे जहाजी कम्पनियों को ब्याज की दर में खास रियायत की जाती है। पर जहां तक मुझे याद है किसी को बिना ब्याज उधार नहीं दिया गया है।

श्री गिडवानी : मेरा सुझाव है कि पहले पांच साल में शरणार्थियों से भी ब्याज न लिया जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : यह दूसरी बात है।

श्री बी० पी० नायर : कम से कम पहले पांच सालों में।

श्री ए० सी० गुहा : हमें मालूम है कि यह प्रशासन घाटे पर चल रहा है। श्री डी० सी० शर्मा ने कहा कि इसका दिवाला निकल रहा है। न मालूम इसका क्या अर्थ है। यह प्रशासन लाभ के लिये स्थापित नहीं किया है। यह शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये है। यह दान संस्था भी नहीं है। हम जानते हैं कि इस में घाटा होगा। सरकार ने यह हानि भय जानबूझ कर लिया है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि उधार देने की शर्तें बड़ी कड़ी हैं। दूसरों ने कहा कि बहुत से लोगों का बकाया पड़ा है। प्रशासन यथाशक्य सावधानी से काम कर रहा है। हाल ही में वसूली इत्यादि में सुधार किये जा रहे हैं। शरणार्थियों की तकलीफों को दूर करने में प्रशासन पूरा प्रयत्न करेगा।

श्री गिडवानी : वसूली की अवधि १५ वर्ष कर दी गई है। क्या इसका भूतलक्षी प्रभाव समझा जायेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : जी।

[श्री ए० सी० गुहा]

श्री आर० के० चौधरी ने कहा कि यदि शरणार्थी २५ प्रतिशत राशि व्यापार में लगायें तब ही उन्हें उधार मिल सकता है। प्रशासन ने ऐसा ही संकल्प पारित किया था। उधार देने में देरी होने के विषय में सदन में जो कुछ कहा गया उस का प्रशासन ध्यान रखेगा। माननीय सदस्य ने पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के विषय में भी कहा। उस विषय में भी प्रशासन ने संकल्प पारित किया है तथा उनको भी उधार दिये जायेंगे। अभी ८००० प्रार्थना-पत्र निलम्बित हैं अतएव इस विषय में कुछ देरी हो जाने की आशा है।

श्री गिडवानी ने गिरफ्तार किये गये स्पेशल पुलिस अफसर की चर्चा की है। प्रशासन ने उस को सेवा से निलम्बित कर दिया है। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। विधि मंत्रालय के अनुसार वह लोक सेवक नहीं है अतएव उसे मुक्त करना पड़ा।

इस प्रशासन में नियुक्त कर्मचारी केवल चार-पांच वर्ष ही रहेंगे। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अतएव उन्हें अधिक वेतन देना पड़ रहा है।

श्री गिडवानी ने कहा कि वसूली में १५ साल लगेंगे अतएव यह संगठन भी १५ साल के लिये कायम रखा जाना चाहिये। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वसूली में बहुत थोड़े कर्मचारियों की ही आवश्यकता पड़ेगी। शेष कर्मचारियों को सेवामुक्त करना पड़ेगा।

विवाद में माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई थीं उनमें से मैं बहुत सी बातों का उत्तर दे चुका हूं। कुछ सदस्यों ने कहा कि उधार देने के लिये केवल ७ करोड़ रुपये हैं। अब हमने १२$\frac{1}{2}$ करोड़ दे दिये हैं। २ करोड़ और दिये जायेंगे। ब्याज के रूप में जो राशि प्राप्त होगी वह भी उपलब्ध की जाएगी। यह सब मिला कर लगभग १५ करोड़ हो जायेगा। विधेयक में और जो अन्य बातें हैं वे शरणार्थियों के लाभ के लिये हैं तथा उन्हें उन का स्वागत करना चाहिए। इस विधेयक में सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं है अतएव यह प्रवर समिति को नहीं भेजा जाना चाहिये। मूल विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था।

आशा है सदन विधेयक को पारित करेगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): श्री मुखर्जी ने कहा था कि प्रशासन के लेखे की परीक्षा आरम्भ से की जानी चाहिये। माननीय मंत्री का इस विषय में क्या मत है ?

श्री ए० सी० गुहा : हम इस पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम वैसा ही करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिडवानी का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री गिडवानी : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापिस ले लिया गया।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने पुनर्वास वित्त प्रशासन संशोधन विधेयक पर विचार किये जाने के मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक के खंडों को लेंगे।

खंड २ (धारा ११ का संशोधन)

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में—

पंक्ति १८ से २५ के स्थान में यह रख दिया जाय :

"Provided that if, after the lapse of such period from

the commencement of this Act as the Central Government may think fit to fix in this behalf, any sum of money earmarked for the purpose specified in clause (b) is found not to have been actually advanced for that purpose and is not, in the opinion of the Central Government, likely to be required for the said purpose, the Central Government may utilise the money for making advances from time to time to the Administration for the purpose specified in clause (a), and when any such advance is made, the limit specified in clause (a) shall be deemed to have been correspondingly increased."

["परन्तु यदि इस अधिनियम के आरम्भ होने पर ऐसी अवधि के बाद, जो केन्द्रीय सरकार निश्चित करेगी, खंड (ख) में बताये गये प्रयोजनों के लिये प्रथम रक्षित राशि उन प्रयोजनों के लिये वास्तव में न दी गई हो, और केन्द्रीय सरकार के मत में उक्त प्रयोजन के लिये वह आवश्यक न हो तो समय समय पर केन्द्रीय सरकार उस राशि को खंड (क) में बताये गये प्रयोजनों के लिये प्रशासन को देगी और जब यह राशि दी जायेगी तब खंड (क) में बताई गई राशि की सीमा उतनी बढ़ी हुई समझी जायगी"]

श्रीमान यह केवल शाब्दिक संशोधन है। यह उपबन्ध पहले से ही है परन्तु भाषा स्पष्ट नहीं है।

सभापति महोदय ने उक्त संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री बी० के० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ और १३ में—

"twelve crores fifty lakhs" ["१२ करोड़ ५० लाख"] के स्थान में "fifteen crores" ["१५ करोड़"] रख दिया जाय।

कई सदस्यों ने कहा है कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को उधार देने के लिये जो प्रार्थना-पत्रों की सूची है उस पर फिर से कार्यवाही की जानी चाहिए। श्री शर्मा का प्रस्ताव है कि यही बात पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों के साथ की जानी चाहिए। अतएव १४.५ करोड़ रुपया पर्याप्त न होगा। इसलिये उसे बढ़ाकर १५ करोड़ कर देना चाहिए। अभी ८००० प्रार्थना पत्र निलम्बित हैं। इसके लिये १०.५ करोड़ की मंजूरी दी गई है। बचा हुआ रुपया अन्य प्रार्थना पत्रों के काम लाया जायगा। मैं चाहता हूं कि यह राशि कुछ बढ़ जाये तथा प्रशासन के पास पर्याप्त राशि रहे। हम पूर्वी बंगाल के बेकार शरणार्थियों को काम दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सूची पर फिर से कार्यवाही करना चाहिए।

सभापति महोदय ने उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान् हमने पहले ही राशि बढ़ाकर १५ करोड़ कर दी है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसे और बढ़ायेंगे। अभी १४.५ करोड़ पर्याप्त है।

श्री बी० क० दास : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

सदन की अनुमति से संशोधन वापिस ले लिया गया।

सभापति महोदय : श्री ए० सी० गुहा का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४—धारा १३ का संशोधन

श्री बी० के० दास : अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करना चाहते थे जो धारा १३ की उपधारा ३ से सम्बन्धित था परन्तु खंड ४ का सम्बन्ध उपधारा ३ से न होने के कारण उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई । उन्हें पूरे खंड पर सामान्य रूप से बोलने की अनुमति दी गई ।

श्री बी० के० दास : ऋण चुकाने की अवधि १० वर्ष से बढ़ा कर १५ वर्ष कर दी गई है । यदि ब्याज की दर भी घटा दी जाती तो शरणार्थी उचित समय पर ऋण चुका सकते । ५००० रुपये तक के ऋण पर राज्य सरकारें ३ रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लेती हैं उससे अधिक राशि पर प्रशासन ६ रुपये प्रति सैकड़ा लेता है । यह दर घटा दी जानी चाहिए जिससे कि शरणार्थियों को राहत मिले ।

श्री ए० सी० गुहा : प्रशासन यह कर सकता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नया खंड ६

संशोधन प्रस्तुत हुआ—

पृष्ठ २ में,

४३ वीं पंक्ति के पश्चात यह निविष्ट कर दिया जाये :

"*6. Repeal of Ordinance 2 of 1953.*—(1) The Rehabilitation Finance Administration (Amendment) Ordinance, 1953 (2 of 1953) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action was taken."

[*Shri A. C. Guha*]

["६. १९५३ के अध्यादेश २, का निरसन—

(१) पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश १९५३ (१९५३ का दूसरा) का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा दी गई शक्ति का पालन करते समय की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अनुसार दी गई शक्तियों का पालन करते समय की गई कार्यवाही समझा जायगा,—और यह समझा जायगा कि यह अधिनियम

उस दिन प्रभावी था जिस दिन वह कार्यवाही की गई थी"

[श्री ए० सी० गुहा]

नया खंड ६ विधेयक का अंग बना दिया गया।

खंड १ विधेयक का अंग बना दिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना दिया गया।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

सभापति महोदय : अब ६-३० हो गये हैं। मैं सदन की बैठक स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात सदन की बैठक मंगलवार, १७ नवम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।